सत्यमेव जयते

नीति आयोग

वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

विषय-सूची

1 uhfr vk;kx&,d flgkoykdu

संगठनात्मक ढांचा 1

नीति आयोग के उद्देश्य और कार्य 3

2 uhfr fu/kkj.k vkj dk;Øe fuek.k

(i) रुग्ण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) की तालाबंदी 7

(ii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों का कार्यनीतिक विनिवेश 7

(iii) अटल नवोन्मेष मिशन 8

(iv) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद् अधिनियम और भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम में सुधार 9

(v) मुम्बई–अहमदाबाद द्रुतगति रेल गलियारा 10

(vi) भारत में डिजिटल भुगतान अभियान 10

(vii) द्वीप समूहों का समग्र विकास 11

(viii) तटीय रोजगार क्षेत्र 12

3 çfrLi/kh lg;kxi.k l?kokn

(i) कृषि में सुधार 15

(क) आदर्श भूमि पट्टाकरण कानून 15

(ख) कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में सुधार 15

(ग) कृषि विपणन और कृषक अनुकूल सुधार सूचकांक 16

(ii) स्वास्थ्य, शिक्षा और जल प्रबंधन में राज्यों के कार्य निष्पादन को मापने वाले सूचकांक 16

(iii) राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और योजना सचिवों का सम्मेलन 18

(iv) शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण 18

4 fFkd&Vd d dk;

(i) भारत का दृष्टि पत्र 21

(ii) भारत में आर्थिक नीति के लिए कार्य योजना पर गोलमेज 21

(iii) नीति व्याख्यानः भारत परिवर्तन 22

(iv) अग्रणी राज्य – राज्यों की सर्वोत्तम कार्यशैलियों का सार 23

(v) भारत में विवाचन और प्रवर्तन के सुदृढ़ीकरण के संबंध में वैश्विक सम्मेलन 24

(vi) आओ खेलें–भारत में खेलों के पुनरुद्धार के लिए एक कार्य–योजना 25

(viii) उत्पाद – परिणाम फ्रेमवर्क 25

5 vU; {k=dh; miyfC/k;k

कृषि 27

स्वास्थ्य, पोषण, महिला और बाल विकास 32

मानव संसाधन विकास 34

कौशल विकास और रोजगार एकक 37

शहरीकरण प्रबंधन 40

ग्रामीण विकास 41

ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग 42

अवसंरचना 43

उद्योग 50

वित्तीय संसाधन 52

प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण 54

1. जल संसाधन 54

2. भू–संसाधन 56

3. पर्यावरण और वन 57

विज्ञान और प्रौद्योगिकी 59

राज्य समन्वय और विकेंद्रीकृत आयोजना 60

सामाजिक न्याय और अधिकारिता 63

विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय 66

शासन और अनुसंधान 69

कार्यक्रमों / स्कीमों / परियोजनाओं का मूल्यांकन	74
नीतिगत परामर्श और संचार	79
स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ	85
डेटा प्रबंधन और विश्लेषण	87
सूचना और प्रसारण एवं पर्यटन	89
राजभाषा (हिन्दी) अनुभाग	90
सतर्कता अनुभाग	91

नीति आयोग - एक सिंहावलोकन

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
अध्यक्ष

अरविंद पानगड़िया
उपाध्यक्ष

राव इंद्रजीत सिंह
योजना राज्य-मंत्री

डॉ. बिबेक देबरॉय
सदस्य

डॉ. वी.के. सारस्वत
सदस्य

प्रो. रमेश चंद
सदस्य

अमिताभ कांत
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

सलाहकार	वर्टिकल	राज्य
श्री रतन पी. वातल, प्रधान सलाहकार	सामाजिक क्षेत्रक	
श्री यदुवेंद्र माथुर, अपर सचिव (केआईएच)	प्रशासन वर्टिकल	
श्री अनिल कुमार जैन, अपर सचिव (टीआईएच)	इंफ्रा–II, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, परमाणु ऊर्जा, विद्युत, एमएनआरई, पी एंड एनजी, कोयला, विदेश मंत्रालय, प्रवासी भारतीय मामले, सामान्य प्रशासन	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
डॉ. अशोक कुमार जैन, सलाहकार (केआईएच और टीआईएच)	स्वच्छ भारत अभियान, सभी के लिए आवास, मनरेगा, ग्रामीण आजीविका मिशन, आरडी, एचयूपीए, पेयजल एवं स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
डॉ. मनोज सिंह, सलाहकार (केआईएच और टीआईएच)	रेलवे, सड़क और राजमार्ग निर्माण, नागर विमानन, पोत–परिवहन, अवसंरचना भाग–III	हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर
श्रीमती सुनीता सांघी, सलाहकार (केआईएच और टीआईएच)	कौशल विकास, रोजगार, शहरीकरण प्रबंधन	पंजाब, हरियाणा
श्री श्रीकर नाएक, सलाहकार (केआईएच और टीआईएच)	एसजे एंड ई, निःशक्तता मामले, जनजातीय मामले, अल्पसंख्यक, स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ	ओडिसा, पश्चिम बंगाल
सुश्री अन्ना रॉय, सलाहकार (केआईएच)	डाटा प्रबंधन और विश्लेषण, उद्योग, डिजिटल भुगतान अभियान	
डॉ. जे. पी. मिश्रा, सलाहकार (केआईएच और टीआईएच)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि एवं किसान कल्याण, एएचएंडएफ, भूमि संसाधन, खाद्य प्रसंस्करण	गुजरात, उत्तराखंड
डॉ. योगेश सूरी, सलाहकार (केआईएच और टीआईएच)	शासन एवं अनुसंधान, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, रसायन एवं उर्वरक, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, प्रशासनिक सुधार, डीजी (एनआईएलईआरडी) अतिरिक्त प्रभार	कर्नाटक, केरल
श्री एस.एस. गणपति, सलाहकार (केआईएच)	आरडी (पीएमजीएसवाई)	
श्री यू.के. शर्मा, सलाहकार (केआईएच)	एसएंडटी, दूरसंचार, डाक, एमईआईटीवाई, पीआरएजीएटीआई, ई–समीक्षा, ई–ऑफिस, अटल नवोन्मेष मिशन	
श्री प्रवीण महतो, सलाहकार (केआईएच)	पीआईबी/पीपीएसी एवं कार्यक्रम मूल्यांकन सचिवालय	
डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी, सलाहकार (केआईएच और टीआईएच)	एचआरडी (स्कूल, शिक्षा, साक्षरता, उच्चतर शिक्षा, शासी परिषद् सचिवालय एवं समन्वय, आरटीआई, संसद	बिहार, झारखंड
श्री आलोक कुमार, सलाहकार (केआईएच और टीआईएच)	स्वास्थ्य, पोषण, महिला और बाल विकास, एनएचएम, आईसीडीएस, बीबीबीपी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आयुष, एनएसीओ, फार्मा, मेडिकल रिसर्च, महिला एवं बाल विकास, एफआर, प्रशासन, सीएम एंड ओएम	उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु
श्री जितेन्द्र कुमार, सलाहकार (टीआईएच और केआईएच)	प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण, पीएमकेएसवाई, हरित भारत मिशन, पत्तन आधारित विकास का समन्वय, द्वीप विकास, ई एंड एफ, डब्ल्यूआर, डीओएनईआर	असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, नागालैण्ड, संघ राज्य–क्षेत्र
श्री विक्रम सिंह गौड़, संयुक्त सचिव (केआईएच और टीआईएच)	राज्य समन्वय, विकेन्द्रीकृत आयोजना, एमएचए प्रकोष्ठ, पर्यटन और आईबी, संस्कृति, युवा मामले और खेल, खान और खनिज	महाराष्ट्र, राजस्थान
श्री सी. अंगरूप बौध, संयुक्त सचिव	डीएमईओ (प्रशासन और वित्त)	
श्री डी. दास, सलाहकार	डीएमईओ (मूल्यांकन)	

नीति आयोग के उद्देश्य और कार्य

01 जनवरी, 2015 को स्थापित, **राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था या नीति आयोग** की स्थापना भारत सरकार के विचार मंच (थिंक–टैंक) के रूप में कार्य करने के लिए की गई है। भारत के प्रधानमंत्री इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

यह संस्था केंद्र सरकार के नीति निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाती है, राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ रूप से कार्य करती है, एक ज्ञान केन्द्र के रूप में कार्य करती है और भारत सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रगति का अनुवीक्षण करती है (संलग्न चार्ट देखें)। यह संस्था केन्द्रीय और राज्य सरकारों को नीति के प्रमुख घटकों के संबंध में सुसंगत कार्यनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करती है। इसके तहत आर्थिक क्षेत्र के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मामले, देश के भीतर और अन्य राष्ट्रों में उपलब्ध सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेशन तथा विशिष्ट मुद्दों पर सहायता प्रदान करना शामिल है।

भारत सरकार के अग्रणी नीतिगत 'थिंक–टैंक' के रूप में नीति आयोग का लक्ष्य राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। इसका प्रयास परामर्शी और अन्य पद्धतियों के माध्यम से सभी राज्यों के संभव अंगीकरण के लिए राज्यों को एक या अधिक राज्यों या देश के अन्य हिस्सों में विकसित श्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में सूचित करना है। यह राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग और नीतिगत मार्गदर्शन के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देता है ।

यह संस्था रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम तथा पहलों की रूपरेखा तैयार करती है तथा उनकी प्रगति और क्षमता की नियमित रूप से निगरानी करती है। यह निगरानी और फीडबैक के माध्यम से मिली जानकारी का आवश्यक मध्यावधि संशोधनों सहित नवोन्मेषी सुधारों में उपयोग करती है। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन का सक्रिय अनुवीक्षण और मूल्यांकन करता है ताकि कार्यक्रमों और पहलों की सफलता की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके।

आयोग समकालीन मुद्दों और श्रेष्ठ पद्धतियों संबंधी नीतिगत अनुसंधान पत्रों का प्रकाशन करता है, राज्यों को उनकी नीतियों में सुधार करने में सहायता करने के लिए आदर्श कानून तैयार करता है और कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों का आयोजन करता है। निदेशात्मक और नीतिगत सुझाव प्रदान करने के लिए यह सुशासन संबंधी अनुसंधान के भंडार के रूप में कार्य करता है और पणधारकों के बीच इस अनुसंधान का प्रचार करने में सहायता करता है।

नीति आयोग के समस्त कार्यकलापों को दो मुख्य केंन्द्रों—टीम इण्डिया केन्द्र तथा ज्ञान और नवोन्मेष केन्द्र के बीच विभाजित किया गया है। ये दोनों केन्द्र नीति आयोग के कुशल कार्यकरण का मुख्य आधार है। टीम इण्डिया केन्द्र 'सहयोगपूर्ण संघवाद' को बढ़ावा देने तथा 'नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने' के अधिदेश को कार्यान्वित करता है। यह नीति आयोग को राज्यों के साथ इसके कार्यों के संबंध में अपेक्षित समन्वय और सहयोग प्रदान करता है। ज्ञान और नवोन्मेष केन्द्र अत्याधुनिक संसाधन केन्द्र का अनुरक्षण करने; सुशासन और सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों पर अनुसंधान का संग्रह बनने तथा उन्हें पणधारियों तक पहुंचाने और सलाह देने के साथ—साथ कालेजों, विश्वविद्यालयों, थिंक—टैंक और स्वदेशी तथा वैश्विक गैर सरकारी संगठनों सहित प्रमुख पणधारियों को सलाह देने के अधिदेश की पूर्ति सुनिश्चित करता है।

टीम इण्डिया केन्द्र में 6 विषय वर्टिकल तथा ज्ञान और नवोन्मेष केन्द्र में 10 विषय वर्टिकल शामिल हैं। इन वर्टिकलों की सूची निम्नानुसार है:

1. प्रशासन
2. मानव संसाधन विकास, शासी परिषद् सचिवालय और समन्वय
3. कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रक
4. डेटा प्रबंधन और विश्लेषण
5. शासन और अनुसंधान
6. उद्योग
7. अवसंरचना—ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सामान्य प्रशासन एवं लेखा
8. अवसंरचना—कनेक्टिविटी
9. प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण
10. परियोजना मूल्यांकन, सार्वजनिक—निजी भागीदारी मूल्यांकन और सार्वजनिक निवेश बोर्ड
11. ग्रामीण विकास
12. राज्य समन्वय एवं विकेन्द्रीकृत आयोजना
13. विज्ञान और प्रौद्योगिकी
14. सामाजिक क्षेत्रक—I (कौशल विकास, श्रम और रोजगार, शहरी विकास)
15. सामाजिक क्षेत्रक—II (स्वास्थ्य और पोषण, महिला और बाल विकास)
16. सामाजिक न्याय और अधिकारिता

प्रशासन और सहायता एकक

2016–17 में, जब नीति आयोग की स्थापना का दूसरा वर्ष था, इस संस्था ने देश के प्रमुख नीति थिंक—टैंक के रूप में कार्य करने के लिए उचित जनशक्ति से स्वयं को समर्थ बनाने के लिए कई प्रमुख पहलें कीं। इन प्रयासों में प्रमुख हैं—अल्पावधि परामर्शदाताओं के रूप में संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले अनुसंधान सहायकों/अनुसंधान एसोसिएटों/अनुभाग पर्यवेक्षकों की भर्ती के लिए दिशानिर्देश तैयार करना। नीति आयोग को सौंपे गए विशेषीकृत कार्यों को सम्पन्न करने के लिए नीति आयोग ने परामर्शदाता/वरिष्ठ परामर्शदाता नियुक्त करने के लिए भी दिशानिर्देश तैयार किए हैं। चार परामर्शदाताओं को भी नियुक्त किया गया है जिनका कार्य दृष्टिकोण दस्तावेज,

कार्यनीति और कार्य एजेंडा तैयार करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसमें ये कार्य शामिल हैं। शासन और अनुसंधान प्रयासों के भाग के रूप में नीतिगत पहलों का पोर्टफोलियो तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए एक परामर्शदाता को नियुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त इस संस्था ने नौ वरिष्ठ परामर्शदाता/परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं भी की हैं। नीति आयोग के प्रशासन वर्टिकल ने इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन दिए, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए, जाँच की, उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए आवेदकों को लघुसूचीबद्ध किया और उनका साक्षात्कार लिया। नीति आयोग ने अपने कार्यकलापों के लिए आवश्यक होने पर ज्ञान सहायता उपलब्ध कराने हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति की।

नीति आयोग द्वारा नियुक्त किए गए यंग प्रोफेशनल को सार्वजनिक नीति, आयोजना की अद्वितीय जानकारी प्राप्त होती है जबकि वे अर्थशास्त्र, वित्त, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, समाज विज्ञान, अभियांत्रिकी, शहरी आयोजना और अवसंरचना में अनुसंधान के माध्यम से उच्च गुणवत्तात्मक व्यावसायिक आदान भी उपलब्ध कराते हैं। नीति आयोग द्वारा 2016 में प्रारम्भ की गई इंटर्नशिप स्कीम के अन्तर्गत पूर्वस्नातक/स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों और शोध छात्रों को विभिन्न प्रभागों में तैनात करके सरकार के कार्यकरण से उन्हें परिचित कराने का अवसर प्रदान किया जाता है। इंटर्न नीति आयोग के कार्यों से संबंधित शोध पत्रों पर कार्य करते हैं और विभिन्न प्रभागों के विश्लेषण कार्य में सहायता भी करते हैं।

दिसम्बर, 2016 में, नीति आयोग ने "नीति अनिवासी अध्येता" और नीति अनिवासी वरिष्ठ अध्येता के रूप में प्रतिष्ठित विद्वानों और विशेषज्ञों के साथ सहयोजित होने का एक कार्यक्रम भी प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य भारत सरकार के नीति निर्माण प्रयासों में शामिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवियों को, उनके नियमित कार्यकलापों में कोई व्यवधान उत्पन्न किए बिना थिंक–टैंक में हो रहे प्रमुख अनुसंधान कार्य में परस्पर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए सहयोजित किया जाए। इसके अतिरिक्त कार्यदल की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर अब जीसीएस पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन किया जा रहा है।

नीति आयोग से सम्बद्ध कार्यालय

पूर्ववर्ती कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (आईईओ) का विलय करके 18 सितम्बर, 2015 को विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) का गठन किया गया है; और नीति आयोग को सौंपे गए मूल्यांकन एवं अनुवीक्षण संबंधी अधिदेश को पूरा करने हेतु इसे नीति आयोग के तत्वाधान में एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) की स्थापना 1962 में की थी। यह नीति आयोग, योजना मंत्रालय से सम्बद्ध एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, डॉ. अरविंद पानगड़िया इसकी सामान्य परिषद् के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अमिताभ कांत कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष हैं और डॉ. योगेश सूरी, सलाहकार को (एनआईएलईआरडी) के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य मानव पूंजी आयोजना और मानव संसाधन विकास के सभी पहलुओं में अनुसंधान, डाटा संग्रहण और शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करना है।

नीति निर्धारण और कार्यक्रम निर्माण

1. रुग्ण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों की तालाबंदी

प्रधानमंत्री कार्यालय ने नीति आयोग से सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों का गहन विश्लेषण करने और उनकी भावी दिशा की सिफारिश करने को कहा था। तदनुसार, आयोग ने द्वि–स्तरीय प्रक्रिया शुरू की जिसके द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति ने राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों का विस्तृत विश्लेषण किया। इस समिति ने उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली समिति को अपने निष्कर्षों से अवगत कराया। सिफारिशों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई। तत्पश्चात् मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के कई रूग्ण उद्यमों को बंद करने का निर्णय लिया। बंद करने की प्रक्रिया चल रही है।

2. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यनीतिक विनिवेश

बजट 2016–17 में नीति आयोग को ऐसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पहचान करने का अधिदेश दिया गया था जिनका कार्यनीतिक विनिवेश किया जा सकता है। इस कार्य में अन्य के साथ–साथ निम्नांकित भी शामिल थे:

(i) कार्यनीतिक बिक्री के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पहचान

(ii) अंतरित किए जाने वाले शेयरों की संख्या के संबंध में सलाह

(iii) बिक्री के तौर–तरीके के संबंध में सिफारिश

(iv) मूल्यांकन पद्धति के संबंध में सलाह

इस भूमिका के लिए नीति आयोग ने आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने मई और अगस्त, 2016 में दो किस्तों में अपनी सिफारिशें भेजीं। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने कार्यनीतिक विनिवेश के संबंध में समिति की सत्रह सिफारिशों को अक्तूबर, 2016 में सैद्धांतिक रूप से सहमति दी। निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) विभाग मामला–दर–मामला आधार पर सिफारिशों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है। अब समिति सिफारिश की तीसरी किस्त पर चर्चा कर रही है।

74 रुग्ण/घाटे वाली तथा गैर–लाभकारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थिति की समीक्षा के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में मार्च, 2016 में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मई, 2016 में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया और इसकी सिफारिशों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से कार्यान्वित करने की प्रक्रिया चल रही है। सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुज्जीवन पैकेज की समीक्षा के अनुवीक्षण हेतु जुलाई, 2016 में नीति आयोग के सदस्य डॉ बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति का कार्य प्रगति पर है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के कार्यनीतिक विनिवेश के लिए उठाए गए कदम सरकार द्वारा 13 वर्ष बाद उठाए गए अपनी तरह के पहले कदम हैं। सीपीएसई के संबंध में नीति आयोग के काम में 235 प्रचालित सीपीएसई में से आधे से अधिक शामिल हैं और यह सीपीएसई के कामकाज की सबसे

व्यापक समीक्षा है ताकि उन्हें मौजूदा समय के अनुसार अधिक कुशल बनाया जा सके।

3. अटल नवोन्मेष मिशन

माननीय प्रधानमंत्री ने स्टार्ट–अप इंडिया योजना के तहत 16 जनवरी को अटल नवप्रवर्तन मिशन की औपचारिक रूप से शुरुआत की जिसके लिए स्वरोजगार तथा प्रतिभा उपयोग (सेतु) का विलय किया गया। नीति आयोग में इस मिशन की स्थापना 2015-16 के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री की घोषणा के अनुरूप थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग में समुचित जनशक्ति एआईएम और सेतु की स्थापना को 24 फरवरी, 2016 को मंजूरी दी। तदुपरान्त नीति आयोग में एक मिशन निदेशालय की स्थापना की गई है जिसके मिशन निदेशक नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। मिशन के लिए सितम्बर और नवम्बर, 2016 के बीच चार प्रबंधकों की नियुक्ति की गई ताकि मिशन के कार्य सुचारू तरीके से चल सकें। मिशन की उच्चस्तरीय समिति (एमएचएलसी) की 8 जनवरी, 2016 को आयोजित पहली बैठक के निर्देशों के अनुसार, मिशन निदेशालय ने संगत अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्यशैलियों का अध्ययन करने के बाद मुख्य संबंधित पक्षों के परामर्श से निम्नांकित प्रमुख चिन्हित पहलों का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया:

क. महाचुनौती: भारत की सर्वाधिक जटिल समस्याओं का सस्ता समाधान ढूंढना

ख. अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं (एटीएल) की स्थापना

ग. अटल उद्भवन केंद्रों (एआईसी) की स्थापना

घ. स्थापित उद्भवन केंद्रों (ईआईसी) का सुदृढ़ीकरण

एमएचएलसी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 19 अप्रैल, 2016 को आयोजित अपनी दूसरी बैठक में चार मुख्य पहलों में से तीन–अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं (एटीएल) की स्थापना, अटल उद्भवन केंद्रों (एआईसी) की स्थापना और स्थापित उद्भवन केंद्रों के सुदृढीकरण के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी।

एटीएल और एआईसी के लिए ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड–दोनों से मई, 2016 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। संचार माध्यमों से इसका व्यापक प्रचार कर विभिन्न विद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों, व्यक्तियों और कॉरपोरेट को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कुल मिलाकर एटीएल की स्थापना के लिए विद्यालयों से 13,005 आवेदन, एआईसी की स्थापना के लिए इकाइयों (शिक्षा संस्थानों, कॉरपोरेट और व्यक्तियों से) 3658 आवेदन और सुदृढ़ीकरण सहायता के लिए स्थापित उद्भवन केंद्रों (ईआईसी) (ब्राउनफील्ड एआईसी) से 232 आवेदन प्राप्त हुए।

एआईसी/ईआईसी और एटीएल के चयन के लिए क्रमशः डीएसटी के सचिव और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में दो अंतर–मंत्रालय संवीक्षा–सह–चयन समितियों (एसएससी) का गठन किया गया। एटीएल और एआईसी का चयन पारदर्शी तरीके से तथा प्रतिभा आधार पर करने के लिए एआईएम ने संवीक्षा और चयन प्रक्रिया विकसित की और संबंधित एसएससी ने उसका अनुमोदन किया।

अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना: चयन प्रक्रिया के अंतिम दौर के लिए शुरुआती संवीक्षा के बाद, नवम्बर के पहले सप्ताह में देश के छह शहरों में 595 विद्यालयों को आमंत्रित किया गया। प्रत्येक आमंत्रित विद्यालय से अपने स्थानीय क्षेत्रों की दो चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान सुझाने को कहा गया। इन छह केन्द्रों में प्रत्येक केंद्र पर स्वतंत्र निर्णायक मंडल ने इन समाधानों की समीक्षा की। इस दौर में मिले अंक के आधार पर, पहले चरण में 257 शीर्ष विद्यालयों को दिसम्बर, 2016 में एटीएल प्रदान किया गया और फिलहाल इन विद्यालयों को वित्तीय अनुदान दिया जा रहा है।

अटल उद्भवन केंद्रों की स्थापना: एसएएससी द्वारा अनुमोदित वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर एक व्यापक संवीक्षा प्रक्रिया अपनाई गई। अंतर–मंत्रालय समूह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 60 से ज्यादा चुनिंदा आवेदकों का साक्षात्कार लिया। अंतर–मंत्रालय समूह की सिफारिश के आधार पर चुनिंदा आवेदकों को एसएएसएसी द्वारा अंतिम राउंड के लिए चुना जाएगा।

स्थापित उद्भवन केंद्रों को सहायता में वृद्धि: स्थापित उद्भवन केंद्रों को सहायता बढ़ाने के कार्यक्रम के लिए देश के शीर्ष उद्भवन केंद्रों में से 17 को एसएएससी में ईआईसी पर प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया और उनकी प्रस्तुतियों के आधार पर शीर्ष आवेदकों में से छह का चयन इस अनुदान के लिए किया गया है। ईआईसी को सहायता बढ़ाने के लिए एक विस्तृत समझौता ज्ञापन पर काम किया जा रहा है।

अटल महाचुनौती: भारत की चुनौतियों के कुशल, विस्तार योग्य, सस्ते और विश्वस्तरीय समाधानों के लिए महाचुनौती आयोजित करने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का फिलहाल मूल्यांकन किया जा रहा है। चूंकि महाचुनौती पुरस्कारों की पहचान एक जटिल प्रक्रिया है, अतः यह निर्णय लिया गया है कि चरणबद्ध रूप में एजीसी की शुरुआत की जाएगी। उदाहरण के लिए, सबसे पहले दो समस्याओं के साथ दो चुनौतियां पेश की जाएंगी। इनमें से एक को कम समय (लगभग 2 वर्ष) में पूरा किया जा सकता है और दूसरे में अधिक समय (लगभग 4 वर्ष) लगेगा। तदुपरान्त, पर्याप्त अंतराल के बाद अन्य चिन्हित चुनौतियां पेश की जाएंगी ताकि पहले चरण के अनुभव का लाभ लिया जा सके। भारत सरकार को इन चुनौतियों के समुचित समाधान करने वाले नागरिकों के उपायों को अपनाना चाहिए ताकि नागरिकों के लाभार्थ उन्हें देश भर में लागू किया जा सके। इसे सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों के परामर्श से एक अभेद्य प्रक्रिया तैयार करने की आवश्यकता है।

4. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम और भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में सुधार

मार्च, 2016 में स्वास्थ्य क्षेत्र की समीक्षा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसमें प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और स्वास्थ्य सचिव को भारतीय चिकित्सा परिषद में सुधारों के लिए सभी विकल्पों की पड़ताल कर आगे का मार्ग सुझाना था। समिति ने विख्यात फिजिशियनों और शल्य चिकित्सकों, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के पूर्व सचिवों, लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, भारतीय चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों तथा वकीलों सहित विभिन्न विशेषज्ञों से विचार और सुझाव लिए।

इसके उपरान्त समिति द्वारा 'राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक' का मसौदा तैयार किया गया। इस विधेयक को इंटरनेट पर डाला गया ताकि जनता और अन्य पक्षों के विचार प्राप्त किये जा सकें। आम जनता, विशेषज्ञों (समिति द्वारा आमंत्रित लोगों सहित), निजी चिकित्सा विश्वविद्यालयों, एडवोकेसी समूहों, भारतीय चिकित्सा परिषद और राज्यों से लगभग 14,500 सुझाव/विचार प्राप्त हुए। गहन चर्चा के बाद समिति ने भारतीय चिकित्सा परिषद को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से प्रतिस्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दिया जिसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा जाना है।

इसी प्रकार, होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद में सुधार के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा आयुष के सचिव भी शामिल हैं। इस समिति को होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम के विधिक उपबंधों और इसके कामकाज के तौर–तरीकों की पड़ताल करने तथा आवश्यक सुधारों के सुझाव देने का अधिदेश दिया गया है। फिलहाल संबंधित पक्षों के साथ परामर्श किया जा रहा है।

5. मुम्बई-अहमदाबाद द्रुतगति रेल गलियारा

नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति जिसमें अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, विदेश सचिव, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन सदस्य हैं जापान के साथ संयुक्त रूप से की जा रही अपनी तरह की पहली द्रुतगति रेलवे परियोजना पर तालमेल कर रही है। यह समिति जापान की अपने समकक्ष समिति के साथ निकटता से कार्य कर रही है। दोनों समितियों को इकट्ठे संयुक्त समिति कहा गया है इनकी चार बैठकें हुई, एक बैठक मुम्बई में, एक बैठक टोक्यो में और दो बैठकें नई दिल्ली में नीति आयोग में हुई है। संयुक्त समिति ने यह सुनिश्चित किया है कि परियोजना अल्पावधि में पूरी हो और आसानी से आगे बढ़े।

6. भारत में डिजिटल भुगतान अभियान

डिजिटल तरीके से अधिकतम सरकार–नागरिक लेन–देन संव्यवहार द्वारा आम जनजीवन से कालाधान और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए डिजिटल भुगतान विकल्प को प्रोत्साहित करना भारत सरकार की कार्यनीति का एक अभिन्न अंग है। इसके लिए, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में प्रयोक्ता अनुकूल डिजिटल भुगतान विकल्पों की पहचान करने और उन्हें यथासंभव शीघ्र प्रयोग में लाने के लिए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में 25 नवम्बर, 2016 को सचिवों की एक समिति का गठन किया गया।

नीति आयोग ने पारदर्शिता, वित्तीय समावेशन और राष्ट्रव्यापी निरापद वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 30 नवम्बर, 2016 को डिजिटल भुगतान पर मुख्यमंत्रियों की एक समिति का भी गठन किया है। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू इस समिति के संयोजक हैं। समिति को यह भी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई कि छोटे शहरों और छोटे कारोबारियों सहित समग्र देश के नागरिक डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपनाएं।

सचिवों की समिति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक डिजिटल भुगतान प्रणालियों की पहचान करना और उनकी उपलब्धता और प्रयोग में आसानी के प्रयासों का समन्वय करना है। मुख्यमंत्रियों की समिति का उद्देश्य मुख्य रूप से डिजिटल भुगतान पर आधारित अर्थव्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रयासों की पहचान करना और भारतीय संदर्भ में इन वैश्विक मानकों को अपनाने की संभावनाओं की जांच करना भी था।

यह समिति डिजिटल अर्थव्यवस्था को अपनाने से होने वाले लाभों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने और उनकी सहायता करने के उद्देश्य से अधिक–से–अधिक लोगों से सम्पर्क करने के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है। यह राज्यों में प्रशासनिक तंत्र के लिए रूपरेखा तैयार करेगी ताकि डिजिटल भुगतान तरीकों को अपनाया जा सके।

आम जनता, सूक्ष्म उद्यमों और अन्य पणधारकों के बीच किए जाने वाले सचेतक प्रयासों की हिमायत, जागरूकता और समन्वय संबंधी एक कार्य योजना तैयार की गई। सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के लिए उपयुक्त सामग्री तैयार की गई है ताकि निचले स्तर तक डिजिटल भुगतान का उपयोग सुनिश्चित हो सके।

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों, व्यापार और उद्योग निकायों के साथ–साथ अन्य सभी पणधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए नीति आयोग द्वारा प्रस्तुतियां/विचार–विमर्श कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसके अलावा नीति आयोग सारे भारत में 100 शहरों में 100 दिनों के लिए डिजिधन मेलों को आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने मेलों का आरंभ संयोग से क्रिसमस के दिन 25 दिसम्बर को किया। इन मेलों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न प्रयोक्ता अनुकूल सुरक्षित डिजिटल भुगतान तरीकों के उपयोग के बारे में नागरिक प्रशिक्षित हो सकें। वे नीति आयोग की दो मुख्य प्रोत्साहन स्कीमों 'लकी ग्राहक योजना' और डिजिधन व्यापार योजना' लाटरी निकालकर चयन के माध्यम से डिजिटल भुगतान के तरीकों को बढ़ावा देते हैं। नीति आयोग द्वारा नकद उपयोग के बजाय डिजिटल भुगतान तरीकों को अपनाने पर प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों का अध्ययन करने पर स्कीमें शुरू की गई। इसके अलावा 5 करोड़ जन–धन खातों को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने के लिए राज्यों को केंद्र द्वारा 50 करोड़ रु. केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने की एक अन्य स्कीम शुरू की गई।

7. द्वीप समूहों का समग्र विकास

नीति आयोग ने चिन्हित द्वीपों के लिए समुद्री व्यापार, पोत परिवहन, मत्स्य–पालन, पारि–पर्यटन, अंतःसमुद्री खनन, तेल और गैस तथा अन्य सामाजिक–आर्थिक क्रियाकलापों को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसका उद्देश्य द्वीपों में डीजल को प्रतिस्थापित करने के लिए गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना है, जैसे–सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा आदि।

नीति आयोग ने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और संघराज्य क्षेत्र प्रशासन और अन्य संबंधित पक्षों के परामर्श से पहले चरण में समग्र विकास के लिए 10 द्वीपों का चयन किया है जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्मिथ, रॉस, लॉंग, एविस और लिटिल अंडमान और लक्षद्वीप के मिनीकॉय, बांगरम, तिनाकरा, चेरियम और सुहेली शामिल हैं। नीति आयोग को संधारणीय विकास के अनूठे मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित द्वीपों में समग्र विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने और संधारणीयता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक द्वीप के लिए व्यापक विकास योजना तैयार करने का अधिदेश दिया गया है।

10 चिन्हित द्वीपों के समग्र विकास के लिए अवधारणा विकास योजना और विस्तृत मास्टर योजना तैयार करने हेतु परामर्शदाताओं के चयन हेतु अर्हता अनुरोध–सह–प्रस्ताव अनुरोध (आरएफक्यू–सह–आरएफपी) जारी कर दिया गया है और परामर्शदाता के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

8. तटीय रोजगार क्षेत्र

नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा तटीय रोजगार क्षेत्रों (सीईजेड) के बारे में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री तथा अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों के समक्ष 18 जून, 2016 को दी गई प्रस्तुति के उपरान्त, नीति आयोग ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक दल के साथ 7 दिसम्बर, 2016 को एक चर्चा–सत्र आयोजित किया। उपाध्यक्ष ने सीईजेड के लिए नीति आयोग की दृष्टि प्रस्तुत की जिसमें ऐसे देशों द्वारा अपनाए गए विकास मार्गों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया था जो विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन और निर्यात के मामले में सफल रहे हैं, जैसे–चीन और दक्षिण कोरिया। विभिन्न कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने इस प्रस्तुति को बहुत पसंद किया और उनसे भारत में सीईजेड को सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण इनपुट प्राप्त हुए।

नीति आयोग का दृष्टिकोण यह है कि सीईजेड से जुड़ने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान को 10 वर्षीय कर छूट से लाभ होगा और 20,000 लोगों को नियोजित करने पर विश्वस्तरीय अवसंरचना तथा कारोबारी सहूलियतें मिलेंगी। देश में सीईजेड के विकास के लिए भारत शेंजेन के सफल मॉडल को अपनाएगा। नीति आयोग के दलों ने उपाध्यक्ष के नेतृत्व में गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्यों का दौरा भी किया ताकि सीईजेड के लिए संभावित स्थानों का पता लगाया जा सके और दोनों राज्यों की सरकारों ने इस पहल को समर्थन देने में रुचि दिखाई है। इस महत्वपूर्ण पहल पर केंद्र सरकार के साथ आगे की चर्चा चल रही है।

प्रतिस्पर्धी सहयोगपूर्ण संघवाद

नीति आयोग का गठन भारत में सहयोगपूर्ण संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने, सुशासन को संभव बनाने और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने वाले सशक्त राज्यों का निर्माण करने के लिए किया गया है। वास्तविक संघीय ढांचे में हासिल किए जाने योग्य अनेक उद्देश्यों का पूरे देश में राजनीतिक प्रभाव हो सकता है। राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग के बिना किसी भी संघीय सरकार के लिए राष्ट्रीय उद्देश्यों को हासिल करना असम्भव है। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि केन्द्र और राज्य सरकारें बराबर के भागीदारों के रूप में एक साथ मिलकर कार्य करें। सहयोगपूर्ण संघवाद के दो महत्वपूर्ण पहलू निम्नानुसार हैं :

(i) केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय विकास एजेंडा तैयार करना,

(ii) केन्द्रीय मंत्रालयों में राज्य परिप्रेक्ष्यों का समर्थन करना।

इसके अनुरूप, नीति आयोग को राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने का अधिदेश दिया गया है। इन प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय उद्देश्यों को परिलक्षित करना चाहिए और राज्यों को सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना चाहिए। नीति आयोग को, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करने और इन्हें उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतर स्तरों तक पहुंचाने में भी राज्यों की मदद करनी चाहिए। इसका उद्देश्य, उस चरण, जब विकास नीतियों का निर्णय केन्द्र द्वारा लिया जाता था, से वास्तव में संघीय सरकार की दिशा में प्रगति करना है जिसमें राज्य आयोजना प्रक्रिया में बराबर के पणधारक होते हैं।

सरकार की राज्य सरकारों को शामिल करने की नीति, नीति आयोग की विचार–विनिमय की प्रक्रियाओं में अंतर से परिलक्षित होती है। नीति आयोग ने अपने अधिदेश के अनुरूप 2016–17 में यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहलें की हैं कि राज्य, नीति निर्माण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में बराबर के भागीदार हों। इस खण्ड में ऐसी प्रत्येक पहल पर विस्तृत चर्चा की गई है :

1. कृषि में सुधार

क. आदर्श भूमि पट्टाकरण कानून

भूमि को पट्टे पर लेने और देने की बढ़ती घटनाओं और कृषकों की अपेक्षाकृत कम संख्या के साथ भूमि के अव–इष्टतम उपयोग को देखते हुए नीति आयोग ने काश्तकारों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और भू–स्वामियों के हितों की रक्षा करने के दोहरे उद्देश्य से आदर्श कृषि भूमि पट्टाकरण अधिनियम 2016 तैयार किया है। नीति आयोग में भूमि सुधारों के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया था। आदर्श कृषि भूमि पट्टाकरण अधिनियम प्रकाशित किया गया है और राज्यों को परिचालित किया गया है ताकि उन्हें अपने–अपने कृषि भूमि पट्टाकरण कानूनों को अधिनियमित करने में सुविधा हो। इस आदर्श अधिनियम के आधार पर मध्य प्रदेश ने पृथक भूमि पट्टाकरण कानून बनाया है और उत्तर प्रदेश ने अपने भूमि पट्टाकरण कानूनों को संशोधित किया है। ओडिसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित कुछ राज्य कृषि के लिए अपने भूमि पट्टाकरण कानून बनाने के लिए विधि–निर्माण के उन्नत चरणों में हैं।

ख. कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में सुधार

नीति आयोग द्वारा, राज्यों में परिचालित करने हेतु, भारतीय राज्यों द्वारा कृषि बाजार सुधारों के कार्यान्वयन संबंधी स्थिति नोट तैयार किया गया और इसके बाद 21 अक्तूबर, 2016 को निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण सुधारों पर विचार–विमर्श किया गया :

(i) कृषि विपणन सुधार

(ii) निजी भूमि पर उगाए गए वृक्ष उत्पादों को काटने और ढोने संबंधी कानून

(iii) कृषि भूमि पट्टाकरण

नीति आयोग द्वारा बाजारों के उदारीकरण, फलों और सब्जियों को अनधिसूचित करने तथा आईटी समर्थित राष्ट्रीय बाजार के सृजन पर जोर देते हुए कृषि में विपणन से संबंधित तीन महत्वपूर्ण सुधारों की सिफारिश की गई है।

ग. कृषि विपणन और कृषक अनुकूल सुधार सूचकांक

नीति आयोग ने प्रथम ''कृषि विपणन और कृषक अनुकूल सुधार सूचकांक'' तैयार किया है ताकि राज्यों को तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों – कृषि विपणन सुधार, भूमि पट्टाकरण सुधार और निजी भूमि पर वनरोपण (पेड़ों की कटाई और ढुलाई) में सुधारों के लिए संजीदा बनाया जा सके। इस सूचकांक के तहत शून्य से लेकर 100 तक अंक निर्धारित किए गए हैं जिसमें न्यूनतम ''शून्य'' का अर्थ है कोई सुधार नहीं किया और अधिकतम ''100'' का अर्थ है चुनिंदा क्षेत्रों में पूर्ण सुधार की स्थिति।

राज्यों और संघ राज्य–क्षेत्रों को सूचकांक के अंकों के आधार पर क्रम दिया गया है। इन संकेतकों का उद्देश्य कृषि व्यवसाय करने की सुगमता, किसानों को आधुनिक व्यापार और वाणिज्य का लाभ उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों तथा अपने उत्पादों को बेचने के लिए उपलब्ध विकल्पों के संबंध में प्रत्येक राज्य की स्थिति का खुलासा करना है। ये संकेतक कृषि बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता, कुशलता और पारदर्शिता को भी दर्शाते हैं।

नीति आयोग के सूचकांक के अनुसार, विभिन्न कृषि सुधारों के कार्यान्वयन में महाराष्ट्र का सर्वोच्च स्थान है। इस राज्य ने अधिकांश विपणन सुधारों को कार्यान्वित कर दिया है और यह सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि व्यवसाय करने के लिए सर्वोत्तम परिवेश उपलब्ध कराता है। 100 में से 71.50 अंकों के साथ गुजरात का दूसरा स्थान है और इसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश आते हैं। वर्ष 2016-17 में लगभग दो–तिहाई राज्य सुधार सूचकांक के तहत 50 प्रतिशत अंक भी नहीं प्राप्त कर सके हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर जैसे राज्य शामिल हैं। अतः इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को अभिप्रेरित करना और कृषक–अनुकूल सुधारों के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का प्रसार करना है।

2. स्वास्थ्य, शिक्षा और जल प्रबंधन में राज्यों के कार्य-निष्पादन को मापने वाले सूचकांक

2016-17 में, नीति आयोग ने तीन प्रमुख सूचकांक विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है जो भारत में प्रतिस्पर्धी, सहयोगपूर्ण संघवाद को प्रेरित करेंगे। यह संस्था स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और जल के महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक विकास क्षेत्रकों में परिणाम–आधारित अनुवीक्षण फ्रेमवर्क स्थापित कर रही है। इस फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य इनमें से प्रत्येक क्षेत्रक में प्रमुख कार्य–निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के संबंध में राज्यों के कार्य–निष्पादन की समीक्षा के माध्यम से राज्यों में महत्वपूर्ण नीति के कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगाना है। प्रत्येक राज्य से अनुरोध किया जाएगा कि वह नीति आयोग द्वारा समीक्षा और विधिमान्यकरण के लिए अपने–अपने केपीआई डेटासैट प्रस्तुत करे।

क. स्वास्थ्य परिणाम सूचकांक का निष्पादन

राज्यों द्वारा प्रदान की गई स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर नीति आयोग द्वारा "स्वास्थ्य परिणामों के निष्पादन" सूचकांक का प्रारम्भ किया गया। इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों को स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तनकारी कार्रवाई करने की ओर प्रेरित करना है। नीति आयोग ने इस कार्य के लिए सूचकांक की विशेषताओं, उपायों और आंकडे एकत्र करने के तरीकों का उल्लेख करते हुए दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं। इस सूचकांक और उसे उपयोग करने के दिशानिर्देशों को शिक्षाविदों और विकास भागीदारों सहित स्वास्थ्य और आर्थिकी के घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से प्राप्त तकनीकी आदानों के आधार पर तैयार किया गया है ताकि इसे अंतिम रूप देने से पूर्व दो राज्यों में संकेतकों के बहु–चलन और पूर्व परीक्षण के जरिए राज्यों की प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। यह सूचकांक प्रत्येक राज्य की ऐतिहासिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वार्षिक वर्धित सुधारों को दर्ज करेगा। इस पहल की परिकल्पना सामाजिक क्षेत्र के उन परिणामों को सामने लाने के लिए की गई है जिनमें अधिक सुधार किया जाना अपेक्षित है और जो देश की आर्थिक वृद्धि के साथ–साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इनका उपयोग स्वास्थ्य परिणामों और डाटा संग्रह प्रणालियों में सुधार करने के लिए राज्यों की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। अनुवीक्षण योग्य संकेतक जो स्वास्थ्य क्षेत्र में संधारणीय विकास लक्ष्यों का हिस्सा होते हैं, उन्हें इन पहलों को अनुरूप बनाने के लिए शामिल किया जाएगा। यह सूचकांक राज्य स्तर पर स्वास्थ्य निष्पादन के अनुवीक्षण में भी सहायक होगा, जिससे इस प्रणाली में पारदर्शिता आ सकेगी।

ख. सीखने के परिणाम माप में सुधार करने हेतु विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक

नीति आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की भागीदारी में विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (एसईक्यूआई) की संकल्पना और अभिकल्पना की है। एसईक्यूआई एक ऐसा संयुक्त सूचकांक है जो शिक्षा की गुणवत्ता के मुख्य क्षेत्रों में राज्यों की वार्षिक उन्नति को सूचित करेगा। इस सूचकांक का वृहत दृष्टिकोण, राज्यों के ध्यान को परिणामों, सतत वार्षिक सुधारों के लिए उद्देश्यपूर्ण मानक उपलब्ध कराने और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्य के नवाचारों को प्रोत्साहित करने की ओर केंद्रित करना है।

वर्तमान में एसईक्यूआई का 60 प्रतिशत परिणाम शिक्षा प्राप्त करने के परिणामों पर आधारित है। अतः उच्च गुणवत्ता लर्निंग डाटा उपलब्ध होना कठिन है। नीति आयोग ने एसईक्यूआई के लिए अपेक्षित डाटा सृजित करने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सर्वेक्षण करने का तरीका विकसित किया है:–

- सभी बच्चों (सरकारी, निजी और स्कूल से बाहर के बच्चे) का प्रतिनिधित्व।
- प्राथमिक, उच्च–प्राथमिक और माध्यमिक श्रेणियों में विश्वसनीय स्कोर सृजित करना।
- बुनियादी साक्षरता वाले बच्चों के प्रतिशत और शुरूआती ग्रेडों में संख्यात्मक क्षमताओं की गणना।
- उपेक्षित समूहों (अनु.जाति/अनु.ज.जाति) के निष्पादन को दर्ज करना और सामान्य श्रेणी से उसकी तुलना करना।
- राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के पिछले चक्रों (चक्र 3/चक्र 4) की तुलना।

नीति आयोग की योजना विशेषज्ञों और संगठनों के साथ तकनीकी बैठक की मेजबानी करने की है ताकि डिजायन और प्रचालनों के आकलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जा सके। इसका उद्देश्य ऐसी आकलन प्रणाली की रूपरेखा तैयार करना है जो या तो मौजूदा मापन कार्यों (अर्थात् एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के लिए) के माध्यम से प्रचालित हो सके अथवा स्वतंत्र रूप से मापन हो सके।

ग. जल प्रबंधन सूचकांक

भारत के लिए जल संसाधन के सतत प्रबंधन की जटिलता की दृष्टि से नीति आयोग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सक्रिय सहभागिता से संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक विकसित कर रहा है। इस सूचकांक को संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्यों और अन्य पणधारकों के परामर्श से विकसित किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए सिंचाई स्थिति, पेयजल और अन्य जल संबंधी क्षेत्रों के 33 प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) की पहचान की गई है। स्रोत वृद्धि, बड़ी और मध्यम सिंचाई, जलसंभर विकास, सहभागी सिंचाई कार्य, खेत पर स्थायी जल उपयोग, ग्रामीण पेयजल, शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता, बाढ़ प्रबंधन और नीति एवं शासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और योजना सचिवों का सम्मेलन

नीति आयोग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और योजना सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन 27 जुलाई, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों और केंद्र के बीच हुए महत्वपूर्ण मामलों के सहयोग से संबंधित महत्वपूर्ण आदान राज्यों से एकत्र करना था, जो सफल रहा। इस सम्मेलन में जिन कार्यनीतिक क्षेत्रों पर विचार–विमर्श किया गया वे थे – 'योजना' और 'गैर योजना' वर्गीकरण विलय का प्रस्ताव, संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की सुपुर्दगी, राज्यों के लिए विकास सहायता सेवाएं (डीएसएसएस) जैसी राज्यों के लिए नीति आयोग की तकनीकी सहायता पहल, अच्छे रोजगार और द्विअंकीय वृद्धि सृजन, राज्यों के अच्छे कार्य आदि। इस सम्मेलन में सभी राज्यों और संघ राज्य–क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी रही और महत्वपूर्ण नीति विषयक मुद्दों पर आदान एकत्र हो सके।

4. शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण

भारत सरकार ने नागरिकों के जीवन–स्तर की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मूलभूत शहरी अवसंरचना की उपलब्धता में सुधार करने के उद्देश्य से जीर्णोद्धार और शहरी परिवर्तन के लिए अटल अभियान (अमृत) और स्मार्ट सिटी नामक शहरी जीर्णोद्धार अभियान शुरू किए हैं। तथापि यह सर्वमान्य है कि इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में शहरी परिवर्तन के दृष्टिकोण को स्वीकार करने में एक सबसे बडी बाधा है शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता बाध्यताएं। नीति आयोग ने सिंगापुर सहयोग उद्यम के साथ हुए समझौता ज्ञापन के तहत शहरी स्थानीय निकायों, पैरास्टाटल निकायों और राज्य सरकार के कर्मचारियों का क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से अप्रैल, 2016 में "शहरी प्रबंधन कार्यक्रम" नामक एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रारम्भ किया था। इस कार्यक्रम में सात राज्य–नामतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश दिल्ली और असम शामिल थे।

इस कार्यक्रम में शामिल किए गए तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं :–

(i) शहरी आयोजना और शासन

(ii) जल, अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

(iii) सार्वजनिक–निजी वित्तपोषण (पीपीपी)

इस कार्यक्रम का उद्घाटन नीति आयोग के उपाध्यक्ष और भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त ने किया। इस कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार जानकारी साझा करने संबंधी तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें सभी राज्यों के विभागों के संबंधित अधिकारियों के साथ सिंगापुर के विशेषज्ञों ने विचार–विमर्श किया। नवम्बर, 2016 में राज्य के प्रतिभागियों के लिए सिंगापुर के क्षेत्र दौरे का आयोजन किया गया और इस वर्ष जनवरी में, नई दिल्ली में तीन सलाहकार सत्रों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का समापन नीति आयोग के सदस्य डॉ बिबेक देबराय की अध्यक्षता में 20 जनवरी, 2017 को किया गया। समापन समारोह में शहरी क्षेत्र की पहचान की गई मुख्य चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिभागी राज्यों द्वारा तीन कार्यनीतिक आधारभूत ढाँचों पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। इन ढाँचों के संबंध में अन्य राज्यों के साथ मार्च, 2017 में विचार विमर्श किया जाएगा।

थिंक-टैंक के कार्य

1. भारत का दृष्टि-पत्र

मार्च 2017 के अंत में 12वीं योजना अवधि की समाप्ति के साथ भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के युग का अंत हो जाएगा। अब देश हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार सुविचारित दीर्घकालिक विजन को कार्यान्वित करने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री ने भारत के लिए 15 वर्षीय दृष्टि–पत्र तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य, अग्रणी नीतिगत थिंक–टैंक नीति आयोग को सौंपा है।

नीति आयोग ने दृष्टि–पत्र तैयार करने का कार्य 2016 की शुरूआत में आरंभ किया था। यह विजन भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है जिनमें संधारणीय विकास लक्ष्य भी शामिल हैं जिनके कार्यान्वयन का दायित्व भी भारत के मामले में नीति आयोग को सौंपा गया है। 15 वर्षीय विजन के पूरक के रूप में सात वर्षीय कार्यनीति होगी और इस विजन का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तीन वर्ष का कार्य एजेंडा होगा।

7 वर्षीय कार्यनीति का उद्देश्य, दीर्घकालिक विजन को, "राष्ट्रीय विकास एजेंडा" के एक भाग के रूप में कार्यान्वयन योग्य नीति में बदलना है जिसमें 3 वर्षों के बाद मार्च 2020 में मध्यावधि समीक्षा की व्यवस्था भी होगी। 2017-18 से 2019-20 तक कार्यान्वित किया जाने वाला 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 14वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान वित्तीय संसाधनों की प्रदायगी का पूर्वानुमान लगाकर भारत के लक्ष्यों को कार्यनीतिक रूप से, संसाधनों की उपलब्धता के साथ समंजित करता है। इससे सरकार के लक्ष्यों को 2020 तक कार्रवाई में परिणत करना सुनिश्चित होगा।

नीति आयोग ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ अनेक, गहन परामर्शी बैठकें की हैं। देश के लिए व्यापक विजन तैयार करने के लिए नीति आयोग द्वारा प्रत्येक क्षेत्रक जैसे कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, शहरी प्रबंधन, ग्रामीण विकास, शासन, पर्यावरण, महिला और बाल विकास, सामाजिक न्याय, रक्षा, पर्यावरण, ऊर्जा आदि के विचारकों और नीति निर्माताओं के साथ परामर्श किया गया है/किया जा रहा है। कई अग्रणी विद्वानों ने इस प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने के लिए लिखित सुझाव भी दिए हैं।

विजन तैयार करने के कार्य को समावेशी कार्रवाई बनाने के लिए एक प्रारंभिक प्रयास के रूप में 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, 2017 को देश–भर में (निर्वाचन की प्रक्रियाधीन राज्यों को छोड़कर) विशेष ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया गया। इस ग्राम सभा बैठक में नागरिकों से अपनी पंचायत और अपने देश के लिए 15 वर्ष बाद की प्राथमिकताओं की सूचना एकत्र करने पर जोर दिया गया।

2. भारत में आर्थिक नीति के लिए कार्य-योजना पर गोलमेज

नीति आयोग द्वारा माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में "आर्थिक नीति–भावी राह" विषय पर 27 दिसम्बर, 2016 को अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की एक बैठक का आयोजन किया गया।

इस बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि

कृषि, कौशल विकास और रोजगार सृजन, कराधान और टैरिफ संबंधी मामलों, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, आवास, पर्यटन, बैंकिंग, शासन सुधार, डाटा संचालित नीति और विकास के लिए भावी उपाय पर अपने विचार व्यक्त किए।

इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कौशल विकास और पर्यटन के क्षेत्रों में शासन के संबंध में नवोन्मेषी दृष्टिकोणों को अपनाने का आग्रह किया। इस बात को नोट करते हुए कि बजट चक्र का वास्तविक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, उन्होंने कहा कि हमारे मौजूदा बजट कैलेण्डर में व्यय हेतु प्राधिकृत करने का समय और मॉनसून की शुरूआत होने का समय एक ही है। उन्होंने कहा कि इसके फलस्वरूप सरकारी कार्यक्रम मॉनसून से पूर्व के महीनों, जो कि अन्यथा उत्पादनकारी होते हैं, में अपेक्षाकृत निष्क्रिय हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने बजट पेश करने की तारीख पहले रख दी है ताकि नए वित्त वर्ष के शुरू होने तक व्यय प्राधिकृत कर दिया जाए।

इस बैठक में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरविंद पानगड़िया और केंद्र सरकार तथा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें प्रो. प्रवीण कृष्णा, प्रो. सुखपाल सिंह, प्रो. विजय पॉल शर्मा, श्री नीलकंठ मिश्रा, श्री सुरजीत भल्ला, डॉ. पुलक घोष, डॉ. गोविंद राव, श्री माधव चव्हाण, डॉ. एन.के. सिंह, श्री विवेक दहेजिया, श्री प्रमथ सिन्हा, श्री सुमित बोस और श्री टी.एन. निनान सहित अनेक अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।

3. नीति व्याख्यानः भारत परिवर्तन

सरकार के मुख्य थिंक–टैंक के रूप में, नीति आयोग की मान्यता है कि ज्ञान सृजन और ज्ञान अंतरण से ही राज्यों का वास्तविक परिवर्तन हो सकता है। राज्यों और केंद्र के लिए ज्ञान सृजन प्रणाली तैयार करने के लिए नीति आयोग ने नीति व्याख्यानः भारत परिवर्तन श्रृंखला 26 अगस्त, 2016 शुरू की जिसके लिए प्रधानमंत्री का पूरा सहयोग मिला।

इस व्याख्यान श्रृंखला का उद्देश्य भारत सरकार के शीर्ष नीति निर्माण दल को संबोधित करना है जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य और कई शीर्ष नौकरशाह शामिल हैं। इसका उद्देश्य भारतीय नीति निर्माताओं और आम जनता को विकास नीति में नए विचारों को बढ़ावा देना है ताकि भारत को एक खुशहाल आधुनिक अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित किया जा सके। नीति आयोग भारत के लिए प्रधानमंत्री के आमूल परिवर्तनकारी दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है और उसका मानना है कि यह परिवर्तन सुविचारित नीतियों और कार्यक्रमों पर आधारित होना चाहिए। अतः यह व्याख्यान श्रृंखला भारत की विकास गाथा को सही दिशा देने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह भारत के प्राथमिक नीतिगत थिंक–टैंक के तौर पर नीति आयोग की भूमिका को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

2016 में, नीति आयोग ने दो व्याख्यान श्रृंखलाएं आयोजित की थीं जिनमें दुनिया भर के नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और प्रशासकों ने हिस्सा लिया ताकि केंद्र और राज्यों के नीति

निर्माताओं को उसका लाभ मिल सके। इन व्याख्यानों से विकास और शासन के संबंध में काफी ज्ञानवर्धन हुआ और दुनिया भर के अनुभवों से संबंधित विचारों का आदान–प्रदान हुआ।

पहला व्याख्यान ''भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था'' विषय पर सिंगापुर के माननीय उप–प्रधानमंत्री श्री थर्मन शण्मुगरत्नम ने दिया। श्रृंखला का दूसरा व्याख्यान 16 नवम्बर, 2016 को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह–संस्थापक बिल गेट्स ने ''प्रौद्योगिकी और परिवर्तन'' विषय पर दिया।

दोनों व्याख्यानों में इस बात की चर्चा की गई कि दुनिया भर में हो रहे परिवर्तन किस प्रकार किसी देश के विकास को प्रभावित करते हैं, भारत किस प्रकार लाभकारी स्थिति में है और मौजूदा चुनौतियों से निपटने में भारत कितना सक्षम है तथा किसी भी देश के परिवर्तन को प्रभावित करने के मुख्य कारकों– प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन के मामले में भारत सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय कार्यशैलियों से क्या सीख सकता है।

4. अग्रणी राज्य - राज्यों की सर्वोत्तम कार्यशैलियों का सार

सहयोगपूर्ण संघवाद केवल केंद्र–राज्य सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे मामलों में भी राज्य–राज्य सहयोग भी शामिल है जिन मामलों में राज्य सरकारें अपनी आर्थिक वृद्धि की दृष्टि से प्रतिस्पर्धा करती रही हैं। इस प्रकार की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, राज्यों के बीच सर्वोत्तम कार्यशैलियों का समेकन अनिवार्य है। सरकार के मुख्य थिंक–टैंक के रूप में नीति आयोग एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र विकसित कर रहा है जो सुशासन और संधारणीय तथा समान विकास संबंधी सर्वोत्तम कार्यशैलियों संबंधी अनुसंधान का संरक्षक होगा। विभिन्न राज्यों की सर्वोत्तम कार्यशैलियों संबंधी यह सार इसी संकलन का हिस्सा है।

भारतीय उपमहाद्वीप के आकार के कारण भारत के कुछेक राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद दुनिया के कुछ देशों के सकल घरेलू उत्पाद से भी बड़ा है। फिर भी, भारत की वृद्धि दर 9 प्रतिशत से अधिक रखने के लिए, अधिकतर राज्यों को वृद्धि दर 12-13 प्रतिशत रखनी होगी। इस दिशा में एक सहायक कारक यह है कि जिन नवप्रवर्तनकारी दृष्टिकोणों और सर्वोत्तम परियोजना कार्यनीतियों को कुछ राज्यों ने सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है, उन्हें हू–ब–हू अपनाने की क्षमता हो।

उल्लेखनीय है कि अन्य के अलावा आधुनिक कार्यान्वयन प्रक्रियाओं, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, प्रभावी अनुसंधान और विकास तथा विकेंद्रीकृत अनुवीक्षण के संबंध में कई राज्यों के प्रयासों की प्रायः अनदेखी की जाती है। इस सार–संग्रह में ऐसी कुछ सर्वोत्तम कार्यशैलियों को सूचीबद्ध किया गया है। नीति आयोग राज्यों के सर्वोत्तम मामला अध्ययनों को दर्शाने के लिए इस संकलन को समय–समय पर अद्यतन करता रहेगा।

इस सार को तैयार करने के लिए भी सबको साथ लेने का दृष्टिकोण अपनाया गया और राज्यों के प्रतिनिधियों से सम्पर्क किया ताकि उन राज्यों में आदर्श परियोजना उदाहरणों की सर्वोत्तम कार्यशैलियों की पहचान की जा सके। मामला अध्ययन में, परियोजना के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी प्रत्येक सम्पर्क व्यक्ति को चिन्हित किया गया है। 60 से अधिक सदस्यों के दल ने, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी, सलाहकार, विशेष कार्याधिकारी, अनुसंधान अधिकारी और युवा पेशेवर शामिल थे, मामला अध्ययनों की पहचान और संवीक्षा की ताकि अन्य राज्यों में सर्वाधिक बाध्यकारी संभावनाओं का पता लगाया जा सके।

नीति आयोग विभिन्न राज्यों में परियोजना अंगीकरण और कार्यान्वयन पर लगातार नजर बनाए हुए है। विभिन्न क्षेत्रकों और प्रभागों से सीखने पर जोर देने के आशय से सहयोगपूर्ण संघवाद मजबूत होगा और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इससे राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय सहभागिता के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं का साझा दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलेगी।

5. भारत में विवाचन और प्रवर्तन के सुदृढ़ीकरण के संबंध में वैश्विक सम्मेलन

नीति आयोग ने भारत सरकार के प्रमुख विभागों और न्यायपालिका के साथ भारत में विवाचन और नवप्रवर्तन के सुदृढ़ीकरण के संबंध में वैश्विक सम्मेलन देश में विवाद समाधान के तौर–तरीकों में बदलाव करने हेतु एक प्रमुख पहल, की शुरुआत की। भारत को विवाचन का केन्द्र बनाने के लिए, नीति आयोग द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय, डीआईपीपी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र एवं राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान के साथ भारत में इस प्रकार की पहली पहल का आयोजन 21 से 23 अक्तूबर, 2016 तक किया गया।

इस पहल का संचालन करने के लिए, पहली बार 6 अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विवाचन संस्थाएं (एचकेआईएसी, आईसीसी, केएलआरसीए, एलसीआईए, पीसीए और एसआईएसी) तथा सभी प्रमुख उद्योग संघ (फिक्की, पीएचडी चैंबर, सीआईआई और एसोचैम) एक साथ आए। इस सम्मेलन में भारत में वाणिज्यिक विवाचन पर बल दिया गया जो न्यायालय कक्ष से बाहर तीव्र, और अधिक प्रभावी विवाद समाधान के लिए विश्व में तेजी से बढ़ रहा है।

भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 21 अक्तूबर को 3 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समापन भाषण दिया। इस सम्मेलन में प्रमुख संरक्षक श्री टीएस ठाकुर, भारत के मुख्य न्यायाधीश, श्री अरुण जेटली, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री, श्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय विधि और न्याय एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने मार्गदर्शन किया। इसके अलावा भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय विधिक निकायों, कॉरपोरेट घरानों के मनिषी विधिक समुदाय से विद्वान व्यक्ति इस सम्मेलन में उपस्थित थे। 6 देशों के मुख्य न्यायाधीशों ने भी भारत में विवाचन संबंधी पहले वैश्विक सम्मेलन में भाग लिया और अपने विचार साझा किए। इस वैश्विक सम्मेलन ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने, श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों संबंधी अनुभव साझा करने और विवाचन को सुदृढ़ बनाने हेतु एक रूपरेखा तैयार करने तथा भारत में उसके प्रवर्तन के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया है।

भारत ने पहले ही मौजूदा विवाचन ढांचे में सुधार करने के लिए विधिक सुधारों सहित हाल ही में व्यवसाय करने में सुगमता को सुसाध्य बनाने के लिए प्रमुख ढांचागत सुधार किए हैं। संसद ने हाल ही में विवाचन और समाधान अधिनियम, 1966 में संशोधन को पारित किया है। इसके अलावा, वाणिज्यिक विवाद का तेजी से समाधान करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायलय का वाणिज्यिक पीठ और वाणिज्यिक अपीलीय पीठ अधिनियम 2015 पारित किया गया है। इन सुधारों को आगे बढ़ाते हुए, सरकार और न्यायपालिका द्वारा की गई इस पहल से भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाचन का अलग बड़ा केंद्र बनाने हेतु एक सुदृढ़ पारितंत्र का निर्माण करने के लिए अपेक्षित संस्थागत क्षमता में सुधार करने में मदद मिली है।

तीन दिवसीय सम्मेलन के तहत 7 गहन विचारोत्तेजक तकनीकी सत्र थे। ये सत्र भारत में विवाचन हेतु भारतीय और विदेशी पक्षों को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थागत विवाचन को सुदृढ़ बनाने तथा एक सुविधाजनक न्यायपालिका सुनिश्चित करने के विभिन्न पक्षों पर आधारित थे। सम्मेलन में विभिन्न विधि महाविद्यालयों के 1200 छात्रों और प्राध्यापकों के अलावा 1000 से अधिक विशेषज्ञों एवं सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया।

6. आओ खेलें- भारत में खेलों के पुनरुद्धार के लिए एक कार्य योजना

भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और प्रति व्यक्ति पदक के मामले में इसका सबसे निचला स्थान है। यह निराशाजनक है कि एक ऐसा देश जिसके पास विभिन्न विषयों में विश्वस्तरीय प्रतिभा है, वह खेलों के क्षेत्र में विजेता तैयार करने में सक्षम नहीं है। विगत वर्षों की तुलना में 2016 में ओलंपिक में वृहद भागीदारी हुई। तथापि, भारत केवल 2 पदक प्राप्त कर सका । विगत 60 वर्षों के दौरान, ओलंपिक में पदक जीतने के मामले में हमारे कार्य निष्पादन में सीमित सुधार देखने को मिला है जिसमें लंदन 2012 ओलंपिक में ही भारत का प्रदर्शन अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा। यह राष्ट्रमंडल खेलों जैसे हाल ही के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की वजह से खेल सुविधाओं के सृजन की दिशा में निवेश में की गई वृद्धि के कारण हासिल हुआ है। तथापि, देश अभी भी भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने और उन्हें वैश्विक प्रतिभागियों के समकक्ष लाने हेतु खेलों के लिए एक हितकर वातावरण तैयार नहीं कर पाया है। प्रत्येक स्तर अर्थात् परिवार, पड़ोस से लेकर विद्यालयों, क्षेत्रीय अकादमियों, राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इन प्रयासों का ध्येय मूलतः खेल संबंधी कार्यकलापों के स्तर को बढ़ाना, प्रणाली में अंतरालों को भरना और अंतरालों का अनुवीक्षण करना होना चाहिए।

इस संदर्भ में नीति आयोग ने सुधार संबंधी कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर बल देते हुए एक 20 सूत्रीय कार्य योजना तैयार की है। इन कार्य बिंदुओं को एक अल्पकालिक दृष्टि (4 से 8 वर्ष) और मध्यम से दीर्घकालिक दृष्टि (8 से 15 वर्ष) में विभाजित किया गया है। इन कार्य बिंदुओं में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 50 पदकों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए की जाने वाली पहलों की पहचान की गई है।

7. उत्पाद-परिणाम फ्रेमवर्क

नीति आयोग के विभिन्न वर्टिकलों ने एक उत्पाद–परिणाम ढांचे का विकास करने हेतु 68 मंत्रालयों और विभागों के साथ सहयोग किया। वर्ष 2017–18 से यह निर्णय लिया गया है कि पारदर्शिता बढ़ाने और भारत के विकास एजेंडा को समझने के लिए बजट दस्तावेजों के एक हिस्से के रूप में वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्र प्रायोजित तथा केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमों के उत्पाद और परिणाम उपलब्ध होंगे। इस कार्य से केवल परिव्ययों की निगरानी करने के बजाय सरकारी स्कीमों के उत्पादों और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

अन्य क्षेत्रकीय उपलब्धियां

कृषि

कृषि वर्टिकल किसानों के कल्याण के लिए विकास कृषि, पशुपालन, डेयरी, मात्स्यिकी, भू–संसाधन और शासन तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए योजनाएं और नीतियां विकसित करने के लिए काम कर रहा है। वर्ष 2016-17 के प्रमुख कार्य और उपलब्धियां निम्नवत हैं :

1. कृषि विकास संबंधी कार्यदल

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 8 फरवरी, 2015 को नीति आयोग की शासी परिषद की पहली बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसरण में, कृषि विकास संबंधी कार्यदल का गठन 16 मार्च, 2015 को किया गया। कार्यदल का नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा किया गया। सभी राज्यों ने भी ऐसे ही कार्यदलों का गठन किया। नीति आयोग के कार्यदल ने किसानों, किसानों के प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों, कार्यकर्ताओं तथा विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श किया और ''रेजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड मेकिंग फार्मिंग रेम्यूनरेटिव फॉर फार्मर्स'' नामक एक पत्र तैयार किया। कार्यदल ने गांधीनगर, बेंगलुरू और नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय बैठकों में सभी राज्यों के साथ चर्चाएं कीं और राज्यों से भी उनके कार्यदल की रिपोर्टों और चर्चाओं के माध्यम से इनपुट प्राप्त किए। कार्यदल की रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर 31 मई, 2016 को प्रस्तुत किया गया।

2. कृषि बीमा के लिए प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग संबंधी कार्यदल

माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर नीति आयोग ने कृषि बीमा के लिए प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग संबंधी कार्यदल का दिनांक 30 जून, 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या क्यू–11018/01/2015–कृषि द्वारा गठन किया। चर्चा को व्यवस्थित रूप देने के लिए पाँच उप–समूहों (i) दूर संवेदी तथा ड्रोन; (ii) निर्णय समर्थन प्रणाली, फसल मॉडलिंग तथा एकीकृत दृष्टिकोण; (iii) बीमा में आईटी/आईसीटी; (iv) फसल कटाई अनुभव (सीसीई); और (v) पशुधन और जलीय कृषि बीमा के लिए प्रौद्योगिकियां। प्रत्येक उप–समूह ने क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ कई बैठकों में चर्चा की। समग्र रूप से, पेशेवर अनुसंधान एजेंसियों, बीमा उद्योग, बैंकों और सरकार से जुड़े 100 से अधिक विशेषज्ञों ने इन चर्चाओं में हिस्सा लिया। कार्यदल ने नीति आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 जनवरी, 2017 को सौंपी।

बॉक्स 1 : कृषि बीमा के लिए प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग संबंधी कार्यदल के विचारार्थ विषय

(क) फसल, पशुधन और जलीय कृषि संबंधी बीमा के लिए भारत और पूरे विश्व भर की तकनीक के उपयोग की उपलब्धता का आकलन और विश्लेषण करना;

(ख) फसलों, पशुधन और जलीय कृषि में हुए नुकसान के आकलन की प्रौद्योगिकीय क्षमता का आकलन करना;

(ग) प्राकृतिक आपदाओं अथवा अन्य संकटों के कारण फसल, जलीयकृषि और पशुधन के नुकसान वाले इलाके में प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकियों) की क्षमता का आकलन करना;

(घ) फसल, पशुधन और जलीय कृषि को क्षेत्रफल और गंभीरता–दोनों की दृष्टि से हुए नुकसान का त्वरित आकलन करने के लिए उपयुक्त और सस्ती प्रौद्योगिकियों का सुझाव देना।

पीएमएफबीवाई के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कई प्रौद्योगिकीय विकल्पों का प्रस्ताव किया गया है, जैसे दूर संवेदी प्रौद्योगिकियां (उपग्रह तथा मानवरहित हवाई यान (यूएवी), स्मार्ट फोन, डिजिटल छायांकन, नई सांख्यिकीय तकनीकें और मॉडलिंग दृष्टिकोण तथा आईटी/आईसीटी। फिलहाल, नामांकन और अन्य प्रचालनात्मक मुद्दों के लिए बीमा क्षेत्र में आईटी/आईसीटी का उपयोग कम ही हो रहा है। किंतु देश के विविधतापूर्ण कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रौद्योगिकियों का साक्ष्य आधार फसल बीमा कार्यक्रम में राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को समर्थन देने तक सीमित है। विभिन्न प्रौद्योगिकियों का तुलनात्मक मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है और इनके उपयोग को लेकर राज्य, अनुसंधानकर्ता तथा बीमा कंपनियों की राय प्रायः अलग–अलग होती है।

18.01.2017 को कार्यदल की निर्णायक बैठक और नीति आयोग के सदस्य को रिपोर्ट की प्रस्तुति

बॉक्स 2 : कृषि विपणन सुधारों के संबंध में राज्यों के लिए सिफारिशें

(क) मौजूदा विनियमों को तत्काल संशोधित करने की आवश्यकता ताकि बाजार उदार बन सकें। किसान को अपने उत्पाद की बिक्री वाले पक्ष, स्थान और तौर–तरीके चुनने की आजादी होनी चाहिए।

(ख) अन्य कृषि उत्पाद के फलों और सब्जियों का विशिष्ट रखरखाव क्योंकि वे जल्दी नष्ट हो जाते हैं और उनकी मात्रा भी कम होती है।

संस्तुत सुधारों में राष्ट्रीय बाजार के सृजन के लिए विपणन में सूचना प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण माना गया है ताकि समुचित प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से देश भर के किसानों को अंतर्सबद्ध बाजारों से लाभ मिल सके।

बॉक्स 3 : कृषि विपणन तथा किसान अनुकूल सुधार सूचकांक

(क) आदर्श एपीएमसी अधिनियम, 2002 में यथाप्रस्तावित 7 सुधारों, जैसे–ई–नैम पहल, फलों और सब्जियों का विशिष्ट रखरखाव, पूरे राज्य में एकल लाइसेंस, राज्य में एकल लेवी, उत्पादकों द्वारा सीधी बिक्री तथा प्रत्यक्ष विपणन इलेक्ट्रॉनिक कारोबार आदि।

(ख) कृषि भूमि का पट्टा देने और वापस लेने संबंधी प्रतिबंधों में छूट और काश्तकार को मान्यता देने और भू–स्वामियों के हितों की सुरक्षा के लिए कानून में परिवर्तन

(ग) किसानों को निजी भूमि पर उत्पादित पेड़ों की कटाई और ढुलाई की छूट दी गई। इससे विविधतापूर्ण कृषि कारोबार के लिए अवसर पैदा होते हैं।

3. फसलीकरण, कृषि इनपुट, मांग और आपूर्ति अनुमानों संबंधी कार्य समूह

नीति आयोग के 15 वर्षीय दृष्टिपत्र के अनुरूप अगले 15 वर्षों के लिए मांग और आपूर्ति परिदृश्य का आकलन करने और अनुमान लगाने के लिए दिनांक 29 जुलाई, 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या क्यू–11018/02/2016– कृषि द्वारा फसलीकरण, कृषि इनपुट, मांग और आपूर्ति अनुमानों संबंधी कार्य समूह का गठन किया गया। कार्य समूह के विचारार्थ विषय में शामिल विभिन्न क्षेत्रकों की समस्याओं के समाधान के लिए पांच उप–समूहों का गठन किया गया। कार्य समूह ने पूर्व में तीन परामर्श किए हैं और अंतरिम रिपोर्ट मार्च, 2017 के अंत तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है।

बॉक्स 4 : फसलीकरण, कृषि इनपुट, मांग और आपूर्ति अनुमानों संबंधी कार्य समूह के विचारार्थ विषय

(क) कृषि क्षेत्र, कृषि उत्पादकता, कृषि क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र के लिए हुए निवेश तथा कृषक आय की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना और विश्लेषण करना तथा उनकी बेहतरी के लिए नीतिगत पहलों और अन्य अंतःक्षेपों के सुझाव देना;

(ख) खाद्य और अन्य संबद्ध वस्तुओं के लिए उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकता और उपभोग आदत की पड़ताल करना;

(ग) 2019-20, 2023-24 और 2032-33 के लिए उर्वरकों, बीजों, ऋण, भोजन तथा चारे और अन्य इनपुट की मांग और आपूर्ति का आकलन करना और मांग पूरा करने तथा बेहतर उपयोग दक्षता प्राप्त करने के लिए इनपुट के उचित प्रबंधन के सुझाव देना;

(घ) कृषि मशीनीकरण की सीमा का आकलन करना और इसे बढ़ाने के सुझाव देना जिसमें सभी कृषि इम्प्लीमेंट और मशीनें/उपकरण शामिल हैं।

(ङ) 12वीं योजना के दौरान केंद्र प्रायोजित और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमों के निष्पादन की समीक्षा करना कि उत्पादन के लक्ष्य की दृष्टि से उन्हें जारी रखा जाना है या नहीं और स्कीम की बेहतरी के लिए आशोधनों के सुझाव देना तथा राज्यों तथा केंद्र सरकार द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में व्यय की प्राथमिकता का विश्लेषण करना ताकि इसे बेहतर बनाया जा सके।

(च) गेहूं, मक्का और अन्य मोटे अनाजों, दालों, तिलहन, गन्ना, कपास, पटसन, फलों, सब्जियों, फलों और पशु उत्पादों, यथा–दूध, मांस, अंडे, मछली तथा ऊन आदि की आवश्यकता का आकलन करना जिसमें उनकी मांग और निर्यात, घरेलू उपयोग अनुमान लगाना शामिल हैं।

4. कृषि से संबंधित केन्द्र-प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों संबंधी कार्य

इसे वर्ष 2019-20 तक की मध्यावधि में प्रत्येक स्कीम के लिए मापयोग्य परिणामों के आकलन को ध्यान में रखकर किया गया है। वर्ष 2019-20 तक के अनुमानों के मद्देनजर 2016-17 के बजट आवंटन की तुलना में 5–10 प्रतिशत की मानदंडात्मक वृद्धि को भी ध्यान में रखा गया है। उत्पादन–परिणाम फ्रेमवर्क के दायरे में वास्तविक निर्गम वर्ष–दर–वर्ष आधार पर दर्शाए गए हैं जो 2017-18 से 2019-20 के लिए अनुमानित वित्तीय संसाधनों के अनुरुप हैं। प्रत्येक स्कीम के लिए मूल्यांकन कार्य करने के लिए एक निश्चित रोडमैप का सुझाव दिया गया है ताकि 14वें वित्त आयोग के बाद भी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत स्कीमों को जारी रखा जा सके।

(क) उत्पादकता संवर्द्धन

मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरक का प्रयोग करने, बीज प्रतिरोपण बढ़ाने और सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में अधिकाधिक क्षेत्र को लाने के लिए सिंचाई में अधिक निवेश के लिए कार्यनीतियों की संस्तुति की गई।

(ख) ईष्टतम लाभ

भंडारण, अतिरिक्त भंडारण सुविधाओं, लाभकारी मूल्य–खरीद कार्यनीति, प्राथमिक कृषि सहकारिता समितियों को ऋण सहायता, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसी), पीएसी सक्रियता, बाजार अंतःक्षेप स्कीम का कार्यान्वयन, कृषकों को अल्पावधिक ऋण, उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के कामकाज को बढ़ाने की कार्यनीति तय करने, डेयरी सहकारिता, शीतलन संयंत्र, दुग्ध संग्रहण तथा रोग निगरानी आदि के लिए अपशिष्ट न्यूनीकरण कार्यनीतियां।

(ग) नीतिगत पहलें

राज्य कृषि भूमि पट्टाकरण अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए प्रचालनात्मक धारिता–योजना को बढ़ाने, कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए मूल्य सजगता और समूह सूचना (एफपीओ)/अनुबंध कृषि आदि को प्रोत्साहित करने की योजना।

5. बिहार में दालों की प्रायोगिक परियोजना

प्रत्येक घर में पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिहार में दालों के संबंध में प्रायोगिक परियोजना पर अमल के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर एक सहयोगात्मक परियोजना कार्यान्वित की गई है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएंडएमजीएफ) के साथ एक संयुक्त बैठक 20 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित की गई और एक अवधारणा–पत्र तैयार किया गया। इसके बाद फरवरी, 2016 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसकी सह–अध्यक्षता बीएमजीएफ ने की। यह प्रायोगिक परियोजना समस्तीपुर जिले में मसूर और मटर में कार्यान्वित की गई है जिसमें लगभग 1000 सीमांतक और छोटे किसान शामिल हैं।इस उत्पाद के कारोबार के लिए एनसीडीईएक्स के साथ एक लिंक भी स्थापित किया गया। प्रायोगिक परियोजना के अंतिम परिणाम फसल कटाई के बाद मार्च–अप्रैल, 2017 में प्राप्त होंगे। नीति आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में 8 फरवरी, 2017 को आयोजित बैठक में ग्रीष्मकालीन प्रायोगिक परियोजना तैयार की गई। ग्रीष्मकालीन प्रायोगिक परियोजना के लिए जिन फसलों को चिन्हित किया गया, वे हैं–मूंग और काला चना।

6. कृषि के लिए मार्गदर्शिका

मधुमक्खी पालन के मुद्दों, आवश्यकताओं और अवसरों पर चर्चा के लिए नीति आयोग में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें वैज्ञानिक और कृषि से जुड़े प्रशासनिक विभागों के संबंधित व्यक्तियों ने हिस्सा लिया जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने की। नीति आयोग में प्रधान सलाहकार श्री रतन वातल ने भी अपने सुझाव दिए हैं। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञों,

विनियामक प्राधिकारियों और प्रशासनिक विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चा के बाद, इस क्षेत्र के लिए व्यवहारिक सामाधान के कार्य बिंदु तय किए गए।

7. बुंदेलखंड पैकेज

नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 04 मई, 2016 को आयोजित बैठक में बुंदेलखंड पैकेज की समीक्षा की गई जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी संसद सदस्य और माननीया जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री भी मौजूद थीं। तदुपरान्त, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बुंदेलखंड पैकेज संबंधी अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता की और बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश वाले इलाके में सूखा उपशमन कार्यनीतियों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। अधिकार प्राप्त समिति ने इस क्षेत्र में बारहमासी स्रोतों से पाइप के माध्यम से जलापूर्ति के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने की रूपरेखा भी तैयार की। अधिकार प्राप्त समिति ने राज्य को तालाबों, जलाशयों को साफ करने और प्राकृतिक जल भंडारों के पुनरुज्जीवन का प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयन करने का सुझाव दिया ताकि अधिकतम जल उपलब्ध हो सके।

8. विविध मामले

इस वर्टिकल ने 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कृषि क्षेत्र के मध्यावधिक मूल्यांकन संबंधी मुद्दों का समाधान भी किया जिसके लिए देश में प्याज की समग्र स्थिति की समीक्षा की गई, पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया और पूर्वोत्तर राज्यों में बांस आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बांस की खेती के विकास के लिए आवश्यक स्कीमवार अंतः क्षेप, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और अभिनव पोषक–तत्व उपशमन प्रौद्योगिकियों, जैविक कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल विस्तार के लिए जैव–उर्वरकों के उपयोग, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम कार्यशैलियों, सचिव समूह की सिफारिशों के अनुसरण में संबंधित विभागों द्वारा तैयार की गई कार्ययोजनाओं के कार्यान्वयन, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम), सोनीपत द्वारा कार्यान्वित खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के संवर्द्धन हेतु ग्राम अंगीकरण कार्यक्रम (खुसाली) संबंधी विचारों को साझा करने, भारत में कृषि विकास के लिए क्रॉप लाइफ इंडिया एजेंसी द्वारा शुरू किए गए अनुसंधान और प्रदर्शन कार्यों के मूल्यांकन, पंजाब और हरियाणा राज्यों में कृषि जैवभार को जलाने के हाल के मुद्दे पर आयोजित चर्चाओं तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में संभावित उपशमन उपायों के विशेष परिप्रेक्ष्य में दिशानिर्देश का सुझाव दिया गया।

प्रकाशनः

1. नीति आयोग, 2016. एनहांसिंग टेक्नोलॉजी यूज इन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। कृषि बीमा के लिए प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट, पृष्ठ 24.
2. नीति आयोग, 2016. भूमि पट्टाकरण और आदर्श कृषि भूमि पट्टाकरण अधिनियम, 2016 संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, पृष्ठ 47.

स्वास्थ्य, पोषण, महिला और बाल विकास

पिछले दशक में भारत ने स्वास्थ्य और पोषण परिणाम की दृष्टि से तीव्र प्रगति की है, हालांकि इसकी गति इस अवधि के दौरान हुई आर्थिक प्रगति के अनुरूप नहीं रही है। स्वास्थ्य के मामले में, हम शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर की दृष्टि से अच्छी प्रगति की है किंतु विभिन्न राज्यों में इसकी स्थिति भिन्न–भिन्न होना चिंता का विषय है। पोषण की दृष्टि से, हमने कमवजनी बच्चों का समानुपात घटाने में काफी सफल रहे हैं लेकिन फुफ्फुसीय और रक्ताल्पता स्तरों तथा कुपोषण के स्तरों को कम करने के मामले में हमारी प्रगति उल्लेखनीय नहीं रही है। अतः, इन दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में कार्रवाई को तेज करने में स्वास्थ्य और पोषण वर्टिकल की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है और हमारा प्रयास रहा है कि इन दोनों मुद्दों को चर्चा का विषय बनाए रखा जाए।

वर्टिकल के प्रमुख उत्तरदायित्व

- राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रकों और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा पोषण क्षेत्र की कार्यनीतियों के प्रति साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में राज्यों की सहभागिता
- मुख्य पक्षों तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समविचारी थिंक–टैंक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और पोषण के क्षेत्र में शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं को सलाह देना और उनके बीच सहभागिता को प्रोत्साहित करना
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा पोषण संबंधी अत्याधुनिक संसाधन केंद्र को बनाए रखना, सुशासन संबंधी अनुसंधान और संधारणीय तथा समानतापूर्ण विकास में सर्वोत्तम कार्यशैली का भंडारगृह बनाना और सभी पक्षों तक उनके प्रसार में मदद देना

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान वर्टिकल की मुख्य उपलब्धियां निम्नवत रहीं :

1. जिला अस्पतालों के निष्पादन पर नजरः स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में माननीय प्रधानमंत्री के साथ हाल ही में हुई समीक्षा में यह तय किया गया था कि परिणाम मैट्रिक्स के आधार पर सरकारी अस्पतालों के निष्पादन का पता लगाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का सृजन किया जाए और नीति आयोग को इसका फ्रेमवर्क तैयार करने का अधिदेश सौंपा गया। यह महसूस किया गया है कि स्वास्थ्य सेवा में जिला अस्पतालों की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके लिए काफी धन आवंटन के बावजूद यह जानने की कोई व्यापक प्रणाली नहीं है कि परिणाम के आधार पर उनका निष्पादन कैसा रहा। यही काम करने के लिए संबंधित पक्षों, यथा– स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकारों, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि के साथ परामर्श किया गया है। एक फ्रेमवर्क की रूपरेखा तैयार की गई है ताकि अस्पतालों का सम्पूर्ण आकलन किया जा सके। इसमें चुनिंदा सूचक शामिल हैं जिनके आधार पर जिला अस्पतालों का प्रदर्शन मापा जाएगा।

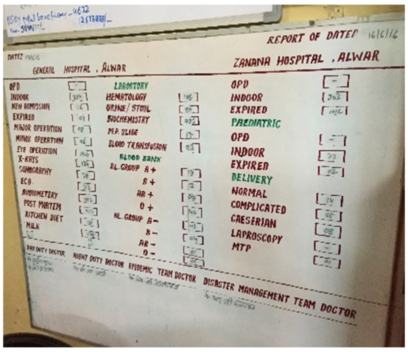

2. पीपीपी मोड में जिला स्तर पर असंचारी रोगों के निवारण और उपचार सेवाओं के लिए प्रावधान हेतु आदर्श रियायत समझौते का विकासः

नीति आयोग को असंचारी रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए आदर्श रियायत समझौते को पीपीपी आधार पर विकसित करने का अधिदेश दिया गया है, जैसे–हृदय विज्ञान, कैंसर विज्ञान और फुफ्फुसीय विज्ञान। इस कार्य के लिए संबंधित पक्षों, यथा– उद्योग जगत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्यों के साथ परामर्श किया गया है और उद्योग जगत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्यों के प्रतिनिधियों को लेकर एक कार्य समूह का गठन किया गया है ताकि पीपीपी मोड में जिला स्तर पर असंचारी रोगों की रोकथाम और उपचार सेवाओं के प्रावधान के लिए आदर्श रियायत समझौता विकसित करने के लिए इनपुट प्राप्त किया जा सके।

3. परिवार नियोजन सेवाओं और पद्धतियों के प्रावधान और उपलब्धता में सर्वोत्तम कार्यशैलियों के अध्ययन के लिए इंडोनेशिया का अध्ययन दौराः

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वर्टिकल ने परिवार नियोजन सेवाओं और पद्धतियों के प्रावधान तथा उपलब्धता संबंधी इंडोनेशिया की पहलों और सर्वोत्तम कार्यशैलियों से सीखने के लिए इंडोनेशिया का दौरा किया। इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य इंडोनेशिया में गर्भनिरोध और परिवार नियोजन के मिश्रण के बढ़ते उपयोग संबंधी सर्वोत्तम कार्यशैली से सीख लेना और उसे भारतीय परिस्थिति में अपनाए जाने के लिए हस्तांतरित करना था।

अध्ययन दौरे के दौरान दल के बीकेकेबीएन कार्यलय का दौरा किया ताकि इंडोनेशिया की परिवार नियोजन प्रणाली, अंगीकृत कार्यनीतियों और मिश्रित कार्यपद्धति का अध्ययन किया जा सके। दल ने एनएचआईपी में परिवार नियोजन को जोड़े जाने के प्रभाव का अध्ययन भी किया।

दल ने लोम्बोक का दौरा किया और लोम्बोक के पश्चिमी लोम्बोक जिले में परिवार नियोजन सेवाओं का अध्ययन किया। दल ने मौखिक रूप से तथा आईईसी आदि के माध्यम से परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत गठित जिला कार्यकारी दल से मुलाकात की। लोक स्वास्थ्य केंद्रों में परिवार नियोजन सेवाओं के प्रकार की जानकारी के लिए पश्चिमी लोम्बोक जिले में केदिरी लोक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया गया।

स्वास्थ्य वर्टिकल नीति आयोग का निम्नांकित में प्रतिनिधित्व करता हैः

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबद्ध ईएफसी/एसएफसी
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, भारतीय लोक स्वास्थ्य फाउंडेशन आदि के वैज्ञानिक सलाहकार समूह

यह महसूस किया गया कि अन्य देशों के अनुसार ही, परिवार नियोजन की पद्धति को पाँच से बढ़ाकर सात किए जाने की आवश्यकता है। किंतु इंजेक्टेबल और इम्प्लांट में से कौन सी विधि बेहतर है, यह जानने के लिए अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है और उसके बाद ही उन्हें भारतीय लोक स्वास्थ्य प्रणाली में अपनाया जाना चाहिए जब सभी देशों से जरूरी आंकड़े प्राप्त हो जाएं।

4. राष्ट्रीय पोषण कार्यनीतिः नीति आयोग ने राज्यों/जिलों के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर राष्ट्रीय पोषण कार्यनीति का मसौदा तैयार किया। कार्यनीति को अंतिम रूप दे दिया गया है।

5. मातृत्व सहयोग योजना (एमएसवाई) की पुनर्संरचनाः भारत सरकार ने मातृत्व सहयोग योजना को पूरे देश में लागू करने और इसे मां–नवजात के रूप में पुनर्नामित करने का निश्चय किया है। यह निर्णय लिया गया है कि अब 6000 रूपए की सहायता तीन किस्तों में दी जाएगी। नीति आयोग को दो वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिए प्रत्येक तीन माह पर स्कीम के अनुवीक्षण का अधिदेश दिया गया है। इसके अलावा, इसकी शुरुआत के छह माह बाद एक विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा जिसमें मध्यावधिक सुधारों की गुंजाइश की पड़ताल की जाएगी।

मानव संसाधन विकास

नीति आयोग के टीम इंडिया हब में एचआरडी वर्टिकल के रूप में पुनर्संरचित मानव संसाधन विकास (एचआरडी) वर्टिकल शिक्षा, खेल और युवा मामले तथा संस्कृति से संबंधित मुद्दों को देखता है। तथापि, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित शिक्षा एचआरडी वर्टिकल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते है। एचआरडी वर्टिकल में शामिल हैः (क) पूर्व–प्राथमिक, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, उच्चतर तकनीकी और अध्यापक शिक्षा; (ख) प्रौढ़ शिक्षा सहित औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा; (ग) बालिकाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए भी शिक्षा जैसे विशेष ध्यानकेंद्रण वाले क्षेत्र; (घ) युवा मामले और खेल तथा (ङ) संस्कृति।

प्रस्तावों की जांच/मूल्यांकन

वर्ष 2016-17 के दौरान एचआरडी वर्टिकल ने 12वीं योजना स्कीमों से संबंधित कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस वर्टिकल ने स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति/आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (एसएफसी/ईएफसी/सीसीईए), प्रारूप मंत्रिमंडल नोट और मंत्रिमंडल नोट के अनुमोदन से संबंधित प्रस्तावों की जांच की।

एसएफसी/ईएफसी/प्रारूप मंत्रिमंडल नोट/मंत्रिमंडल नोट/मंत्रिमंडल प्रस्तावों के लिए अनुपूरक नोट का मूल्यांकन

उच्चतर शिक्षा और उसकी संक्षिप्त पृष्ठभूमि :

1. आईआईआईटीडीएम कुरनूल को आईआईआईटी अधिनियम, 2014 के तहत शामिल करने के लिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 में संशोधन। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 में प्रावधान है कि आईआईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा प्रदान किया जाए। सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में यथानिर्धारित, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक नए आईआईआईटी के निर्माण को अनुमोदित किया है। एक अतिरिक्त आईआईआईटी के निर्माण के कारण आईआईआईटी अधिनियम, 2014 में संशोधन किया जाना है। इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

2. उच्चतर शिक्षा के लिए सभी प्रवेश/अध्येतावृत्ति परीक्षाओं के आयोजन हेतु राष्ट्रीय परीक्षण सेवा (एनटीएस) की स्थापनाः आईआईआईटी/एनआईटी/आईआईएसईआर/केंद्रीय विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक महाविद्यालयों जैसी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में कार्य–निष्पादन पर आधारित होता है, क्योंकि प्रत्येक संस्था स्वयं परीक्षा आयोजित करती है जो सीबीएसई, एआईसीटीई आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित की जाती है। अनुमान लगाया गया है कि 40 लाख से अधिक छात्र इन परीक्षाओं में भाग लेते हैं। चूंकि इन निकायों को प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने का अधिदेश नहीं है, अतः इन पर बहुत अधिक दबाव और तनाव होता है। इसलिए, प्रस्ताव है कि उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के लिए सभी प्रवेश परीक्षाएं और अध्येतावृत्ति संबंधी परीक्षण आयोजित करने हेतु, भारतीय सोसाइटी अधिनियम के तहत एक सोसाइटी के रूप में एक स्वतंत्र, स्वायत्त, आत्मनिर्भर और स्वपोषित परीक्षण संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय परीक्षण सेवा (एनटीएस) की स्थापना की जाए।

3. जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) की स्थापना और शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से अस्थायी परिसर से उसका प्रचालन। विगत वर्षों में आईआईएम ने श्रेष्ठ

प्रबंधन पद्धतियों से संबद्ध गुणवत्तायुक्त प्रबंधन शिक्षा प्रदान करने और देश में व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में प्रतिष्ठा हासिल की है। इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

4. राष्ट्रीय शैक्षणिक भंडार (एनएडी) की स्थापना। इसकी स्थापना डिजिटल प्रारूप में शैक्षणिक उपाधियों (डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, अंक तालिका आदि) के ऑनलाइन भंडार गृह (स्टोर हाउस) के रूप में की जाएगी। यह शैक्षणिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराने, उनकी प्रमाणिकता को मान्यता देने के साथ सुगम भंडारण और बहाली सुविधाएं प्रदान करने के लिए 24x7 घंटे ऑनलाइन उपलब्ध होगा। एनएडी में दो अंतर्प्रचालनीय डिजिटल भंडार शामिल होंगे जो शैक्षणिक उपाधियों के डिजिटल रिकॉर्डों को संगृहीत करेंगे। इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

5. उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन करने के लिए उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) की स्थापना। केंद्रीय बजट 2016-17 में 1,000 करोड़ रु. के प्रारंभिक पूंजीगत आधार वाली एक उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) की स्थापना करने की घोषणा की गई। एचईएफए की परिकल्पना एक गैर–लाभकारी संगठन के रूप में की गई है जो बाजार से निधियां जुटाएगी और चंदा तथा सीएसआर नीधियों के माध्यम से इसमें वृद्धि करेगी। इन निधियों का उपयोग हमारी शीर्ष संस्थाओं में अवसंरचना में सुधार के लिए किया जाएगा और इन निधियों को आंतरिक प्राप्तियों से निष्पादित किया जाएगा। प्रस्ताव का समर्थन किया गया है।

6. भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, बरहामपुर (उड़ीसा) की स्थापना और शैक्षणिक वर्ष 2016–17 से अस्थायी/परिवहन (ट्रांजिट) परिसर से उसका प्रचालन। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित आईआईएसईआर बुनियादी विज्ञानों और विज्ञान शिक्षा में बहु–विषयक अध्ययन और अनुसंधान कार्य करता है।

7. भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) के तीसरे चरण की शुरूआत। स्नातकोत्तर और डॉक्टोरेट कार्यक्रमों में और अधिक क्षमता निर्माण संबंधी उपायों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

8. अन्य परीक्षित प्रस्ताव

1. उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय गणतंत्र और संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर संबंधी मंत्रिमंडल नोट।
2. न्यूटन–विवेकानन्द कार्यक्रम के संबंध में भारत और यूके के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
3. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान–जबलपुर और कांचीपुरम की स्थापना हेतु संशोधित लागत अनुमान।
4. अनुसंधान नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी स्कीम को प्रभावित करने वाली स्कीम का कार्यान्वयन।

विद्यालय शिक्षा

1. वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136 के तहत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए वसूले गए 1 प्रतिशत उपकर के माध्यम से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु एक एकल अव्यपगत कॉर्पस निधि का सृजन करने संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया।

2. नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस), मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय, के तहत असम राज्य के चाय बागान वाले 12 जिलों में से प्रत्येक जिले में दूसरे जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया।

बैठकों में भागीदारी और नीतिगत मुद्दों में योगदान

वर्ष के दौरान वर्टिकल के अधिकारियों ने सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन (एमडीएमएस), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), अध्यापक शिक्षा, राष्ट्रीय पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यापक और शिक्षा मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी), राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं (एसएचईपी) को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए), राष्ट्रीय नवोन्मेष निर्माण पहल, आईसीटी के माध्यम से शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमईआईसीटी), तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) जैसे एमएचआरडी के परियोजना अनुमोदन बोर्डों की बैठकों में भाग लिया।

इस वर्टिकल के अधिकारियों ने शिक्षा परामर्श बोर्ड परिषद् (सीएबीई), राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) आदि जैसी संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया। प्रभाग के अधिकारियों ने 75वें एनएसएसओ सर्वेक्षण संबंधी कार्यकारी समूह की बैठकों और केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड (सीएबीई) की 64वीं बैठक और नीति संबंधी अन्य बैठकों में भी भाग लिया।

एचआरडी वर्टिकल ने प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों (अर्थात् एसएसए, एमडीएमएस, आरएमएसए, स्वायत्तशासी महाविद्यालयों, यूजीसी, एआईसीटीई की समीक्षा) की प्रगति का विश्लेषण करने और प्रधानमंत्री के घरेलू दौरों के लिए फोल्डर तैयार करने हेतु विद्यालय और उच्चतर शिक्षा में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने सहित वर्ष के दौरान नीतिगत मुद्दों संबंधी कई पहलें की। नीति आयोग ने कार्यक्रम के बारे में जागरूक करने तथा सूचकांक के लिए अपेक्षित डेटा प्रस्तुत करने के लिए भी सभी राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों को शामिल करते हुए नई दिल्ली, बेंगलुरु, गुवाहाटी और भोपाल में क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित कीं।

वर्टिकल के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप

1. एमएचआरडी, राज्य शिक्षा विभागों तथा भारत और विदेशों के शिक्षाविदों के साथ परामर्श करके विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (एसईक्यूआई) तैयार किया गया है।
2. विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों के बीच "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के लिए 6 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए : (i) महाराष्ट्र सरकार और ओड़िसा सरकार (ii) गोवा सरकार और झारखंड सरकार (iii) पंजाब सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार (iv) हरियाणा सरकार और तेलंगाना सरकार (v) चंडीगढ़ संघ राज्य–क्षेत्र एवं दादरा और नगर हवेली संघ राज्य–क्षेत्र और (vi) पुदुचेरी सरकार तथा दमन और दीव संघ राज्य–क्षेत्र।
3. वर्टिकल द्वारा स्वायत्तता और अनुसंधान के मामले में उच्चतर शिक्षा की 10 निजी और 10 सार्वजनिक विश्वस्तरीय संस्थाओं की रूपरेखा तैयार करना।
4. वर्टिकल विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभागों, उच्चतर शिक्षा (एमएचआरडी), युवा मामले और खेल विभाग (एमवाईएएस) तथा संस्कृति मंत्रालय के लिए विभागीय कार्य योजनाओं से संबद्ध रहा है।

विविध कार्यकलापः

शिक्षा वर्टिकल में 12वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज के मानव संसाधन विकास अध्याय को तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने में अन्य सामाजिक क्षेत्रक वर्टिकल के साथ समन्वय किया।

युवा मामले और खेल

राष्ट्र निर्माण में "युवा–शक्ति" का उपयोग करने के लिए, किशोर और युवाओं से संबंधित समस्याओं पर 12वीं योजना के ध्यानकेंद्रण की तर्ज पर युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, वर्टिकल के अधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों से संबंधित युवा मामले और खेल मंत्रालय की बैठकों में भाग लिया। "लेट्स प्ले–टार्गेट 50 ओलंपिक मेडल्स" नामक एक पुस्तिका, भारत में खेल की बहाली के लिए एक कार्य–योजना, तैयार की गई है और विभिन्न पणधारकों को भेजी गई है। लेट्स प्ले पुस्तिका लगभग 20 बिन्दुओं की कार्य–योजना है जिसमें खेल से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों जिनमें सुधार की आवश्यकता है, को विशेष रूप से दर्शाया गया है। इन कार्य–बिन्दुओं को अल्पकालिक दृष्टिकोण (4 से 8 वर्ष) और मध्यकालिक से दीर्घकालिक दृष्टिकोण (8 से 15 वर्ष) में विभाजित किया गया है। इन कार्य–बिन्दुओं में 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 50 मेडलों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश द्वारा की जाने वाली अपेक्षित पहलों की पहचान की जाती है।

संस्कृति

सरकार अपनी संस्थाओं के नेटवर्क और सहायता अनुदान संबंधी स्कीमों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, लोकप्रियता और संवर्धन में योगदान देती रही है। यह कार्य संग्रहालयों, अभिलेखागारों, पुस्तकालयों, निष्पादन कलाओं के माध्यम से और विविध कार्यक्रम तथा उत्सवों का आयोजन करके किया जाता है। एचआरडी वर्टिकल ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में संस्कृति मंत्रालय के साथ समन्वय करता है।

इस वर्टिकल ने निम्न से संबंधित ईएफसी/एसएफसी प्रस्तावों की जांच की:

(i) संरक्षण संबंधी व्यापक स्कीम, संदर्भ मीडिया की तैयारी, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागारों के अभिलेखों के डिजिटीकरण और माइक्रोफिल्मिंग के लिए नीति आयोग के सैद्धांतिक अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव।

(ii) गुजरात के केवड़िया क्षेत्र में सरदार वल्लभभाई पटेल (स्टेच्यू ऑफ यूनिटी) के निर्माण के लिए गुजरात सरकार को 100 करोड़ रु. जारी करने पर विचार करने संबंधी स्थायी वित्त समिति के तहत प्रस्ताव का समर्थन किया।

(iii) पटना में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विज्ञान शहर की स्थापना संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया।

कौशल विकास और रोजगार एकक

सामाजिक क्षेत्रक (i) वर्टिकल में कौशल विकास और रोजगार (एसडीई) एकक कौशल विकास, रोजगार, श्रम विनियम, सामाजिक संरक्षण और मजदूरी से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन करता है। यह एकक विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों पर श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ घनिष्ठ रूप से सहयोग करता है। एकक समकालीन मुद्दों की पहचान करने और सहभागिता अवसरों को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकायों एवं विशेषज्ञों के साथ भागीदारी भी करता है।

एकक द्वारा किए गए प्रमुख कार्यकलाप नीचे दिए गए हैं :

1. **श्रेष्ठ पद्धतियों का सारांश :** जनसांख्यिकीय लाभ जिसका वर्तमान में भारत लाभ उठा रहा है, का उपयोग करने हेतु कौशल पारितंत्र को सुदृढ़ बनाने के साथ भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, 2015 की शुरूआत की गई थी। सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए राज्यों और निजी क्षेत्रक की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। राज्यों, निजी क्षेत्रक और सिविल सोसाइटी द्वारा उपलब्धता, पहुंच, गुणवत्ता, प्रासंगिकता, उद्योग भागीदारी और वित्तीय संसाधनों में सुधार करने के लिए कई नवोन्मेषी उपाय किए गए हैं। कौशल विकास के संबंध में मुख्यमंत्रियों के उप–समूह ने 2015 में अपनाने या अनुकरण हेतु राज्यों के लिए ऐसी ही श्रेष्ठ पद्धतियों के समेकन की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के अनुसार, नीति आयोग ने व्यापक प्रचार और दोहरीकरण के लिए राज्यों, निजी क्षेत्रक और सिविल सोसाइटी से 40 श्रेष्ठ पद्धतियों का संग्रहण किया है। सार संग्रह का प्रकाशन किया जा रहा है।

2. **मंत्रिमंडल नोट/एसएफसी और ईएफसी का अनुमोदन :** इस एकक को श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अन्य के साथ श्रम बाजार परिस्थितियों, रोजगार अवसरों, सामाजिक सुरक्षा और नियोजनीयता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों/अंतःक्षेपों हेतु कई मंत्रिमंडल नोट/ईएफसी/एसएफसी प्राप्त हुए हैं। नोट का मूल्यांकन किया गया और टिप्पणियों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु मंत्रालयों को भेजा गया। मूल्यांकित महत्वपूर्ण स्कीमों/प्रस्तावों में निम्न शामिल थेः

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 2016-20 की पुनर्सरचना करना और जारी रखना
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित मुद्दों के संबंध में सचिवों की समिति के लिए नोट
- एनपीएस में अनौपचारिक क्षेत्रक में कर्मचारियों/कामगारों का एनपीएस से बाहर जाने की सुविधा के साथ स्वतः नामांकन – पीएफआरडीए से प्रस्ताव
- एमएसडीई के तहत केंद्रीय कौशल विकास स्कीमों/कार्यक्रमों का अभिसरण
- प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना
- राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन स्कीम
- वामपंथ उग्रवाद प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास
- राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड नामक केंद्रीय स्वायत्त निकायों की स्थापना करना
- औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (एसटीआरआईवीई)
- आजीविका संवर्धन कार्यक्रम (संकल्प) के लिए कौशल उपार्जन और ज्ञान संबंधी जागरुकता
- 1500 बहुकौशल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना
- राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार
- कानपुर, मुंबई, भुवनेश्वर और चेन्नई में स्थित उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों का उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में उन्नयन
- उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण–उद्यमिता
- महिलाओं के लिए उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए आईएसओ 2990 प्रमाणन
- मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936 में संशोधन

3. **अनुसंधान कार्य :** एकक ने विकास और रोजगार सृजन, तटीय आर्थिक जोन में श्रम कानूनों, आईएलओ के लिए अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्रक में परिवर्तन संबंधी नीतिगत दस्तावेज और कौशल विकास सूचकों/सूचकांक संबंधी संकल्प पत्र के क्षेत्रों में नीतिगत दस्तावेज भी तैयार किए।

4. **विविध कार्य :** एसडीई एकक राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) से संबंधित कार्यों को देख रहा है। वर्ष के दौरान एनआईएलईआरडी में महानिदेशक के चयन की प्रक्रिया पूरी की गई। एकक श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा कौशल विकास और उधमिता मंत्रालय में अधिकारियों, क्षेत्रीय अधिकारियों, व्यापार संघों, नियोजक, प्रतिनिधियों आदि के बीच भुगतान की डिजिटल पद्धति के बारे में जागरूकता लाने को बढ़ावा देने में भी शामिल था।

शहरीकरण प्रबंधन

नीति आयोग के शहरीकरण प्रबंधन वर्टिकल के जिम्मे भारत में शहरी परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए सभी पक्षों, थिंक–टैंक और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाने का महत्वपूर्ण दायित्व है जिसमें संधारणीय नीति की रूपरेखा तैयार करने और अद्यतित आंकड़ों के आधार पर उचित अंतःक्षेप किया जा सके। इस वर्टिकल के पास केंद्र, राज्य तथा नगरपालिका स्तरों पर सरकारो के साथ शहरी परिवर्तन की साझा दृष्टि विकसित करने का काम है। यह वर्टिकल शहरी विकास मंत्रालय की विभिन्न समितियों और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करता है।

वर्ष के दौरान किए गए मुख्य कार्यकलापों का ब्यौरा निम्नवत है :-

1. **शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण :** भारत सरकार ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और स्मार्ट सिटी नामक शहरी नवीकरण मिशन शुरू किया है जिसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन–स्तर को ऊपर उठाने के लिए बुनियादी शहरी अवसंरचना की उपलब्धता को बढ़ाना है। किंतु, जैसा कि व्यापक रूप से स्वीकार भी किया जाता है, शहरी परिवर्तन के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण व्यवधान यह है कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताएं सीमित हैं। नीति आयोग ने सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज के साथ एक समझौता–ज्ञापन के तहत शहरी प्रबंधन कार्यक्रम नामक क्षमता निर्माण कार्यक्रम अप्रैल, 2016 में शुरू किया जिसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों, पैरास्टैटल निकायों और राज्य सरकार के अधिकारियों की क्षमताओं का निर्माण करना है। इस कार्यक्रम में सात राज्य– तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश, दिल्ली और असम शामिल हैं। कार्यक्रम के तीन प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं: (i) शहरी आयोजना और शासन, (ii) जल, अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तथा (iii) लोक वित्त (पीपीपी)। कार्यक्रम का उद्घाटन नीति आयोग के उपाध्यक्ष और भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के तहत ज्ञान भागीदारी के लिए तीन कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें सिंगापुर के विशेषज्ञों ने राज्यों के अधिकारियों के साथ चर्चा की। फील्ड दौरे के लिए नवम्बर, 2016 के दौरान राज्य के भागादीरों की सिंगापुर यात्रा आयोजित की गई जिसके तहत जनवरी, 2017 में नई दिल्ली में तीन सलाहकार सत्र आयोजित हुए। कार्यक्रम का समापन समारोह 20 जनवरी, 2017 को हुआ जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉ. बिबेक देबरॉय ने की जिसमें सहभागियों ने शहरी क्षेत्र में चिन्हित मुख्य चुनौतियों के समाधान के लिए त्रिस्तरीय आधाररेखा फ्रेमवर्क कार्यनीति प्रस्तुत की। इन फ्रेमवर्को पर मार्च, 2017 में अन्य राज्यों के साथ चर्चा किया जाना प्रस्तावित है।

2. **मंत्रिमंडल नोट/ईएफसी/एसएफसी/मेट्रो रेल डीपीआर का मूल्यांकन** : 2016-17 में, शहरीकरण प्रबंधन वर्टिकल ने शहरी विकास मंत्रालय की मुख्य पहलों के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन किया। वर्ष के दौरान मंत्रिमंडल नोट/ईएफसी/एसएफसी/मेट्रो रेल डीपीआर के रूप में निम्नांकित प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गयाः

- सेक्टर–24, द्वारका परियोजना में दूसरे राजनयिक एनक्लेव के लिए जमीन हस्तांतरित करने का काम दिल्ली विकास प्राधिकरण से लेकर भूमि और विकास कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय को देना।
- शहरी परिवहन संस्थान (आईयूटी) की शहरी विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापना करना।
- मेट्रो रेल विधेयक, 2016

- मेट्रो रेल नीति, 2016
- राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान का पुनर्गठन
- कोच्चि, भोपाल, इन्दौर, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोजिकोड और कानपुर में मेट्रो परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।

3. **स्मार्ट गांव संबंधी नोट :** आदर्श स्मार्ट गांव विकसित करने संबंधी एक नोट तैयार किया गया जिसमें स्मार्ट गांवों के विकास के लिए कई मौजूदा कार्यक्रमों को आमेलित करने की बात कही गयी।

4. **परियोजनाओं/संस्थानों के लिए चुनौती पद्धति के माध्यम से स्थलों, स्थानों के चयन हेतु दिशानिर्देश :** नीति आयोग ने परियोजनाओं/संस्थानों के लिए चुनौती पद्धति के माध्यम से स्थलों, स्थानों के चयन हेतु दिशानिर्देश का मसौदा विकसित किया। मंत्रिमंडल सचिवालय ने आशोधित दिशानिर्देश प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत किया। नीति आयोग ने ये दिशानिर्देश राज्यों को भेजे।

5. **शहरी परिवर्तन सूचकांक :** फिलहाल, विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं, इसलिए हमारे पास विभिन्न राज्यों में किस हद तक शहरी परिवर्तन हुआ है, इसकी समेकित तस्वीर नहीं है। इसलिए, नीति आयोग का मानना है कि एक "शहरी परिवर्तन सूचकांक" (यूटीआई) विकसित किए जाने की आवश्यकता है जो शहरी परिवर्तन संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के परिणाम को दर्शा सके। शहरीकरण प्रबंधन वर्टिकल ने चर्चा के लिए "शहरी परिवर्तन सूचकांक" (यूटीआई) की अवधारणा को लेकर एक नोट का मसौदा तैयार किया है।

ग्रामीण विकास

1. प्रधानमंत्री आवास योजना और दीन दयाल अन्तोयदय योजना पर डैशबोर्ड-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (डीएवाई-एनआरएलएम)

ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में 2022 तक 'सभी के लिए आवास' तथा डीएवाई–एनआरएलएम की उपलब्धियों का अनुवीक्षण करने के लिए नीति आयोग ने दोनों स्कीमों के तहत हुई प्रगति को तीव्र करने के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया है।

2. देश के आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में जल स्रोत विकसित करने के लिए सहायता

दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार देश में ऐसी 13,431 बस्तियाँ थीं जिनमें 1.05 करोड़ की आबादी आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त प्रदूषित जल से प्रभावित थी। नीति आयोग की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित 19 राज्यों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए मार्च, 2016 में एक मुश्त सहायता के रूप में 1,000 करोड़ रु. जारी किए थे। आर्सेनिक तथा फ्लोराइड प्रभावित गाँवों में अंतिम संयोजकता के लिए राजस्थान और पश्चिम बंगाल में सतही जल परियोजनाओं के लिए भी सहायता उपलब्ध करायी गयी।

3. **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्युपी) के अन्तर्गत पेयजल स्कीमों का विश्लेषण पूरा हुआ**

प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेश के अनुसार असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अन्तर्गत पूरी की गई 50 स्कीमों का अध्ययन करने के लिए नीति आयोग में 6 दलों का गठन किया गया। इन स्कीमों के कार्य निष्पादन का विश्लेषण किया गया और प्रधानमंत्री कार्यालय को नवम्बर, 2016 में प्रस्तुत किया गया।

ऊर्जा और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

विद्युत

1. विद्युत क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा (विद्युत उत्पादन) से संबंधित परियोजना प्रस्तावों और अन्य नीतिगत मामलों की जांच।
2. अवसंरचनात्मक संयोजकता के लिए ऊर्जा क्षेत्र संबंधी नीति आयोग के ऑनलाइन डैशबोर्ड का सृजन, अद्यतन और अनुवीक्षण।
3. चीन और जर्मनी में हुई जी 20 ऊर्जा संधारणीयता कार्यदल की बैठकों में भागीदारी।
4. नीति आयोग और आईईईजे (ऊर्जा आर्थिकी संस्थान, जापान) के बीच हस्ताक्षरित आशय पत्र के बयान के तहत संयुक्त अध्ययन परियोजना अर्थात् भारत में स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय एकीकरण पूरी की गई है।
5. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुई भारत का 19वाँ विद्युत सर्वेक्षण की बैठक में वर्टिकल के अधिकारियों ने भाग लिया।
6. वर्टिकल के अधिकारियों ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के सदस्य (विद्युत प्रणाली) की अध्यक्षता में हुई पारेषण प्रणाली की अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में भाग लिया।
7. इंडिया एनर्जी पोर्टल के लिए विद्युत क्षेत्र से संबंधित आदान उपलब्ध कराए गए।
8. वर्टिकल के अधिकारियों ने भूटान के 720 मेगावाट मंगदेच्यु जल विद्युत परियोजना के संशोधित लागत अनुमान से संबंधित मंत्रिमंडल नोट, आयातित कोयले संबंधी मानक बोली दस्तावेज, अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के दिशानिर्देश, 2016, राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों को केंद्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केंद्रों से विद्युत आबंटन के दिशानिर्देशों की जाँच की। 300 मेगावाट के आधुनिक हैवी वाटर रिएक्टर स्थापित करने के लिए तारापुर महाराष्ट्र में स्थान हेतु सिद्धान्ततः अनुमोदन और 10 स्वदेशी 700 मेगावाट पीएचडब्ल्युआर का निर्माण करने के लिए नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम हेतु सिद्धान्ततः अनुमोदन, नेपाल में अरूण–III जल विद्युत परियोजना (900 मेगावाट) के संबंध में पीआईबी के लिए प्रस्ताव और उत्तर प्रदेश सरकार के उ.प्र. विद्युत पारेषण सुधार परियोजनाओं के पारेषण कार्य के लिए विश्व बैंक ऋण प्रस्ताव की भी जाँच की।
9. सलाहकार (ऊर्जा) की अध्यक्षता में भारत के लिए जीआईएस आधारित ऊर्जा मैप तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की पहली बैठक 21 दिसम्बर, 2016 को हुई।

10. प्रधानमंत्री द्वारा की गई समीक्षा के लिए स्तर–2 अवसंरचना के तहत विद्युत क्षेत्र की स्कीमों (दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम) के लक्ष्यों/ उपलब्धियों से संबंधित आदान उपलब्ध कराए गए।

11. पंजाब के लिए नवीकरणीय ऊर्जा हेतु राज्य कार्य योजना तैयार करने के लिए राज्य कार्यकारी समूह की बैठक में भाग लिया।

12. वर्टिकल के अधिकारियों ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरों की मांग पक्ष प्रबंधन स्कीम संबंधी संचालन समिति की बैठकों में भाग लिया।

13. वर्टिकल के अधिकारियों ने विद्युत क्षेत्र की कार्य निष्पादन समीक्षा बैठकों में भाग लिया।

14. वर्टिकल ने चल रही प्रमुख परियोजनाओं (विद्युत और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र) के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच की।

कोयला

1. अन्तर–मंत्रालयी विचार–विमर्श करके कोयला मंत्रालय के लिए वार्षिक योजना 2016-17 हेतु कोयले की क्षेत्रकीय और कुल मांग का अनुमान लगाया और वर्ष 2017-18 की कोयले की मांग का आकलन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की।

2. नीति आयोग और ऊर्जा आर्थिकी संस्थान, जापान (आईईईजे) का संयुक्त अध्ययन चल रहा है।

3. कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र विकास के लिए उभरते मुद्दों से संबंधित रणनीतियों और नीतियों संबंधी अंतर–मंत्रालयी समिति में प्रतिनिधित्व, उदाहरणार्थ स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी), स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियाँ, कोयला गैसीकरण आदि।

4. कोयला और लिग्नाईट क्षेत्र के डेटाबेस का रखरखाव करना और सूचना के आदान–प्रदान के लिए नीति आयोग के अन्य वर्टिकलों के साथ समन्वय करना।

अवसंरचना

नीति आयोग के अवसंरचना कनेक्टिविटी वर्टिकल के जिम्मे दक्ष, संधारणीय, पर्यावरण–अनुकूल तथा क्षेत्रीय रूप से संतुलित परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देकर परिवहन क्षेत्र के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण बनाए रखने का काम है। वर्ष 2016-17 में इस वर्टिकल द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

1. 12वीं योजना का मध्यावधि मूल्यांकन

अवसंरचना कनेक्टिविटी वर्टिकल ने अवसंरचना अध्याय के एक भाग के रूप में परिवहन संबंधी खंड तैयार करके 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज को तैयार करने में योगदान दिया। 12वीं योजना में निर्धारित वास्तविक और निवेश लक्ष्यों की दृष्टि से चालू योजना अवधि के पहले चार वर्षों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन किया गया। इस मूल्यांकन में भावी प्राथमिकताएं भी निर्धारित की गई हैं।

2. माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठकें

अवसंरचना कनेक्टिविटी वर्टिकल द्वारा, माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित अवसंरचना कार्य–निष्पादन समीक्षा बैठकों का, जुलाई 2014 में इनकी शुरुआत के बाद से, संचालन किया जा रहा है। इन बैठकों ने देश में अवसंरचना विकास के लिए प्राथमिकता निर्धारण तथा अवसंरचना क्षेत्रक के लिए सुमेलित निर्णय लेने हेतु एक मंच के रूप में कार्य किया है। 2016-17 में दो बैठकें की जा चुकी हैं। मई 2016 में विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रकों के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। यह वर्टिकल, संबंधित मंत्रालयों से डेटा एकत्र करने, नीति आयोग के अन्य संबंधित वर्टिकलों की सहायता से उसका विश्लेषण करने तथा माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष की जाने वाली प्रस्तुति को अंतिम रूप देने में सीईओ की सहायता करने के लिए उत्तरदायी है। इन बैठकों की सहायता से अवसंरचना क्षेत्रक पर एकीकृत और व्यापक तरीके से ध्यान केंद्रित करना संभव हो सका है।

3. मुम्बई-अहमदाबाद द्रुतगति रेल (एमएएचएसआर) गलियारा परियोजना

भारत सरकार और जापान सरकार ने मुम्बई–अहमदाबाद द्रुतगति रेल गलियारा परियोजना में सहयोग और सहायता के लिए 12 दिसम्बर, 2015 को एक सहयोग–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह सहयोग नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अरविन्द पानगड़िया के नेतृत्व वाली अधिकार–प्राप्त नवप्रवर्तन सहयोग समिति की सिफारिश पर आधारित है, जिसने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्थानीय विनिर्माण के संबंध में प्रतिबद्धता के अलावा कम लागत वाले वित्तपोषण के कारण इस परियोजना की सिफारिश की। भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए शिंकनसेन प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया।

जनवरी, 2016 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुम्बई–अहमदाबाद द्रुतगति रेल परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से एक उच्च–स्तरीय संयुक्त समिति का गठन किया जिसका नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष कर रहे हैं। संयुक्त समिति ने इस परियोजना में अगला कदम उठाने के लिए 14 फरवरी, 2016 को मुम्बई में जापान की समकक्ष समिति के साथ विचार–विमर्श किया। जापानी दल के साथ विस्तृत विचार–विमर्श करने के लिए शासकीय स्तर पर एक कार्यदल गठित किया गया है जिसमें सलाहकार (अवसंरचना कनेक्टिविटी) सदस्य के रूप में शामिल हैं। 2016–17 में, एमएएचएसआर संबंधी संयुक्त समिति (जेसीएम) की, जापान की समकक्ष समिति के साथ तीन बैठकें आयोजित की गईं। जेसीएम की दूसरी बैठक 16.5.2016 को टोक्यो में आयोजित की गई जिसके साथ ही एमएएचएसआर पर भारत–जापान उद्योग नेटवर्किंग संबंधी संयुक्त बैठक भी आयोजित की गई। जेसीएम की तीसरी बैठक नई दिल्ली में 7.10.2016 को और चौथी बैठक नई दिल्ली में 17.2.2017 को आयोजित की गई।

एमएएचएसआर में प्रौद्योगिकी के अंतरण और मेक इन इण्डिया पहल को बढ़ावा देने के लिए वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार डीआईपीपी, रेल मंत्रालय, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया गया है। कार्यदल ने 20 जनवरी को बैठक की और सहयोग के तरीकों को चिह्नित किया।

4. पत्तन पारितंत्र कुशलता

सीईओ, नीति आयोग ने पोत परिवहन मंत्रालय, सीमा–शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय और उद्योग सहित विभिन्न पणधारकों के साथ पत्तन पारितंत्र के विषय पर विभिन्न मानदंडों के संबंध में क्रमश: 09 अगस्त, 2016 और 30 जनवरी, 2017 को दो बैठकों की अध्यक्षता की। पहली बैठक में विभिन्न मानदंडों जैसे कि निर्यात और आयात के लिए समय संबंधी लक्ष्य, आयात सीमा–शुल्क, रेलवे और सीएसएफ के लिए कड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए। सीमा–शुल्क संबंधी कार्रवाई, जेएनपीटी में रेलवे रैक्स के लदान और प्रलेखन में विलम्ब को कम करने के संबंध में बहुत उल्लेखनीय उपलब्धियां सूचित की गईं। दिनांक 30.1.2017 को आयोजित बैठक में, 2017-18 के लिए पत्तन पारितंत्र कुशलता मानदंडों हेतु समय संबंधी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

5. क्षेत्रीय परिवहन मुद्दे

अवसंरचना कनेक्टिविटी वर्टिकल क्षेत्रीय परिवहन के मुद्दों, खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के परिवहन मुद्दों को देखता है, जहां रेल और सड़क अवसंरचना को सुधारने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 10,000 करोड़ रूपए का निवेश किया जा रहा है। इस मुद्दे पर इस वर्टिकल ने 2016 में पूर्वोत्तर राज्यों का परिवहन अवसंरचना विकास नाम से एक स्थिति रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में इस क्षेत्र की मौजूदा परिवहन परियोजनाओं और उनकी गति बढ़ाने की संभावनाओं के बारे में एक विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध है। इस रिपोर्ट में पूर्वोत्तर राज्यों और इस क्षेत्र के देशों के बीच कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए आरंभ की जा सकने वाली नई परियोजनाओं का सुझाव भी दिया गया है।

6. अत्यंत महत्वपूर्ण मौजूदा परियोजनाओं की बाधाओं को हटाना

वर्ष के दौरान, अवसंरचना कनेक्टिविटी वर्टिकल ने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण परिवहन परियोजनाओं संबंधी बाधाओं को हटाने में सहयोग किया। इनमें निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल थीं– बिहार में गंगा नदी पर दो रेल–सह–सड़क पुल तथा त्रिपुरा में अगरतला और बंगलादेश में अखौरा के बीच एक अंतरराष्ट्रीय रेल कनेक्टिविटी परियोजना।

7. निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन

वर्ष के दौरान रेल, सड़क परिवहन और राजमार्ग, पोत परिवहन और नागर विमानन मंत्रालयों से प्राप्त निवेश प्रस्तावों पर व्यय वित्त समिति (ईएफसी), सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) तथा विस्तारित रेलवे बोर्ड (ईबीआर) द्वारा विचार किए जाने से पहले परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन वर्टिकल (पीएएमडी) के सहयोग से इनकी जांच की गई और इनका ब्यौरा नीचे तालिका में दर्शाया गया है। एसएआरडीपी–एनई पर कुल 8 अंतर–मंत्रालयी उच्च–अधिकार प्राप्त समितियों का मूल्यांकन किया गया है।

चित्र 1 : वर्ष 2016-17 के दौरान अवसंरचना कनेक्टिविटी वर्टिकल द्वारा विभिन्न क्षेत्रकों के लिए परीक्षित ईएफसी, एसएफसी, ईबीआर और पीआईबी नोट्स की संख्या

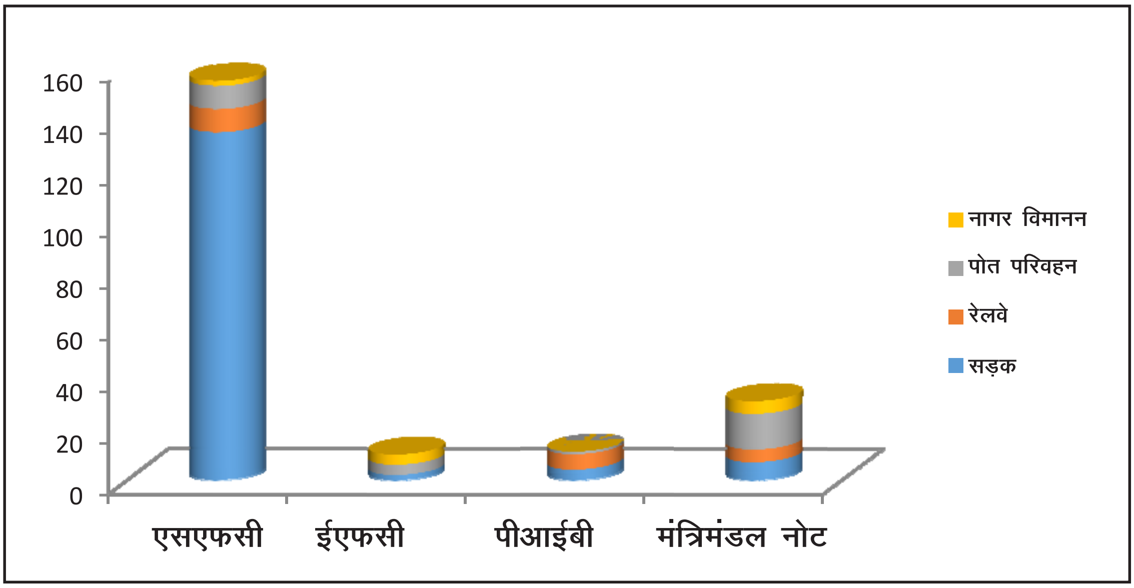

8. नीति निर्माण संबंधी योगदान : मंत्रिमंडल नोट

अवसंरचना कनेक्टिविटी वर्टिकल ने परामर्श पत्र मंत्रिमंडल नोट और सीओएस नोट के माध्यम से अंतर–मंत्रालयी निर्णय लेने की प्रक्रिया हेतु अपने सुझावों के माध्यम से परिवहन क्षेत्रक में नीति तैयार करने में मुख्य भूमिका अदा की। वर्ष के दौरान परीक्षित मंत्रिमंडल नोट का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्षेत्रक	सड़क	नागर विमानन	रेलवे	पोत परिवहन	कुल
मंत्रिमंडल नोट	07	05	05	14	31

वर्ष के दौरान मंत्रालयों द्वारा अवसंरचना कनेक्टिविटी वर्टिकल के परामर्श से लिए गए कुछ प्रमुख नीतिगत निर्णय निम्नानुसार हैं :

क. विनियामक सुधार विधेयक

वर्टिकल ने विनियामक सुधार विधेयक पर कार्य किया है जिसके लिए मई, 2016 में प्रमुख पणधारकों के साथ परामर्श बैठक की गई थी। इस विधेयक का उद्देश्य विनियामक निकायों के सामान्य मुद्दों के संबंध में एकसमान अप्रोच उपलब्ध कराना है। विधेयक का मसौदा विभिन्न मंत्रालयों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया है और सभी पणधारकों से टिप्पणियां प्राप्त हो जाने के बाद विधेयक को अंतिम रूप दिया जाएगा।

ख. रेल विकास प्राधिकरण (आरडीए)

अवसंरचना कनेक्टिविटी वर्टिकल ने आरडीए की स्थापना करने संबंधी मंत्रिमंडल नोट की जांच की और ऐसे सुझाव दिए जो रेलवे क्षेत्रक के लिए विनियामक के सृजन का आधार बनेंगे।

ग. सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा ग्रामीण सड़कें

वर्ष 2016–17 में, नीति आयोग राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों के क्षेत्रकों में परियोजना संबंधी

प्रदेयों में सुधार करने हेतु नीतिगत चर्चा करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के सतत संपर्क में रहा। नीति आयोग के परामर्श से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत और निवेश संबंधी निर्णयों में जो शामिल थे वे हैं: चारधाम कनेक्टिविटी तथा पीएमजीएसवाई स्कीम के तहत एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी में सुधार करना।

घ. सागरमाला और तटीय विकास

नीति आयोग के उपाध्यक्ष को 13 मई, 2015 को गठित राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था। उपाध्यक्ष ने देश में विनिर्माण और निर्यात को बढ़ाने के लिए तटीय रोजगार अंचलों के संबंध में वैचारिक नेतृत्व प्रदान किया है। नीति आयोग की राय को सागरमाला पहल के हिस्से के रूप में पत्तन संबंधी राष्ट्रीय भावी योजना में शामिल किया गया है। 2016–17 में, सागरमाला संबंधी संचालन समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं जिनमें सीईओ ने नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें उपाध्यक्ष ने तटीय रोजगार अंचलों के संबंध में अपनी भावी योजना (विजन) को अभिव्यक्त किया।

ङ. रेलवे निवेश और नीतिगत प्रस्ताव

रेल मंत्रालय के लिए निवेश और नीतिगत फ्रेमवर्क से संबंधित अनेक विषयों का विश्लेषण किया गया और सुझाव प्रदान किए गए जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के लिए नियंत्रक कंपनी का गठन; कोंकण रेलवे निगम (केआरसीएल) का वित्तीय पुनर्संरचना संबंधी प्रस्ताव; मेट्रो रेल विधेयक का मसौदा और भारत विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना। इसके अतिरिक्त, इस वर्टिकल ने डबलिंग, नई लाइनों और विद्युतीकरण से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जांच करके पीएएमडी तथा विस्तारित रेलवे बोर्ड की सहायता की है।

च. नागर विमानन

इस क्षेत्र में, मंत्रालय को निम्नलिखित क्षेत्रों में निवेश और नीति संबंधी अनेक सुझाव प्रदान किए गए। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 50 अप्रयुक्त हवाई–पट्टियों का पुनरुद्धार और विकास तथा नवी मुम्बई विमानपत्तन के लिए आरएफपी दस्तावेजों का मसौदा।

छ. रेलवे में अनुसंधान और विकास के पारितंत्र को सुधारने में नीति आयोग की भूमिका

डॉ. वी.के. सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग, विशेषज्ञों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष की हैसियत से भारतीय रेल के अनुसंधान और विकास के पारितंत्र को सुधारने के लिए रेल मंत्रालय के साथ निकटता से जुड़े रहे हैं। इन्होंने एसआरईएसटीएचए (कार्यनीतिक प्रौद्योगिकी और समग्र विकास के लिए विशिष्ट रेलवे प्रतिष्ठान) के कार्यान्वयन के संबंध में बाह्य विशेषज्ञों और महानिदेशक, आरडीएसओ तथा रेल मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित अनेक बैठकों की अध्यक्षता की है और एसआरईएसटीएचए के कार्यान्वयन के लिए रेल मंत्रलय को अनेक सिफारिशें की हैं।

ज. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की किराया निर्धारण समिति (एफएफसी) को नीति आयोग के सुझाव

डॉ. मनोज सिंह, सलाहकार (परिवहन और अवसंरचना कनेक्टिविटी) को न्यायमूर्ति एम.एल. मेहता (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित चौथी एफएफसी द्वारा विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में एफएफसी को सहायता प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया था। समिति द्वारा जून–सितम्बर, 2016 की अवधि के दौरान विचार–विमर्श किया गया और एफएफसी दिनांक 8 सितम्बर, 2016 तक की

अधिदेशित अवधि के अंदर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में सफल रही।

झ. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा गठित की गई टैक्सी नीति संबंधी समिति को नीति आयोग के सुझाव

सलाहकार (परिवहन और अवसंरचना कनेक्टिविटी) को, दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुरोध पर गठित की गई टैक्सी नीति संबंधी समिति का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। उद्योग वर्टिकल और उद्योग क्षेत्र के अन्य पणधारकों के परामर्श से व्यापक सुझाव दिए गए। नीति आयोग और अन्य पणधारकों द्वारा प्रदान किए गए सुझावों के आधार पर एमओआरटीएच ने टैक्सी नीति तैयार की है जिससे राज्यों को साझी टैक्सियों, ऐप आधारित एग्रीगेटर्स तथा शहरी गतिशीलता के क्षेत्र में अन्य नए प्रवेशकों के विनियमन हेतु नीति तैयार करने में मदद मिल रही है।

ञ. रूपांतरकारी गतिशीलता संबंधी कार्यशाला

नीति आयोग रॉकी माऊंटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई), यूएसए के सहयोग से, नई दिल्ली में 27–28 फरवरी, 2017 को रूपांतरकारी गतिशीलता संबंधी समाधानों पर एक उच्च स्तरीय व्यावहारिक सत्र का आयोजन कर रहा है। यह उच्च–स्तरीय बैठक भारत को यात्री गतिशीलता के संबंध में परम्परागत उपागमों को ''लांघने'' में समर्थ बनाने हेतु उदीयमान प्रौद्योगिकियों और व्यवसाय मॉडलों को चिन्हित करने और उनका पता लगाने के प्रयोजनार्थ सरकार, उद्योग और सिविल सोसाइटी से गतिशीलता विशेषज्ञों के एक व्यापक समूह को एक मंच पर लाएगी। आशा है कि यह कार्यशाला रूपांतरकारी समाधानों के विकास को तीव्र कर सकने वाली ऐसी कार्यनीतियों को चिन्हित करेगी जो भारत को यात्री गतिशीलता में वैश्विक मार्गदर्शक के रूप में उभरने में समर्थ बनाएंगी।

ट. सार्वजनिक परिवहन में नई प्रौद्योगिकी का आकलन

नीति आयोग परिवहन और गतिशीलता के क्षेत्र में नई और उदीयमान प्रौद्योगिकियों का तकनीकी आकलन करने के कार्य में संलग्न रहा है। इस संबंध में, डॉ. वी.के. सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग द्वारा पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट (पीआरटी) प्रौद्योगिकी का आकलन करने के लिए 20 अक्तूबर, 2016 को एक बैठक की अध्यक्षता की गई। यह बैठक, पीआरटी की एक प्रायोगिक परियोजना हेतु प्रौद्योगिकी विकल्पों की समीक्षा करने में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा एनएचएआई की सहायता करने की दृष्टि से आयोजित की गई थी। तीन संभावित बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुतियां की गईं जिसके उपरांत नीति आयोग ने भावी कार्रवाई के लिए स्पष्ट सिफारिशों के साथ प्रौद्योगिकियों का तुलनात्मक आकलन किया।

ठ. भारतमाला कार्यक्रम पर अंतर-मंत्रालयी बैठक

सीईओ ने 2 जनवरी, 2017 को, देश में सड़क विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नामत: भारतमाला के संबंध में अंतर–मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के आकार, एनएचएआई को प्रत्यायोजन और इस कार्यक्रम के अन्य घटकों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और नीति आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दी हैं।

ड. मेट्रो परियोजनाओं के क्षेत्र में मेक इन इण्डिया को प्रोत्साहन:

मेट्रो के लिए रोलिंग स्टॉक के अधिप्रापण के लिए मेक इन इण्डिया को बढ़ावा देने के संबंध में सीईओ, नीति आयोग द्वारा 5 दिसम्बर, 2016 को एक बैठक की अध्यक्षता की गई। देश के विभिन्न शहरों में मेट्रो परियोजनाओं के कार्यान्वयन में वृद्धि होने के साथ–साथ मेट्रो प्रणालियों के लिए अपेक्षित रोलिंग स्टॉक में भी वृद्धि होना निश्चित है। ऐसे समय में, मेट्रो रेल प्रणालियों के लिए रोलिंग स्टॉक के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। इस बैठक में रेल मंत्रालय, एमओयूडी, डीआईपीपी और अनेक मेट्रो कंपनियों सहित कई पणधारकों की उपस्थिति में भारत में

मेट्रो सवारी–डिब्बों के स्थानीय विनिर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए अनेक निर्णय लिए गए। आशा है कि अंतर–मंत्रालयी बैठक में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप भारत में मेट्रो सवारी–डिब्बों के स्थानीय उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

ढ़. अंतर्राष्ट्रीय सड़क परिसंघ द्वारा कुशल परिवहन प्रणाली पर उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन

अंतर्राष्ट्रीय सड़क परिसंघ (आईआरएफ) ने बेहतर सड़क सुरक्षा और कम भीड़–भाड़ के साथ धारणीय गतिशीलता को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारत में कुशल परिवहन प्रणाली (आईटीएस) के संबंध में गोलमेज सम्मेलनों की एक श्रृंखला शुरू की है। नीति आयोग को इस गोलमेज सम्मेलन के एक सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था।

ण. सरकार-दर-सरकार (जी टू जी) सहयोग के मार्फत विदेशी रेलवे संस्था/राष्ट्र के माध्यम से उच्च प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित महत्वपूर्ण रेल अवसंरचना परियोजनाओं का कार्यान्वयन

डॉ. बिबेक देबरॉय, सदस्य ने इस विषय पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और इस स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों का समाधान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने डॉ. देबरॉय, सदस्य को इस मामले का शीघ्र समाधान करने के लिए अंत:क्षेप करने का अनुरोध किया था।

त. स्तरीय अवसंरचना विकास के संबंध में भारत के अनुभव को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साझा करना

सलाहकार (परिवहन और अवसंरचना कनेक्टिविटी) को ''स्तरीय अवसंरचना और बहुपक्षीय विकास बैंक'' विषय पर 15 दिसम्बर, 2016 को आयोजित संगोष्ठी में आमंत्रित किया गया था जिसका आयोजन जापान सरकार के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई) के सहयोग से वाशिंगटन डीसी स्थित थिंक टैंक नामत: सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (सीएसआईएस) द्वारा किया गया था।

थ. सड़क सुरक्षा संबंधी शिक्षा को बढ़ावा

श्री रतन पी. वातल, प्रधान सलाहकार, नीति आयोग ने स्कूल पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा संबंधी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों और पणधारकों के साथ दिनांक 19.09.2016 और 24.01.2017 को आयोजित दो बैठकों की अध्यक्षता की। इसमें एनएचएआई, एमओआरटीएच, एनसीईआरटी, एमओएचआरडी, डीएवीपी, एससीईआरटी जैसे संस्थानों तथा आईआरएफ, पीरामल फाउंडेशन आदि जैसे प्रमुख गैर–सरकारी संगठनों ने भाग लिया। पहली बैठक के परिणाम के रूप में, एनसीईआरटी ने विभिन्न एससीईआरटी से सड़क सुरक्षा शिक्षा पर उपलब्ध सम्पूर्ण सर्वश्रेष्ठ सामग्री का मिलान करने की पहल की है और स्कूल स्तरीय पाठ्यक्रम में इसके संभावित समावेशन के संबंध में प्रक्रिया शुरू की है। प्रधान सलाहकार ने एनसीसी और एनएसएस को सड़क सुरक्षा शिक्षा को अपने प्रमाणीकरणों के एक भाग के रूप में शामिल करने के लिए भी लिखा है। वर्टिकल द्वारा शीघ्र ही इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी ताकि सड़क सुरक्षा के संदेश को कम उम्र में ही बच्चों के मन में बैठाया जा सके।

उद्योग

उद्योग वर्टिकल, विनिर्माण क्षेत्रक से संबंधित नीतिगत मुद्दों से संबंधित कार्य करता है।

भारत में व्यवसाय विनियामक माहौल पर नीति आयोग द्वारा आईडीएफसी उद्यम सर्वेक्षण, नीति आयोग की प्रमुख पहलों में से एक है। इस प्रयोजनार्थ, नीति आयोग आईडीएफसी प्रतिष्ठान के सहयोग से सभी राज्यों और संघ राज्य–क्षेत्रों में स्टार्ट–अप सहित विनिर्माण फर्मों का उद्यम सर्वेक्षण कर रहा है। इस सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक राज्य और संघ राज्य–क्षेत्र में व्यवसाय विनियामक माहौल का आकलन करना तथा राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों में व्यवसायों द्वारा झेली जा रहीं नीतिगत और विनियामक अड़चनों को चिन्हित करना है। यह सर्वेक्षण राज्य–स्तरीय निष्पादन के संबंध में एक व्यापक विश्लेषण और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यह सर्वेक्षण मुद्दों का जायजा लेते हुए और राज्य–स्तरीय सुधारों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हुए सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल में सहयोग करेगा जिससे प्रतियोगी और सहकारितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा मिलने के साथ–साथ भारत में व्यवसाय करने में आसानी होगी।

उद्यम सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देने के लिए, जून, 2015 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समूह का गठन किया गया। आईएमआरबी इंटरनेशनल ने अक्तूबर, 2016 तक सभी राज्यों और संघ राज्य–क्षेत्रों में यह सर्वेक्षण पूरा कर लिया था। इस परियोजना में लगभग 3100 उद्यमों और 178 स्टार्ट–अप्स का सर्वेक्षण शामिल था। सर्वेक्षण का परिणाम विश्लेषण शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा।

नीति आयोग की एक विशिष्ट पहल, अंतर्राष्ट्रीय श्रेणीक्रमों में नवोन्मेष पारितंत्र मानदंडों के बारे में प्रसारित सूचना को सही करने के उपाय करना थी। द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई), जिसे शुरुआत से ही ज्ञान भागीदार के रूप में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ वर्ल्ड–इंटिलेक्च्यूअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूआईपीओ), कॉर्नेल यूनीवर्सिटी और आईएनएसईएडी द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जा रहा है, द्वारा 2007 से भारत सहित विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का, अनेक अन्य महत्वपूर्ण मानदंडों के साथ–साथ 82 संकेतकों का उपयोग करते हुए, उनकी नवोन्मेष क्षमताओं और परिणामों के अनुसार, श्रेणीक्रम निर्धारित किया जा रहा है। इसने स्वयं को, नवोन्मेष के संबंध में अग्रणी संदर्भ और नीति निर्माताओं के लिए 'कार्रवाई के साधन', दोनों के रूप में स्थापित किया है। जीआईआई ने 2015 में भारत को 81वां स्थान दिया था। संगत मानदंडों और डेटा सूचित करने संबंधी मुद्दों को समझने के लिए नीति आयोग ने सीआईआई तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के साथ मिलकर राजधानी में 31 जनवरी को वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक – भारत गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। ग्यारह मंत्रालयों/विभागों ने जीआईआई से संबंधित डेटा सूचित करने की प्रक्रिया में उचित सुधार किया है। इसके परिणामस्वरूप, 2016 में वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक (जीआईआई) में भारत 66वें स्थान पर है।

इस वर्टिकल ने विभिन्न विनिर्माण क्षेत्रकों द्वारा झेली जा रही समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतर–मंत्रालयी मुद्दों को भी उठाया है, जैसे कि:

(क) भारतीय इस्पात उद्योग में 'निःशक्तता कारक' और भावी राह;

(ख) रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया संबंधी पहलों से संबंधित मुद्दे;

(ग) धातु रिसाइक्लिंग उद्योग का विकास करना।

ई–व्यापार क्षेत्रक के विकास से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस

समिति ने ई–व्यापार के कार्यक्षेत्र में विभिन्न पणधारकों के साथ विचार–विमर्श किया। इस मुद्दे पर विचार–विमर्श जारी है।

इसके अधिकारी विभिन्न स्कीमों जैसे कि भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) और औद्योगिक अवसंरचना संवर्धन स्कीम (आईआईयूएस) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अंतर–मंत्रालयी समिति/अधिकार–प्राप्त समिति/शीर्ष समिति के साथ जुड़े हैं। यह वर्टिकल हाल ही में गठित राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास प्राधिकरण (एनआईसीडीए) के न्यासी–मंडल को भी सहायता प्रदान करता है।

सीसीईए ने पूर्वोत्तर राज्यों एवं विशेष श्रेणी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रोत्साहनों के पैकेज तथा मालभाड़ा सब्सिडी स्कीम, 2013 को बंद करने के मामलों पर विचार किया। सीसीईए ने, अन्य बातों के साथ–साथ, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए नई औद्योगिक नीति की जांच करने और एक कार्य–योजना का सुझाव देने के लिए नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया। यह अंतर–मंत्रालयी समिति दिसम्बर, 2016 में गठित की जा चुकी है।

तटीय आर्थिक अंचल (सीईजेड) के लिए कार्य–योजना तैयार करने और संबंधित सीईजेड के विकास को संचालित करने हेतु फरवरी, 2017 में सीईओ, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक अंतर–मंत्रालयी समिति गठित की गई है। इस समिति के लिए नीति आयोग नोडल एजेंसी है।

उद्योग वर्टिकल निम्नलिखित समितियों और विकास परिषदों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व करता है :

- एमएसएमई मंत्रालय द्वारा गठित की गई सार्वजनिक प्रापण नीति संबंधी समीक्षा समिति
- पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की स्कीम (एसएफयूआरटीआई) के लिए स्कीम संचालन समिति (एसएससी)
- एमएसई–क्लस्टर विकास स्कीम (सीडीपी) की संचालन समिति
- वस्त्र मंत्रालय की परियोजना मूल्यांकन और अनुवीक्षण समिति (पीएएमसी) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) वस्त्र प्रोत्साहन स्कीम
- एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्कीम (एसआईटीपी) के लिए परियोजना संवीक्षा समिति
- एकीकृत वस्त्र प्रसंस्करण विकास (आईपीडीएस) के लिए परियोजना संवीक्षा समिति
- प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन निधि स्कीम (टीयूएफएस) संबंधी अंतर–मंत्रालयी संचालन समिति (आईएमएससी)
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत गठित की गई अधिकार–प्राप्त समिति
- सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा गठित की गई एमओयू संबंधी अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी)
- पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 के तहत पूंजी निवेश सब्सिडी के संबंध में सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अध्यक्षता में गठित अधिकार–प्राप्त समिति
- 'भारतीय पूंजीगत माल क्षेत्रक में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि' संबंधी स्कीम के लिए भारी उद्योग विभाग द्वारा गठित शीर्ष समिति
- सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रक हेतु मेगा क्लस्टरों के लिए परियोजना अनुमोदन और अनुवीक्षण समिति (पीएएमसी)

- सचिव, भारी उद्योग विभाग की अध्यक्षता में ऑटोमोबाइल और सम्बद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद् (डीसीएएआई)
- मशीन टूल उद्योग हेतु विकास परिषद्
- कपड़ा मशीनरी उद्योग हेतु विकास परिषद्

निम्नलिखित समितियों, जिनमें नीति आयोग से सीईओ के स्तर पर सहभागिता होती है, को उद्योग वर्टिकल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है :

- सीपीएसई के साथ एमओयू संबंधी उच्च अधिकार–प्राप्त समिति (एचपीसी)।
- सीपीएसई को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने/वापस लेने के संबंध में सिफारिशें करने हेतु सचिवों की शीर्ष समिति।

वित्तीय संसाधन

वित्त वर्ष 2015–16 में तीन प्रमुख घोषणाएं की गईं जिनकी वजह से देश के संघ–राज्य वित्त में क्रान्तिकारी ढांचागत बदलाव हुए: (i) राज्यों को अधिक असंबद्ध निधियों के साथ और अधिक स्वायतत्ता प्रदान करते हुए केंद्रीय कर में राज्यों के हिस्से को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया गया जो अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है, (ii) केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) की पुनर्सरचना और (iii) 2017–18 से बजट कार्य में योजना और गैर–योजना के भेद को समाप्त करना। इन बदलावों से निर्णय लेने की कार्यशैली में पूर्णतः बदलाव अपेक्षित था – विशेष रूप से नीति आयोग की भूमिका कार्य का आबंटन करने के बजाय कार्यक्रमों का परिणाम आधारित मूल्यांकन करना हो गई। इन बदलावों के प्रभाव का आकलने करने के लिए राज्य के लिए पूर्ण अंतरण, सामाजिक क्षेत्रक पर प्रभाव आदि से संबंधित अध्ययन किए गए।

राज्यों को केंद्रीय अंतरण में परिवर्तन संबंधी विश्लेषण

14वें वित्त आयोग (एफएफसी) की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को किए जाने वाले केंद्रीय अंतरण पर प्रभाव का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया गया। साझा करने योग्य केंद्रीय करों के अंतरण, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र एवं योजना को केंद्रीय सहायता (सीएएसपी) और वित्त आयोग के अनुदानों का विश्लेषण किया गया।

2014–15 और 2015–16 के लिए जारी की गई वास्तविक राशि के आधार पर 26 राज्यों को कुल अंतरण के मामले में लाभ हुआ है। मात्रा की दृष्टि से केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सबसे अधिक लाभ प्राप्तकर्ताओं में से हैं।

इस विश्लेषण से पणधारकों को होने वाली आशंका का समाधान हो गया है कि राज्य केंद्र सरकार द्वारा वर्धित असंबद्ध अंतरण की प्रतिक्रिया में अपने सामाजिक क्षेत्रक व्यय में कटौती कर सकते हैं।

पणधारकों को यह चिंता थी कि साझा करने योग्य केंद्रीय करों को 32 से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने के बावजूद राज्यों को वास्तविक रूप में जारी किया जा रहा कुल अंतरण सामान्य केंद्रीय सहायता, विशेष केंद्रीय सहायता, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि आदि जैसे विवेकशील योजना अंतरण के समापन की वजह से कम हो जाएगा। तथापि, विश्लेषण से यह पता चला कि तीन राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों को वित्त वर्ष 2014–15 की तुलना में वित्त वर्ष 2015–16 में अधिक राशि का अंतरण किया गया है।

चूंकि राज्य के लिए असंबद्ध निधियों की मात्रा में वृद्धि की गई, अतः राज्यों के सामाजिक क्षेत्रक पर व्यय को प्राथमिकता देने के बारे में पणधारकों के बीच अनिश्चितता की स्थिति थी। वित्त वर्ष 2014–15 (वास्तविक) की तुलना में वित्त वर्ष 2015–16 (संशोधित अनुमान) में राज्यों के सामाजिक क्षेत्रक व्यय संबंधी विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि सभी राज्यों ने अपने वास्तविक सामाजिक क्षेत्रक व्यय में सकारात्मक परिवर्तन दर्ज किया है। तथापि, तीन राज्य नामतः मणिपुर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जीडीएसपी के प्रतिशत के रूप में सामाजिक क्षेत्रक व्यय में नकारात्मक वृद्धि देखी गई है।

राज्य वित्त संबंधी तकनीकी सार का विश्लेषण और तैयारी

राज्यों से कतिपय प्रारूपों और उनके राज्य बजट दस्तावेजों के तहत राज्यों से प्राप्त डेटा के आधार पर यह प्रभाग एक डेटाबेस का रख–रखाव करता है और राज्य वित्त संबंधी तकनीकी सार तैयार करता है।

नीति आयोग द्वारा केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल के वित्त के संबंध में शुरू किए गए अध्ययन का मूल्यांकन

राज्य को ढांचागत सहायता प्रदान करने, उनके वित्त का पोषण करने और इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि सुदृढ़ राज्य एक सदृढ़ देश के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, तीन राज्यों नामतः केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लिए एक पहल के रूप में अध्ययन शुरू किया जा रहा है, क्योंकि इनके वित्तीय सूचकांक चिंताजनक पाए गए हैं। इस अध्ययन का ध्येय राज्य के राजकोष के इष्टतम उपयोग और उनके वित्त के बेहतर प्रबंधन हेतु समाधान उपलब्ध कराना है।

यह अध्ययन नीति आयोग को अनुमति देता है कि वह इन राज्यों पर राजकोषीय तंगी की सीमा और कारणों की जांच करे और कमतर कार्य निष्पादन वाले राज्यों के बढ़ते हुए राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को कम करने तथा बेहतर कार्य निष्पादन वाले राज्यों की श्रेष्ठ पद्धतियों और नीतियों का प्रसार करने के लिए नीतिगत सुझाव दें। रिपोर्ट के पहले मसौदे का मूल्यांकन कर लिया गया है और अप्रैल–जून तक अंतिम रिपोर्ट अपेक्षित है।

विभिन्न मंत्रिमंडल नोट संबंधी समितियों/आयोगों की रिपोर्टों/प्रस्तावों/परियोजनाओं संबंधी तकनीकी टिप्पणियां

वर्ष के दौरान, स्कीमों/कार्यक्रमों के वित्त पोषण, योजना मंत्रालय के अनुदानों हेतु आयोजना प्रक्रिया की मांग की समीक्षा संबंधी पंछी आयोग (केंद्र–राज्य वित्त) स्थायी वित्त समिति, लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), लोक व्यय प्रबंधन विशेष रूप से योजना और गैर योजना के भेद को समाप्त करने संबंधी मुद्दों और मंत्रिमंडल नोट की जांच की गई।

नई पहलें

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पद्धति की तर्ज पर केंद्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से राज्यों को अंतर्शासकीय राजकोषीय अंतरण हेतु एक नए तंत्र का निर्माण किया गया। विचार यह है कि एक दोहरी खिड़कीयुक्त अंतरशासकीय अंतरण तंत्र का विकास किया जाए जहां उप–राष्ट्रीय सरकारों

को आबंटन करते समय इनकी आवश्यकता, पिछड़ापन को ध्यान में रखा जाएगा और आबंटन को परिमेय परिणामों से संबद्ध करने से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। सीएसएस के माध्यम से राज्यों एवं संघ राज्य–क्षेत्रों को किए जा रहे योजना अंतरण की पर्याप्त मात्र से मुख्यतः सामाजिक क्षेत्रक में सीएसएस अंतःक्षेप किए जा रहे हैं और यह कार्य और अधिक परिणामोन्मुखी प्रणाली के लिए अत्यावश्यक है।

राज्यों को आबंटन

केंद्र सरकार राज्यों की क्षेत्र विशिष्ट स्कीमों और परियोजनाओं जिनके लिए बजटीय प्रावधान नहीं किए गए हैं, की "पिछला बकाया देयताओं" को पूरा करने के लिए राज्यों की सहायता करने हेतु प्रतिबद्ध है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद विभिन्न सामाजिक आर्थिक और भौगोलिक कारकों की वजह से राज्यों के लिए आवश्यकता आधारित सहायता को साबित करने की आवश्यकता है। इस प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए, नीति आयोग की सिफारिश के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा जनवरी के अंत तक राज्यों को केंद्रीय व्यय बजट की मांग संख्या 32 के तहत 'विशेष सहायता' से 5,058 करोड़ रु. पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन दस्तावेज

नीति आयोग के शासी परिषद सचिवालय को 12वीं योजना के मूल्यांकन दस्तावेज को तैयार करने के लिए समन्वयन के काम से जोड़ा गया है। यह निर्णय लिया गया था कि 12वीं योजना के अध्यायों को परिलक्षित करने की बजाए मूल्यांकन महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में होना चाहिए, जैसे–रोजगार और कौशल विकास, ऊर्जा और परिवहन सहित भौतिक अवसंरचना, मानव संसाधन विकास, शासन आदि। मसौदा मूल्यांकन दस्तावेज तैयार कर लिया गया है और सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण

जल संसाधन

प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण वर्टिकल के तहत जल संसाधन वर्टिकल नीतियों के निर्माण, कार्य नीतियों के विकास और देश में जल संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन संबंधी कार्यक्रमों के मूल्यांकन में सम्मिलित है। वर्ष 2016–17 के दौरान इस वर्टिकल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का सार नीचे दिया गया है:

1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

उन्नत जल–उपयोग क्षमता (प्रति बूंद अधिक फसल) के साथ हर खेत को पानी के लिए एक अंब्रेला स्कीम के रूप में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अनुमोदित कार्यक्रम के चार घटक नामतः (i) राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित प्रमुख और मध्यम सिंचाई के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी); (ii) हर खेत को पानी जिसमें कमान क्षेत्र का विकास और जल–प्रबंधन (सीएडीएंडडब्ल्यूएम) संबंधी कार्य, सतही लघु सिंचाई, भू–जल के माध्यम से सिंचाई और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनरुद्धार शामिल है; (iii) सूक्ष्म सिंचाई और अन्य संबंधित कार्यकलापों के संवर्धन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल; और (iv) वर्षा जल संचय के लिए जल संदर्भ विकास, अपवाह जल का प्रभावी प्रबंधन, मृदा अपरदन का संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति का पुनरुत्पादन और भू–जल स्तर की पुनः प्राप्ति हैं।

पीएमकेएसवाईके एआईबीपी घटक के तहत, चालू परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पीएमकेएसवाई के इस घटक के तहत कार्यान्वयन हेतु कुल 99 परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है। अपेक्षित है कि इन 99 परियोजनाओं के पूरे होने से सिंचाई कवरेज के तहत अतिरिक्त 76 लाख हेक्टेयर भूमि उपलब्ध होगी। एआईबीपी के तहत 99 प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं में से 2016–17 के दौरान 23 परियोजनाओं, 2017–18 के दौरान 31 परियोजनाओं और दिसंबर, 2019 तक शेष 45 परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एआईबीपी के तहत पूरी की जा रही सभी 99 परियोजनाओं में सीएडीएंडडब्ल्यूएम कार्यों को शामिल किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सृजित सिंचाई संभावना का बिना समय गंवाए उपयोग हो सके। नीति आयोग ने एआईबीपी के तहत प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी योजना तैयार करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर) को हर अपेक्षित सहयोग प्रदान किया। मंत्रालय को पीएमकेएसवाई के तहत दीर्घकालिक सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) संबंधित प्रचालित दिशानिर्देशों के संबंध में टिप्पणियां भी प्रदान की गई। एलटीआईएफ प्राथमिकता प्राप्त एआईबीपी परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए निधियों की उपलब्धता को सुसाध्य बनाएगी।

पीएमकेएसवाई के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करने हेतु नीति आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। पूर्ण रूपरेखा को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों और अन्य पणधारकों के साथ साझा किया गया। हर खेत को पानी के उद्देश्य को हासिल करने के लिए इस रूपरेखा का अधिकतम उपयोग किया जाएगा, क्योंकि इसमें उपलब्ध जल संसाधनों के प्रभावी और संधारणीय उपयोग पर बल देने के साथ जल के भंडारण, परिवहन और खेत पर उपयोग संबंधी कार्यनीतियां अंतर्विष्ट हैं।

पीएमकेएसवाई और संबंधित नीतिगत मामलों के तहत कार्यों के समग्र कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद की पहली बैठक 25 अक्तूबर, 2016 को आयोजित की गई जिसमें पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों की प्रगति की समीक्षा की गई और पीएमकेएसवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए सिफारिशें की गई।

2. परियोजना/कार्यक्रम का अनुमोदन

"राष्ट्रीय भू–जल प्रबंधन सुधार स्कीम" परियोजना के संबंध में व्यय वित्त समिति के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ज्ञापन के मसौदे का मूल्यांकन किया गया और मंत्रालय को टिप्पणियां भेजी गई। 6,000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

3. मंत्रिमंडल नोट का मूल्यांकन

पीएमकेएसवाई के संबंध में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मंत्रिमंडल के विचारार्थ नोट– "प्राथमिकता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं की पूर्णता और वित्त पोषण व्यवस्थाओं के लिए मिशन की स्थापना" की जांच की गई और मंत्रालय को टिप्पणियां भेजी गई। पीएमकेएसवाई के तहत प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन मे तेजी लाने के लिए इस मिशन की स्थापना की गई है।

4. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विधान संबंधी प्रस्ताव

(क) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय जल फ्रेमवर्क विधेयक, 2016 के मसौदे की जांच की गई और मंत्रालय को टिप्पणियां भेजी गई। विधेयक के इस मसौदे में जल के एक महत्वपूर्ण और दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन के रूप में संरक्षण, सुरक्षा, विनियमन एवं प्रबंधन संबंधी सिद्धांतों वाले एक शीर्ष राष्ट्रीय विधिक फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है इसके तहत शासन के सभी स्तरों पर जल संबंधी विधान और निष्पादन कार्य निष्पादित हो सकते हैं।

(ख) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए आदर्श भू–जल संरक्षण, सुरक्षा और विनियमन विधेयक, 2011 के मसौदे की जांच की गई और मंत्रालय को टिप्पणियां भेजी गईं इस विधेयक का उद्देश्य संस्थागत ढांचा और सहभागी प्रक्रियाओं के माध्यम से एक साझा पूल संसाधन के रूप में भू–जल की संधारणीयता, प्रयोक्ताओं और प्रयोग के बीच साम्यता तथा भू–जल में कुशलता सुनिश्चित करना है।

5. मूल्यांकन दस्तावेज-12वीं पंचवर्षीय योजना (जल क्षेत्रक)

पर्यावरणीय संधारणीयता अध्याय के तहत जल संसाधन क्षेत्रक के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) का मूल्यांकन कार्य पूरा किया गया।

6. सचिवों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी कार्य योजनाएं

सुशासन–चुनौतियां और अवसर; रोजगार सृजन कार्यनीतियां; कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों में कृषक केंद्रित मुद्दे; शिक्षा और स्वास्थ्य–व्यापक उपलब्धता एवं गुणवत्ता; नवोन्मेषी बजट; समावेशन और साम्यता के साथ त्वरित विकास; स्वच्छ भारत और गंगा संरक्षण; और ऊर्जा संरक्षण तथा कुशलता जैसे विषयों के तहत सचिवों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजनाओं के साथ समय सीमा को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप प्रदान किया गया।

भू-संसाधन

प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण (एनआरई) वर्टिकल के तहत भू–संसाधन वर्टिकल देश में भू–संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन के लिए नीति निर्माण, कार्य नीतियों के विकास एवं कार्यक्रमों के मूल्यांकन कार्य में शामिल हैं। इस वर्टिकल द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का सार नीचे दिया गया है:

1. मूल्यांकन दस्तावेज–12वीं पंचवर्षीय योजना (भू–संसाधन)

पर्यावरणीय संधारणीयता अध्याय के तहत भू–संसाधन क्षेत्रक के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) का मूल्यांकन कार्य पूरा किया गया।

2. मंत्रिमंडल नोट का मूल्यांकन

पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 में आधिकारिक संशोधन के संबंध में भू–संसाधन विभाग द्वारा तैयार किए गए मंत्रिमंडल के विचारार्थ नोट की जांच की गई और भू–संसाधन विभाग को टिप्पणियां भेजी गईं।

3. जलसंभर विकास

एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) का ध्येय मृदा, वनस्पति आवरण और जल जैसे अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों के विकास और संधारणीय प्रबंधन के माध्यम से पुनः पारितंत्र संबंधी संतुलन स्थापित करना है। अपेक्षित परिणामों में मृदा अपरदन, प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्सृजन, वर्षा जल संचय और भू–जल स्तर को पुनः प्राप्त करना शामिल है। मार्च, 2015 तक आईडब्ल्यूएमपी के तहत कुल 8,214 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। पीएमकेएसवाई द्वारा तैयार की गई रूपरेखा में पीएमकेएसवाई के जलसंभर विकास घटक के लिए इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की सिफारिश की गई है जिससे लगभग 27.31 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी।

4. सचिवों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी कार्य योजनाएं

कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों में कृषक केंद्रित मुद्दे; रोजगार सृजन संबंधी कार्यनीतियां; ऊर्जा संरक्षण तथा कुशलता; स्वच्छ भारत और गंगा संरक्षण; एवं शिक्षा और स्वास्थ्य–व्यापक उपलब्धता एवं गुणवत्ता; जैसे विषयों के तहत सचिवों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजनाओं के साथ समय सीमा को भू–संसाधन विभाग के परामर्श से अंतिम रूप प्रदान किया गया।

पर्यावरण और वन

प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण (एनआरई) वर्टिकल का पर्यावरण और वन वर्टिकल, वनों के संधारणीय प्रबंधन, वन्यजीव एवं उनके पर्यावास और एक स्वच्छ तथा स्वास्थ्यकर पर्यावरण के अनुरक्षण हेतु नीतियों के निर्माण और कार्यनीतियों के विकास में शामिल है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ–सीसी) के साथ कार्यकलापों का समन्वय करता है। वर्ष 2016–17 के दौरान वर्टिकल द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कार्यकलाप किए गए :

1. 12वीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन (अध्याय 7 - पर्यावरणीय संधारणीयता)

पर्यावरणीय संधारणीयता संबंधी खंड के लिए वर्टिकल द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन कार्य पूरा किया गया। पर्यावरणीय संधारणीयता हेतु 12वीं योजना में परिकल्पित कार्यनीतियों की तुलना में उपलब्धियों का मूल्यांकन किया गया। पर्यावरणीय संधारणीयता हेतु निर्धारित किए गए योजना उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सिफारिशें भी की गईं। इसके अलावा, योजना अवधि के दौरान नमामि गंगे (एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन, राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के तहत एक कार्यक्रम), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की पद्धति और पर्यावरणीय, वन और वन्यजीव संबंधी अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में दक्षता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावों का अनुवीक्षण, खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में संशोधन आदि जैसी नई पहलों पर विशेष बल दिया गया।

2. सचिवों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी कार्य योजनाएं

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परामर्श से (i) सुशासन–चुनौतियां और अवसर; (ii) रोजगार सृजन संबंधी कार्यनीतियां; (iii) कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों में कृषक केंद्रित पहलें; (iv) समावेशन और साम्यता के साथ त्वरित वृद्धि और (v) स्वच्छ भारत एवं गंगा संरक्षण–लोगों की भागीदारी तथा संधारणीयता जैसे विषयों के तहत सचिवों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजनाओं के साथ समय सीमा को अंतिम रूप प्रदान किया गया।

3. परियोजनाओं/कार्यक्रमों का मूल्यांकन

(क) विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करके कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित लगभग 7.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली "देश में वन्य आग संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में स्थिति विश्लेषण" संबंधी परियोजना की जांच की गई और मंत्रालय को टिप्पणियां भेजी गईं। इस परियोजना के तहत वन्य आग के संरक्षण, नियंत्रण और प्रबंधन के संबंध में देश भर में एक परिस्थितिजन्य विश्लेषण अध्ययन किया जाएगा।

(ख) विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करके कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित लगभग 32.50 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली "भारतीय शहरों की दृष्टि से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोजना के लिए मॉडलिंग दृष्टिकोण और तकनीकी क्षमता का विकास" संबंधी परियोजना की जांच की गई और मंत्रालय को टिप्पणियां भेजी गईं।

(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के चरण–I की तर्ज पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 3 राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों नामतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी हेतु प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) की जांच की गई और मंत्रालय को टिप्पणियां भेजी गईं।

(घ) इसके अलावा, निम्नलिखित प्रस्तावों की जांच की गई और संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों को टिप्पणियां प्रस्तुत की गईः

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई "जैव–विविधता का संरक्षण और सामुदायिक विकास परियोजना" (अनुमानित लागत– 980.55 करोड़ रु.);
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई केरल और कर्नाटक के लिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना का चरण–II (अनुमानित लागत क्रमशः 676.80 करोड़ रु. और 767.49 करोड़ रु.);
- उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई "हरित विकास प्रबंधन में नवोन्मेष" नामक परियोजना (अनुमानित लागत 1,600 करोड़ रु.);
- नागालैंड सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई "समुदाय द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में जैव–विविधता का संरक्षण" नामक परियोजना (अनुमानित लागत 51.52 करोड़ रु.)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

1. **रक्षा कवच (बॉडी आर्मर) के क्षेत्र में "मेक इन इंडिया" :** इस क्षेत्र में उद्योगों, अनुसंधान संगठनों और संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों की योग्यताओं और क्षमताओं, सबल और दुर्बल पक्षों के साथ–साथ चिंताओं के मुख्य मुद्दों को चिन्हित करने और उनके द्वारा इस क्षेत्र में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों की स्थिति का जायजा लेने के लिए उनके साथ बैठकों के कई दौर आयोजित किए गए। इन चर्चाओं के आधार पर रक्षा कवच के क्षेत्र में "मेक इन इंडिया के लिए कार्य योजना" का मसौदा तैयार किया गया है और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

2. **वैज्ञानिक विभागों के लिए वित्तीय और प्रशासनिक सुधार :** प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशानुसार, नीति आयोग ने वैज्ञानिक विभागों और मंत्रालयों के लिए वित्तीय और प्रशासनिक नियमों में और अधिक लचीलापन प्रदान करने हेतु क्रियाविधि तैयार करने की अगुवाई की। इससे विज्ञान प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के अंगीकरण हेतु तथा वर्ष 2030 तक विज्ञान के क्षेत्र में शीर्ष 5 देशों में शामिल होने के भारत के विजन को साकार करने हेतु समर्थकारी माहौल उपलब्ध होगा। तदनुसार, सभी वैज्ञानिक विभागों के सचिवों के साथ अनेक बैठकें आयोजित की गईं और डीएसटी को उचित सिफारिशें अग्रेषित की गईं। नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारगर कार्यकरण और प्रदायगी के लिए वित्तीय और प्रशासनिक सुधारों हेतु एक मंत्रिमंडल नोट तैयार किया है जिस पर अंतर–मंत्रालयी परामर्श किया जा रहा है।

3. मीथेनॉल अर्थव्यवस्था : मीथेनॉल और डीएमई, तेल और प्राकृतिक गैस के संभावित विकल्प के रूप में उभरे हैं क्योंकि अब इनकी प्रौद्योगिकी परिपक्व हो गई है और इनका स्वदेश में ही उत्पादन किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप आयात बिल में कमी आएगी। इस दिशा में नीति आयोग द्वारा मीथेनॉल अर्थव्यवस्था पर एक कोर समिति गठित की गई थी। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग की सलाह पर डीएसटी द्वारा उत्पादन, उपयोग तथा अनुसंधान और विकास के लिए मीथेनॉल अर्थव्यवस्था पर तीन विशेषज्ञ समूह भी गठित किए गए थे। मीथेनॉल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के नवीनतम घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श करने के लिए भारतीय विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करने हेतु नीति आयोग द्वारा 6–7 सितम्बर, 2016 के दौरान मीथेनॉल अर्थव्यवस्था पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। सरकार, अनुसंधान संस्थाओं, शिक्षाविदों, उद्योगों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों सहित 350 से अधिक सहभागियों ने मीथेनॉल अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रौद्योगिकीय, आर्थिक और अनुसंधान एवं विकास संबंधी पहलुओं पर विचार–विमर्श किया। उत्पादन और उपयोग संबंधी रिपोर्टों का मसौदा तैयार कर लिया गया है। विशेषज्ञ समूहों की सिफारिशों के आधार पर, मीथेनॉल अर्थव्यवस्था के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही है।

उपर्युक्त के अलावा, डॉ. वी.के. सारस्वत, सदस्य ने राष्ट्रीय सुपरकम्प्यूटिंग मिशन की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने; भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रीकेशन सुविधाओं की स्थापना करने तथा इंडिया माइक्रोप्रोसेसर पहल संबंधी समिति की अध्यक्षता की। विभिन्न मुद्दों, जिनमें कर संबंधी प्रोत्साहनों के माध्यम से अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दे भी शामिल हैं, पर विचार–विमर्श करने के लिए डॉ. वी.के. सारस्वत, सदस्य की अध्यक्षता में अनेक बैठकों का आयोजन भी किया गया। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ सलाहकार (सीआईटीएंडआई) ने अक्तूबर, 2016 के दौरान स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए अंतर–मंत्रालयी समिति तथा भारतीय डाक के सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी आधुनिकीकरण के लिए संचालन समिति की बैठकों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

राज्य समन्वय और विकेन्द्रीकृत आयोजना

नीति आयोग में राज्य समन्वय और विकेन्द्रीकृत आयोजना वर्टिकल को सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है।

1. पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट

"पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों संबंधी कार्यदल" की रिपोर्ट को पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों के सभी संबंधित मुख्य सचिवों, व्यय विभाग (पीएफ–I), वित्त मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग (पीएफ–II), वित्त मंत्रालय के सचिव, डीओएनईआर मंत्रालय के सचिव तथा नीति आयोग के संबंधित सलाहकारों को परिचालित किया गया था।

2. सामाजिक क्षेत्रक सेवा प्रदायगी में उत्तम पद्धतियों के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन

नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 23.05.2016 को सामाजिक क्षेत्रक सेवा प्रदायगी में उत्तम पद्धतियों के संबंध में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन ने, सामाजिक क्षेत्रक में सेवा प्रदायगी के संबंध में उत्तम पद्धतियों के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों और संघ राज्य–क्षेत्रों के लिए ज्ञान साझा करने हेतु एक मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और संघ राज्य–क्षेत्रों की सरकारों के स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों/अनुसंधान संस्थानों, विषय–विशेषज्ञों के साथ–साथ गैर–सरकारी संगठनों ने भाग लिया और विचार–विमर्श में सहयोग दिया।

3. राज्यों को संस्थागत सहायता प्रदान करने हेतु नीति

नीति आयोग ने पीपीपी पद्धति के तहत अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन के लिए राज्यों को विकास सहायता सेवाएं (डीएसएसएस) उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रकों के रूपांतरण के लिए नीति की रूपरेखा तैयार की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों को उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना है जो किसी राज्य/क्षेत्र के सामयिक और किफायती तरीके से विकास के लिए महत्वपूर्ण हों।

4. परिणाम अनुवीक्षण फ्रेमवर्क की स्थापना

नीति आयोग ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और जल सहित महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक विकास क्षेत्रकों में परिणाम अनुवीक्षण फ्रेमवर्क स्थापित करने का कार्य भी शुरु किया है। इस फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य इनमें से प्रत्येक क्षेत्रक में प्रमुख कार्य–निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के संबंध में कार्य–निष्पादन की समीक्षा के माध्यम से विभिन्न राज्यों के कार्य–निष्पादन की स्थिति का पता लगाना है। प्रत्येक राज्य से अनुरोध किया जाएगा कि वह नीति आयोग द्वारा समीक्षा और विधिमान्यकरण के लिए अपने–अपने केपीआई डेटासेट प्रस्तुत करे।

5. असमानताओं को कम करने हेतु मानव विकास (एचडीबीआई) तथा विकेन्द्रीकृत आयोजना हेतु क्षमता सुदृढ़ीकरण (एससीडीपी)

दो यूएनडीपी परियोजनाओं नामतः 'असमानताओं को कम करने हेतु मानव विकास (एचडीबीआई)' तथा विकेन्द्रीकृत आयोजना हेतु क्षमता सुदृढ़ीकरण (एससीडीपी) का कार्यान्वयन। शिलांग, मेघालय में 19–20 दिसम्बर, 2016 को "विजन 2030 से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आयोजना और कार्यान्वयन" विषय पर दो–दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित की गई।

6. राज्यों के लिए विकास सहायता सेवाओं (डीएसएसएस) का कार्यान्वयन

अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रक परियोजनाओं के लिए परामर्शदाता के चयन की प्रक्रिया जारी है।

7. पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों के विकास के लिए मार्गदर्शिका

पूर्वोत्तर राज्यों और समान स्थिति वाले पूर्वोत्तर राज्यों, यथा बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए नीति आयोग द्वारा तैयार एक मार्गदर्शिका तैयार की गई है। मार्गदर्शिका का मसौदा सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों को परिचालित की गई है ताकि उनकी टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें। मसौदा मार्गदर्शिका को अंतिम रूप देने के लिए विश्व बैंक की सहायता ली जा सकती है और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी सहमति प्रदान करने के बाद ही विचारार्थ विषय को अंतिम रूप दें।

8. गृह मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय से जुड़े मामलों को देखा गया है।

- इन तीन मंत्रालयों से संबंधित 6 मसौदा मंत्रिमंडल नोट, 3 ईएफसी तथा एसएफसी प्रस्ताव, गैर–योजना व्यय की समिति के लिए 2 प्रस्ताव और सचिव समिति संबंधी 1 नोट की समीक्षा की गई और संबंधित मंत्रालयों को महत्वपूर्ण इनपुट दिए गए।
- नीति आयोग ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए आपदा संबंधी उच्चस्तरीय समिति, सीमा प्रबंधन संबंधी उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति, वामपंथी उग्रवाद पीड़ित उच्चाधिकार प्राप्त समिति, सीमा अवसंरचना संबंधी अधिकार प्राप्त समिति, सीमा निर्माण संबंधी तकनीकी समिति, अंतर–राज्यिक जोनल परिषद, न्याय विभाग में अधिकार प्राप्त समिति, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) संबंधी कार्यकारी समिति से संबंधित चर्चाओं में और उन्हें आवंटित कर्तव्यों के निर्वहन में रचनात्मक योगदान दिया और पंचायती राज मंत्रालय की मौजूदा स्कीमों

तीन मंत्रालयों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न से संबंधित हैं:

- अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और तटीय सीमाओं का प्रबंधन
- सीमा सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण और इससे संबंधित अवसंरचना का सृजन
- आपदा प्रबंधन
- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से संबंधित विषय
- पंछी आयोग की सिफारिशों पर केन्द्र–राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दे
- ई–न्यायालय मिशन मोड परियोजना के संबंध में कार्यनीतिक निदेश और मार्गदर्शन
- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के रूप में पुर्नसंरचित करना।

और पंचायती राज मंत्रालय तथा आरजीएसए के प्रस्ताव की पड़ताल के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।

- पंचायती राज मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधायी कार्य विभाग, न्यायविभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के बारे में सचिव समूह की सिफारिशों के मामले में हुई प्रगति का नीति आयोग में अनुवीक्षण किया गया।

- रक्षा मंत्रालय के साथ संयुक्त उद्यम की स्थापना करने और मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्ववाली समनुषंगी की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव
- तटीय सुरक्षा के संबंध में सीसीएस प्रस्ताव– तट से आईएमबीएल तक (25 एनएम के दायरे में) मछली पकड़ने के जलयान (20 मीटर से कम लम्बाई) की निगरानी के लिए स्वचालित पहचान प्रणाली (स्वामित्व) की स्थापना

9. विशेष योजनाएं

ओडिशा के केबीके, बिहार और पश्चिम बंगाल की विशेष योजनाओं के तहत ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों से प्राप्त वित्तीय और वास्तविक प्रगति रिपोर्टों की संवीक्षा की गई नीति आयोग की सिफारिशें वित्त मंत्रालय को भेजी गईं। ओडिशा और बिहार राज्य सरकारों को अब तक क्रमशः 367.93 करोड़ रु. और 1329.40 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

10. मुख्यमंत्रियों के उप-समूह द्वारा प्रस्तुत स्वच्छ भारत अभियान (एसबीए) संबंधी रिपोर्ट

नीति आयोग दवारा गठित स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में मुख्यमंत्रियों के उप–समूह ने अपनी रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री को प्रस्तुत कर दी थी। प्रमुख सिफारिशों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैः

i. व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) संबंधी कार्यनीति

ii. संधारणीय स्वच्छ भारत मिशन के लिए शिक्षा संबंधी कार्यनीति

iii. स्वच्छ भारत मिशन हेतु वित्तीय आवश्यकताएं

iv. सुदृढ़ संस्थागत तंत्र

v. प्रौद्योगिकीय समर्थन संबंधी उपाय

vi. निजी क्षेत्रक भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु उपाय

vii. मिशन की संधारणीयता

प्रधानमंत्री द्वारा यथानुमोदित उप–समूह की सिफारिशों को उनके कार्यान्वयन हेतु संबंधित मंत्रालयों के साथ साझा किया गया। कुछ सिफारिशों अर्थात् (i) स्वच्छ भारत उप–कर, (ii) निर्माण उद्योग में निर्माण और विनाश अपशिष्ट के पुनर्चक्रित उत्पादों के उपयोग की अनुमति के लिए कंक्रीट स्पेसिफिकेशन हेतु आईएस 383 : 2016 कॉर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स के संशोधित मानक, (iii) अपशिष्टों से ऊर्जा उत्पादन करने वाले सभी संयंत्रें से ऊर्जा का 100 प्रतिशत अनिवार्य प्रापण, (iv) सिटी कंपोस्ट के लिए प्रति टन पर 1500 रु. की बाजार विकास सहायता को पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है। इसके अलावा, सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय/विभागों की कार्य योजनाओं पर चर्चा करने के लिए सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में माह जनवरी 2017 में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

11. भारत में गरीबी उपशमन संबंधी कार्यदल

कार्यदल ने चार बैठकों के दौरान विभिन्न पणधारकों से विचार–विमर्श किया। कार्यदल के कार्य और राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर, 'गरीबी उन्मूलनः रोजगार सृजन और सामाजिक कार्यों का सुदृढ़ीकरण' संबंधी एक प्रासंगिक दस्तावेज तैयार किया गया और नीति आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इस दस्तावेज पर राज्यों और संघ राज्य–क्षेत्रों के साथ विचार–विमर्श करने के लिए 13 अप्रैल, 2016, 22 अप्रैल, 2016, 2 मई, 2016 और 6 मई, 2016 को क्रमशः हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली तथा पटना में 4 क्षेत्रीय परामर्श बैठकों का आयोजन किया गया। राज्यों के साथ विचार–विमर्श के आधार पर, कार्यदल की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया और इसे 11 जुलाई, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया गया।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता

नीति आयोग का सामाजिक न्याय और अधिकारिता वर्टिकल सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने तथा मजबूती प्रदान करने हेतु इनपुट उपलब्ध कराने का काम करता है, जैसे– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, घुमंतू, अर्ध–घुमंतू तथा अनधिसूचित जनजातियां, सफाई कर्मचारी, अल्पसंख्यक तथा अन्य कमजोर समूह, जैसे–अशक्त लोग, वरिष्ठ नागरिक, मादक पदार्थों के पीड़ित/नशेड़ी, भिखारी/बेघर और किन्नर। यह वर्टिकल अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी), जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) के निर्माण और कार्यान्वयन, अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान तथा एससीएसपी और टीएसपी को विशेष केंद्रीय सहायता के सम्बन्ध में सलाह भी प्रदान करता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान वर्टिकल द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य हैं :

(i) राष्ट्रीय अशक्त जन नीति, 2006 के पुनरीक्षण हेतु सुझावः मौजूदा राष्ट्रीय दिव्यांग जन नीति की घोषणा 2006 में की गई थी और इसके कई पहलू बहुत व्यापक हैं। किंतु विगत वर्षों में अशक्त जनों के प्रति दृष्टिकोण में स्पष्ट परिवर्तन आए हैं। अतः दिव्यांग जनों से संबधित क्षेत्र में हाल के बदलाव को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा नीति को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है। नीति आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग जन नीति, 2006 की कमियों का पता लगाने का काम किया। तदनुसार, राष्ट्रीय दिव्यांग जन नीति पर नीति आयोग की टिप्पणियों के साथ एक संक्षिप्त नोट नवम्बर 2016 में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग को अग्रेषित किया गया था ताकि वह अन्य के साथ–साथ नोट में उल्लिखित सुझावों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा नीति के पुनरीक्षण पर विचार करे।

(ii) बाधारहित अवसंरचनाः नीति आयोग के सदस्य डॉ बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता में नीति आयोग में 08.03.2016 को आयोजित बैठक में लिया गया एक निर्णय ''दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग.. ..और अन्य संबंधित पक्षों के परामर्श से वास्तविक और डिजिटल–दोनों रूप में पहुंच के क्षेत्रों में तत्काल कार्यान्वयन योग्य उपायों को अंतिम रूप दिया जाना'' था। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरु किए गए सुगम्य भारत अभियान के तहत जारी पहलों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विचार किया गया। एक संबंधित पक्ष से ''कम्पैरिजन ऑफ डिफरेंट गाइडलाइन्स फॉर

एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्ट एनवायरनमेंट इन इंडियाः अ ब्रीफ अनालिसिस'' नामक पुस्तिका प्राप्त हुई जिसमें चार सुगम्यता दिशानिर्देशों की निम्नानुसार तुलना की गई थी :

क.	बाधामुक्त सुगम्यता संबंधी हैंडबुक, 2014, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)
ख.	दिव्यांगों और वृद्धों के लिए बाधामुक्त सुविधायुक्त निर्माण संबंधी समन्वित दिशानिर्देश और स्थान मानक, शहरी विकास मंत्रालय, 2015
ग.	भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा परिचालित राष्ट्रीय निर्माण संहिता (एनबीसी), 2015 के मसौदे का भाग–3
घ.	आईएसओ 21542 : 2011, भवन निर्माण– सुगम्यता और निर्माण सुविधा की प्रयोज्यता

यह महसूस किया गया कि सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगों के लिए सामाजिक–आर्थिक रूप से समावेशी परिवेश सुनिश्चित करने की सरकार की पहल के अनुरुप है और यह पुरजोर तरीके से महसूस किया गया कि बाधामुक्त परिवेश के लिए मानक और डिजाइन में एकरूपता होनी चाहिए। सभी बाधामुक्त अवसंरचनाओं की डिजाइन एक जैसी होगी। तदनुसार, पुस्तिका जून, 2016 में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग को अग्रेषित की गई जिसमें मौजूदा सुगम्य भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा संस्तुत मानक और डिजाइन में अंतरों के मुद्दे को शीघ्रता से सुलझाने की सलाह दी गई थी।

(iii) वर्टिकल का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र और विकास संस्थान (निलेर्ड) द्वारा टीआरआई के कामकाज का मूल्यांकन करने से संबंधित था। रिपोर्ट का मसौदा तैयार करते समय टीआरआई के पुनरुज्जीवन संबंधी उप–समूह ने अध्ययन की रिपोर्ट के निष्कर्ष और सिफारिशों पर भी विचार किया।

(iv) प्रधानमंत्री कार्यालय की इच्छा के अनुसार विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन संगठन (डीएमईओ) द्वारा कार्यान्वित अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए नई रोशनी स्कीम का मूल्यांकन एक अन्य महत्वपूर्ण काम था।

इस वर्टिकल द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान जिन मुख्य प्रस्तावों पर विचार किया गया और टिप्पणियां/सुझाव दिए गए, वे निम्नवत हैं :

(i) किन्नर अधिकार विधेयक, 2016 संबंधी मंत्रिमंडल नोट में किन्नरों की पहचान यानी किन्नरों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान किया गया।

(ii) दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के सौजन्य से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर) की स्थापना का ईएफसी प्रस्ताव।

(iii) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के पुनरीक्षण का ईएफसी प्रस्तावः अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम (पीएमएस) की 11 सितम्बर, 2015 को समीक्षा की जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव ने स्कीम की विस्तृत प्रस्तुति दी जिसमें अन्य के साथ–साथ बकायों और सुधार के क्षेत्रों की स्थिति को भी दर्शाया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, नीति आयोग में सलाहकार (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग के संयुक्त दल ने तीन राज्यों, नामतः महाराष्ट्र (13–14 अक्तूबर, 2015), पंजाब (15–16 अक्तूबर, 2015) और तेलंगाना (3–4 नवम्बर, 2015) का दौरा किया ताकि स्कीम

के कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों को समझा जा सके। समिति की रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को 14 जनवरी, 2016 को प्रस्तुत की गई जिसमें स्कीम के पुनरुज्जीवन के समय विचार के लिए सुझाव दिए गए थे। समिति की सिफारिशों को देखते हुए ईएफसी प्रस्ताव की समीक्षा की गई और टिप्पणियों से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अवगत कराया गया।

(iv) एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम (आईपीओपी) के तहत स्कीमों के आमेलन का एसएफसी प्रस्तावः केंद्रीय क्षेत्रक चार मौजूदा आईपीओपी स्कीमों, यथा–माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण के लिए जागरूकता सृजन अधिनियम, 2007 राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन की स्थापना; जिला स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन की स्थापना; और वरिष्ठ नागरिकों संबंधी नई राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन की स्कीम को आमेलित करने का प्रस्ताव था।

उक्त के अलावा, समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस वर्टिकल ने जिन प्रस्तावों को प्राप्त किया और उन पर अपनी टिप्पणी दी, उनमें शामिल हैं–अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के लिए ऋण संवर्द्धन गारंटी स्कीम के तहत पात्रता मानदंड में आशोधन का प्रस्ताव, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पूर्व कोचिंग स्कीम में पुनरीक्षण के लिए एसएफसी प्रस्ताव; अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता स्कीम में पुनरीक्षण के लिए एसएफसी प्रस्ताव; गरीबी रेखा से नीचे के वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता और सहाय्यित लिविंग उपकरण प्रदान करने की नई केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम में पुनरीक्षण का एसएफसी प्रस्ताव।

वर्ष के दौरान वर्टिकल ने लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पुनरीक्षण हेतु ट्राइफेड (भारतीय जनजातीय सहकारिता विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड) की मूल्य निर्धारण समिति में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया। इस वर्टिकल ने जिन अन्य समितियों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया, वे हैं– (i) जनजातीय कल्याण संबंधी स्थायी समिति और राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण परिषद; (ii) सिर पर मैला ढोने के रूप में नियोजन निषेध तथा अन्य निषेध अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु केंद्रीय अनुवीक्षण समिति; (iii) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की नई मंजिल स्कीम के लिए तकनीकी सलाहकार समिति; (iv) अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पूर्व कोचिंग स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु कोचिंग संस्थानों के चयन के लिए चयन समिति; और (v) अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत और जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) को विशिष्ट केंद्रीय सहायता योजनांतर्गत अनुदान सहायता के तहत परियोजनाओं की संस्वीकृति के लिए परियोजना अनुमोदन समिति। इस वर्टिकल ने बहुक्षेत्रकीय विकास कार्यक्रम/प्रधानमंत्री का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का 15–सूत्री कार्यक्रम की परियोजना अनुमोदन समिति के अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) और जनजातीय कार्य मंत्रालय में भी नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया।प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रक्रियाधीन एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है– ''केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की एससीएसपी और टीएसपी निधियों की अपथांतरणीयता तथा अव्यपगतता की समीक्षा।'' यह वर्टिकल वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में आजीविका के अवसरों पर भी एक अवधारणा–पत्र तैयार कर रहा है।

विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय

कुशल और स्वतंत्र मूल्यांकन, नीति/कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा 18 सितम्बर, 2015 को पूर्ववर्ती कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का विलय करके विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) को नीति आयोग के सम्बद्ध कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। इस कार्यालय को केन्द्र के कार्यक्रमों/पहलों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण और मूल्यांकन करने और सेवा प्रदायगी के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक संसाधनों को चिन्हित करने का अधिदेश दिया गया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि डीएमईओ स्वतंत्र रूप से काम करे, इसके लिए बजट आवंटन और जनशक्ति का अलग से प्रावधान किया गया और इसे कार्यात्मक स्वायत्तता भी दी गई है। डीएमईओ निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है:

(i) सरकारी कार्यक्रमों का अनुवीक्षण और मूल्यांकन

(ii) मूल्यांकन अध्ययनों के लिए टीओआर तैयार करने में मंत्रालयों की मदद करना

(iii) एसडीजी की प्रगति और कार्यान्वयन का अनुवीक्षण

डीएमईओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके सारे भारत में कुल 15 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिन्हें क्षेत्रीय विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (आरडीएमईओ) कहा जाता है। आरडीएमईओ का नेतृत्व निदेशक स्तर के अधिकारी करते हैं और वे मूल्यांकन अध्ययनों के लिए न सिर्फ फील्ड सर्वेक्षण और डेटा/सूचना संग्रहण कार्य करते हैं, बल्कि राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ तालमेल बिठाकर सहकारितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण :

वर्ष 2016–17 के दौरान, वर्टिकल द्वारा निम्नांकित अनुवीक्षण कार्य किए गए:

1. **विभागीय कार्य योजना:** 8 थीमैटिक क्षेत्रों के संबध में सचिवों के 8 समूहों द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार विभागीय कार्रवाई योजना (डीएपी) : डीएमईओ ने डीएपी के अनुवीक्षण हेतु 80 मंत्रालयों/विभागों की पहचान की है। विभागीय कार्रवाई योजनाओं के अनुवीक्षण और अद्यतनीकरण हेतु वेब–आधारित इंटरेक्टिव डैशबोर्ड विकसित किए गए हैं।

2. **क्षेत्रकों/स्कीमों की परिणाम-आधारित समीक्षा:** अप्रैल 2016 से, डीएमईओ वर्ष 2016–17 में अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रकों की प्रमुख स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए परिणाम–आधारित तिमाही लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। नीति आयोग ने निम्नलिखित क्षेत्रकों/स्कीमों के लिए परिणाम–आधारित कार्य–निष्पादन समीक्षा की है : सभी के लिए विद्युत, डिजिटल इंडिया, पत्तन, शहरी और ग्रामीण आवास, सड़क, रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीएमजीएसवाई, एनआरएलएम और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना।

3. **संधारणीय विकास लक्ष्य :** भारत सहित 193 देशों द्वारा अनुसमर्थित 17 संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और 169 संबद्ध लक्ष्यों का संयुक्त राष्ट्र महासभा में सितम्बर, 2015 में संकल्प पारित किया गया और यह 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी हुआ। केंद्र सरकार के स्तर पर, नीति आयोग के डीएमईओ को एसडीजी के कार्यान्वयन की निगरानी करने की भूमिका दी गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 17 एसडीजी और 169 लक्ष्यों से जुड़े सूचकों के विकास के प्रति उत्तरदायी है।

डीएमईओ ने नोडल केंद्रीय मंत्रालयों, केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) और प्रमुख सरकारी पहलों का खाका (मैपिंग) तैयार किया। डीएमईओ ने राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों को भी मैपिंग के मसौदे की प्रति भेजकर उनसे आग्रह किया है कि वे भी अपने विभागों में एसडीजी तथा लक्ष्यों के बारे में इसी प्रकार की मैपिंग करें ताकि एसडीजी का शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वयन हो सके। विभाग जागृति पैदा करने और एसडीजी को लागू करने योग्य बनाने के लिए प्रयासरत है। डीएमईओ ने विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर एसडीजी के बारे में कई परामर्श बैठकें भी की हैं।

पूर्ण हो चुके मूल्यांकन अध्ययन:

1. अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए तैयार की गई नई रोशनी स्कीम के त्वरित अध्ययन संबधी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया और उसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भेजा गया ताकि निष्कर्षों पर उपचारी उपाय किए जा सकें। अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों में शामिल हैं:

   क. अध्ययन के लिए चुने गए 27 गैर–सरकारी संगठनों में से केवल 8 गैर–सरकारी संगठनों (30 प्रतिशत) के पास स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए न्यूनतम तीन वर्ष का अपेक्षित अनुभव था।

   ख. चुनिंदा राज्यों के 1,335 लाभार्थियों में से अधिकतर (56 प्रतिशत) के प्रशिक्षण कार्यक्रम को "बहुत अच्छा" रेटिंग दी गई।

स्वच्छता और सफाई के संबंध में, प्रशिक्षित महिलाओं में से 80 प्रतिशत के ज्ञान में काफी वृद्धि हुई और 31 प्रतिशत प्रशिक्षित महिलाओं ने सामाजिक सुरक्षा कार्यों के बारे में काफी ज्ञान अर्जित किया, जैसे–महिलाओं और बच्चों के खिलाफ घरेलू हिंसा होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करना तथा सूचना का अधिकार अधिनियम आदि का ज्ञान।

नई रोशनी कार्यक्रम की तस्वीरें

2. "परिवार और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका" का अध्ययन किया गया ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके। रिपोर्ट खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को जारी की गई ताकि वह निष्कर्षों पर आवश्यक कार्रवाई कर सके। अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों में शामिल हैं :

क. 2004–05 से 2011–12 के बीच गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों अथवा अन्त्योदय अन्न योजना कार्डों का समानुपात सभी परिवारों के 36 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया। इसमें से अधिकतर वृद्धि अन्त्योदय अन्न योजना कार्यक्रम के विस्तार के कारण हुई।

ख. समीक्षाधीन अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रत्येक श्रेणी के कार्डधारकों की संख्या में वृद्धि हुई है। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के और अन्त्योदय अन्न योजना के सभी कार्डधारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अनाज की खरीद करते देखा जाता है और गरीबी रेखा से ऊपर के 32 प्रतिशत कार्डधारक भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग करते हैं।

ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अपवंचन त्रुटि 2004–05 और 2011–12 के बीच कम हुई जबकि समावेशन त्रुटियां बढ़ी हैं। तथापि, दोनों प्रकार की त्रुटियां काफी ज्यादा हैं। यह परिवर्तन गरीबी स्तरों में वृद्धि और सभी लोगों को वितरित किए जा रहे कार्डों की संख्या में बढ़ोत्तरी–दोनों कारणों से है।

पूर्णता के करीब मूल्यांकन अध्ययनः

i. सर्वशिक्षा अभियान के अनुरूप शिक्षा का अधिकार संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट लगभग पूरा होने को है। इसका अनुमोदन होते ही, रिपोर्ट विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग को भेजी जाएगी जो अध्ययन के निष्कर्षों और सिफारिशों के मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए नोडल विभाग है।

ii. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट पूर्णता के करीब है। अनुमोदन मिलने पर यह रिपोर्ट नोडल मंत्रालय को भेजी जाएगी ताकि वह अध्ययन के निष्कर्षों और सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई कर सके।

जारी मूल्यांकन अध्ययनः

i. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) संबंधी अध्ययन के लिए कार्यक्रम लाभार्थियों सहित सभी संबंधित पक्षों से डेटा/सूचना संग्रहण के लिए फील्ड दौरे पूरे कर लिए गये हैं और अब संग्रहित सूचना को विश्लेषण के लिए तालिकाबद्ध किया जा रहा है।

ii. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) संबंधी अध्ययन के लिए कार्यक्रम लाभार्थियों सहित संबंधित पक्षों से डेटा/सूचना संग्रहण के लिए फील्ड दौरे पूरे कर लिए गए हैं और अब डेटा प्रविष्टि का काम चल रहा है।

iii. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम (एनएसएफडीसी) के अध्ययन के लिए मूल्यांकन डिजाइन तैयार की जा रही है। यथापेक्षानुसार डेटा/सूचना संग्रहण के लिए फील्ड दौरे शीघ्र ही शुरु होंगे।

iv. वित्त मंत्रालय ने डीएमईओ से अपनी ऐसी 4 परियोजनाओं का मूल्यांकन करने का अनुरोध किया है जिनके लिए बहुराष्ट्रीय विकास बैंकों से सहायता दी गई थी। एक बाहरी विशेषज्ञ की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन अनुवीक्षण समिति गठित की गई है और अध्ययन की रूपरेखा पर काम चल रहा है। ये परियोजनाएं हैं:

क.	तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना
ख.	असम कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता परियोजना और अतिरिक्त वित्तपोषण
ग.	द्वितीय प्रारम्भिक शिक्षा परियोजना (एसएसए।।) तथा अतिरिक्त वित्तपोषण
घ.	मध्य प्रदेश राज्य सड़क क्षेत्रक परियोजना–।।

शासन और अनुसंधान

अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान

नीति आयोग के स्वयं को ज्ञान और नवोन्मेष केन्द्र–अनुसंधान और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के संचायक और प्रचारक के रूप में स्थापित करने के अधिदेश के अनुरूप शासन और अनुसंधान वर्टिकल ने दिसम्बर 2015 में दिशानिर्देशों का एक नया सैट नामतः 'नीति आयोग की अनुसंधान स्कीम 2015* (आरएसएनए–2015) तैयार किया है। इनमें अनुसंधान अध्ययनों, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों/प्रकाशनों/नीति आयोग की अध्येता वृत्तियों के वित्तपोषण तथा विभिन्न आयोजनों के लिए नीति आयोग के प्रतीक–चिन्ह (लोगो) का उपयोग करने संबंधी प्रावधानों की रूपरेखा दी गई है। इस स्कीम का उद्देश्य नीति आयोग के अत्याधुनिक संसाधन केन्द्र के रूप में विकास को सुगम बनाना है ताकि यह राष्ट्रीय विकास एजेंडा के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर सरकार को विशिष्ट कार्यनीतिक, प्रकार्यात्मक और तकनीकी सुझाव प्रदान कर सके। स्कीम के दिशानिर्देश नीति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

वर्ष 2016–17 (दिसंबर, 2016 तक) के दौरान, 72.02 लाख रु. का कुल सहायता अनुदान जारी किया गया जिसमें अनुसंधान अध्ययनों के लिए 66.86 लाख रु. और संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों के लिए 5.16 लाख रु. शामिल थे।

वर्ष 2016-17 के दौरान 11 नए अनुसंधान अध्ययनों के वित्तपोषण संबंधी प्रस्ताव (तालिका 1.1) और 3 संगोष्ठियों के लिए सहायता अनुदान (तालिका 1.2) को अनुमोदित किया गया। वर्ष के दौरान पुराने दिशा–निर्देशों के अनुसार 2 चालू अनुसंधान अध्ययन भी पूरे किए गए हैं जो कि तालिका 1.3 पर सूचीबद्ध है। संगठनों ने विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए नीति आयोग के लोगो का उपयोग करने को अनुमति प्रदान की जो तालिका 1.4 में दी गई है। नीति आयोग में संबंधित वर्टिकल इन रिपोर्टों की जांच करते हैं और आगे की कार्रवाई के लिए इन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज देते हैं।

अन्य थिंक टैंक के साथ नेटवर्किंग

नीति आयोग की 14 चेयर प्रोफेसर इकाईयां हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में स्थित हैं (तालिका 1.5)। हाल ही में इन इकाईयों द्वारा कार्यों का आकलन करने के लिए जून, 2016 में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। नीति आयोग ने एक प्रमुख पहल समावेश की शुरूआत की है जिसका ध्येय हब और स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए ज्ञान और अनुसंधान संस्थाओं के साथ नेटवर्किंग और भागीदारी करना है। प्रधान सलाहकार (सामाजिक क्षेत्रक) की अध्यक्षता में दिसंबर, 2016 में समावेश के संबंध में विचारोत्तेजक सत्र आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न क्षेत्रकों और केंद्रीय मंत्रालयों से 20 प्रतिष्ठित संस्थानों/थिंक–टैंकों ने भाग लिया था। भविष्य में, समावेश से अपेक्षा है कि यह नीति आयोग को सरकार के एक शीर्ष थिंक–टैंक के रूप में विकसित करने में सहायक होगी जबकि भागीदार संस्थाओं को विशिष्ट विषय संबंधी प्राथमिकताओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है और आगे ऐसी ही संस्थाओं, जो आपस में मिलकर देश

में ज्ञान पारितंत्र के सृजन में सहायक होंगी, तक पहुंचकर उनका मार्गदर्शन किया जा सकता है।

नीतिगत परिप्रेक्ष्य

शासन और अनुसंधान वर्टिकल भारत सरकार के 7 विभागों नामतः कार्मिक और प्रशिक्षण, लोक–शिकायत, पेंशन, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामले, उर्वरक और रसायन एवं पैट्रो–रसायन के लिए नोडल वर्टिकल भी है। वर्ष 2016–17 के दौरान इस वर्टिकल ने इन विभागों से प्राप्त कई नीतिगत संदर्भों की जांच की और कई अंतर–मंत्रालयी समितियों में प्रतिनिधित्व भी किया है।

वर्ष के दौरान, उर्वरक क्षेत्रक को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिला, क्योंकि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने निम्न की जांच करने के लिए अधिकार प्राप्त समितियों की अध्यक्षता की: (क) बरौनी, गोरखपुर और सिंदरी में बंद उर्वरक संयंत्रों को पुनः प्रारंभ करना; (ख) उर्वरक में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की प्रायोगिक आधार पर शुरूआत करने हेतु कार्यपद्धति तैयार करना; (ग) ओडिशा में तालचेर संयंत्र के लिए कोयला गैसीगरण प्रौद्योगिकी के चयन हेतु तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता से संबंधित मुद्दों को हल करना; (घ) यूरिया के आयात को नियंत्रण मुक्त करना; (ङ) निर्माण के चरण में नए उर्वरक संयंत्रों के लिए केंद्रीय करों से राहत/छूट संबंधी प्रस्तावों की जांच करना; और (च) नए उर्वरक संयंत्रों को सब्सिडी का समय पर भुगतान संबंधी मुद्दा।

वर्धित बाजार पहुँच के माध्यम से ग्रामीण मछुआरिनों के स्व सहायता समूहों के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण पर अध्ययन

स्व सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से सूक्ष्म ऋण भारतीय वित्त प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। तमिलनाडु में मछुआरिनों के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका के आधार पर स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए तमिलनाडु मात्स्यिकी विश्वविद्यालय, थूथुकुड़ी को एक अध्ययन सौंपा गया। अध्ययन 5 जिलों में किया गया: कांचीपुरम, कुद्दालुर, पुदुक्कोट्टाई, थूथुकुड़ी और कन्याकुमारी। अध्ययन के लिए, पांच जिलों में से प्रत्येक में से 148 स्व सहायता समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 2368 मछुआरिनों के नमूने एकत्रित किए गए।

मुख्य निष्कर्ष

- सदस्य बनने के बाद, 1035 मछुआरिनें आर्थिक कार्यकलापों में व्यस्त हो गईं और उनकी आय के स्तर में सुधार हुआ।
- 100 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने ऋण की सुविधा का उपयोग किया और बैंकों को अधिकांशतः समय पर पैसा लौटाया गया।
- प्रत्यर्थियों ने अपने सामाजिक–आर्थिक स्तर, वार्तालाप कौशलों, आत्मविश्वास और व्यवसाय संभावनाओं में सुधार की सूचना दी।
- सार्वजनिक संगठनों के साथ सुधरे हुए संबंधों से इस क्षेत्र में विकासात्मक कार्यकलापों में भी वृद्धि हुई।
- मछुआरिनों के प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण की जरूरत है ताकि अन्य बातों के साथ–साथ उनके ज्ञान, तकनीकों, विपणन और उद्यमिता संबंधी कौशलों, बैंकिंग सुविधाओं, वित्तीय प्रबंधन, स्वसहायता समूहों के अभिमुखीकरण, संचार और नेतृत्व कौशलों को अद्यतन किया जा सके।
- ऋण आपूर्ति में कमी, हाल ही के ऋण चुकाने संबंधी मुद्दों का आकलन करने तथा मछुआरिनों को और अधिक औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने की जरूरत है।

तालिका 1.1 : वर्ष 2016-17 के दौरान अनुमोदित अनुसंधान अध्ययन

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
1.	स्थानीय प्राथमिकता सुदृढ़ीकरण विकेंद्रित जिला विकास योजना के समेकन द्वारा जिला विकास योजना की कार्रवाई को प्रेरित करना	एशिया(पीआरआईए) में सहभागितापूर्ण अनुसंधान, नई दिल्ली
2.	केरल पर राज्य वित्त के संबंध में एक प्रस्ताव	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड
3.	पश्चिम बंगाल के राज्य वित्त पर प्रस्ताव	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता
4.	पंजाब में वित्त परिदृश्यः पहले की प्रवृत्तियां, भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली
5.	प्रदूषण उत्सर्जन पर सार्वजनिक यातायात का प्रभाव	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नीति अध्ययन केन्द्र (सीएसटीईपी), बंगलोर, कर्नाटक
6.	जल संसाधनों पर विद्युत क्षेत्रक विकास का प्रभाव	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नीति अध्ययन केन्द्र (सीएसटीईपी), बंगलोर, कर्नाटक
7.	बृहत आर्थिक सामंजस्य फ्रेमवर्क में ऊर्जा, खाद्य और जल संबंध–विश्लेषण	विकास के लिए समेकित अनुसंधान और कार्रवाई (आईआरएडीई), नई दिल्ली
8.	ऊर्जा जल संबंध और भारत में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कुशल जल शीतलन प्रौद्योगिकीः एक समेकित मूल्यांकन मॉडलिंग फ्रेमवर्क में एक विश्लेषण	ऊर्जा, पर्यावरण और जल संबंधी परिषद् (सीईईडब्ल्यू), नई दिल्ली
9.	भारत में ऊर्जा–जल–खाद्य संबंध का समेकित मॉडलिंग अध्ययन	ऊर्जा और संसाधन संस्थान, नई दिल्ली
10.	भारत में परियोजना मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय मानदण्डों का पुनर्मूल्यांकन	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
11.	मेगा क्षेत्रीय व्यापारिक समझौते	विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली

तालिका 1.2 : वर्ष 2016-17 के दौरान अनुमोदित संगोष्ठियां

क्र.सं.	संगोष्ठी का शीर्षक	संस्थान का नाम
1.	"संधारणीय विकास लक्ष्यों को हासिल करना–भारत के लिए अवसर और चुनौतियां" पर राष्ट्रीय कार्यशाला	पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद
2.	"जैव कृषि और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एनसीओएफ–2016" पर राष्ट्रीय सम्मेलन	आईटीएम विश्वविद्यालय, ग्वालियर
3.	"प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष, प्रबंधन और उद्यमिता विकास" पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	माधव प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, ग्वालियर

तालिका 1.3 : वर्ष 2016-17 के दौरान पूर्ण किए गए अध्ययन

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
1.	दक्षिण भारतीय विद्यार्थियों की नियोज्यता पर यूजीसी वृत्ति अभिमुखी पाठ्यक्रम का मूल्यांकन	श्री वेंकटेशवर विश्वविद्यालय, तिरुपति
2.	ग्रामीण पंजाब की प्रारंभिक शिक्षा स्कीम का नैदानिक विश्लेषण	जीएडी विकास अध्ययन संस्थान, अमृतसर

तालिका 1.4 : गैर-वित्तीय आयोजनों के लिए नीति लोगो सहायता

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्ता
1.	युवा भारत महिला उद्यमिता	भारतीय व्यवसाय मंडल, नई दिल्ली
2.	भारत परिवर्तन 2030: संधारणीय विकास लक्ष्यों के लिए कार्यनीतियां	सिमबॉयोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पुणे

तालिका 1.5 : नीति आयोग की चेयर प्रोफेसर इकाईयां

क्र.सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	चेयर प्रोफेसर इकाई का नाम
1.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	योजना और विकास के लिए इकाई
2.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	योजना और विकास इकाई
3.	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली	विकास योजना केन्द्र
4.	भारतीय सांख्यिकी संस्थान, नई दिल्ली	योजना और नीति अनुसंधान इकाई (पीपीआरयू)
5.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सुखमोय चक्रवर्ती चेयर प्रोफेसर इकाई
6.	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	योजना और विकास चेयर
7.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	योजना और विकास चेयर
8.	गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र अनुसंधान संस्थान, पुणे	डी.आर. गाडगिल चेयर प्रोफेसर और योजना विकास इकाई
9.	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई	योजना आयोग चेयर और योजना और विकास में इकाई
10.	विकास अध्ययन केन्द्र, तिरुवनंतपुरम	योजना और विकास इकाई
11.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	योजना आयोग चेयर और इकाई
12.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	योजना आयोग चेयर और योजना और विकास पर इकाई
13.	बड़ौदा एमएस विश्वविद्यालय, वड़ोदरा	योजना और विकास में अनुसंधान केन्द्र
14.	विश्व–भारती, शांति निकेतन	योजना और विकास में ए.के. दासगुप्ता चेयर

कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं का मूल्यांकन

नीति आयोग में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं के मूल्यांकन से संबंधित है। यह मूल्यांकन कार्य दो प्रभागों के माध्यम से किया जाता है, नामतः परियोजना मूल्यांकन प्रबंधन प्रभाग (पीएएमडी) तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन एकक (पीपीपीएयू)। पीएएमडी लोक निधियों से वित्तपोषित कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है जबकि पीपीपीएयू, अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम के तहत व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए केन्द्र और राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र सरकारों से प्राप्त पीपीपी परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है।

2016-17 के दौरान किया गया मूल्यांकन कार्य

पीएएमडी 500 करोड़ रु. से अधिक लागत वाले कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं का व्यापक मूल्यांकन करता है और नीति आयोग के विषय प्रभागों के परामर्श से मूल्यांकन नोट तैयार करता है। पीएएमडी द्वारा किया गया मूल्यांकन, प्रस्तावों के स्वरूप और आकार के आधार पर सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) तथा व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा विचार किए जाने वाले कार्यक्रमों/स्कीमों/परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लेने को सुसाध्य बनाता है। यह वर्टिकल रेल मंत्रालय के 500 करोड़ रु. से अधिक लागत वाले प्रस्तावों का भी मूल्यांकन करता है जिन पर रेलवे के विस्तारित मंडल (ईबीआर) द्वारा विचार किया जाता है। पीएएमडी द्वारा मूल्यांकन नोट जारी करने के लिए समय–सीमा, ईएफसी/पीआईबी/ईबीआर ज्ञापन की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह है।

2016-17 के दौरान (दिसम्बर, 2016 तक) ईएफसी/पीआईबी/ईबीआर प्रस्तावों पर 103 मूल्यांकन नोट जारी किए गए हैं जिनमें 8,24,123.46 करोड़ रु. का परिव्यय शामिल है। 2016–17 के दौरान (दिसम्बर, 2016 तक) मूल्यांकित परियोजनाओं का क्षेत्रकीय वितरण अनुलग्नक में दिया गया है। प्रमुख क्षेत्रक समूहों से संबंधित सूचना का सारांश नीचे तालिका–1 में दिया गया है :

तालिका 1 : 2016-17 के दौरान (दिसम्बर 2016 तक) मूल्यांकित परियोजनाओं का क्षेत्रक समूह-वार विवरण

क्रम सं.	क्षेत्रक समूह	परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ रु.)	कुल लागत का प्रतिशत
1.	कृषि	2	992.71	0.12
2.	ऊर्जा	15	297808.24	36.14
3.	परिवहन	42	97769.63	11.86
4.	उद्योग	2	4254.00	0.52
5.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	0	0.00	0.00
6.	सामाजिक सेवाएं	36	371241.83	45.05
7.	संचार	1	2351.00	0.29
8.	अन्य	5	49706.05	6.03
	कुल	**103**	**824123.46**	**100.00**

2016–17 के दौरान (दिसम्बर, 2016 तक) पीपीपीएयू द्वारा 40,008 करोड़ रु. की कुल लागत वाली 51 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। इसमें केन्द्रीय क्षेत्रक की 41 परियोजनाएं और राज्य क्षेत्रक की 10 परियोजनाएं शामिल हैं। मूल्यांकन की गई पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रक–वार वितरण तालिका–2 में दिया गया है और राज्य क्षेत्रक परियोजनाओं का राज्य–वार वितरण नीचे तालिका 3 में दिया गया है।

तालिका 2 : 2016-17 में (दिसम्बर 2016 तक) मूल्यांकित पीपीपी परियोजनाएं

क्रम सं.	मूल्यांकित परियोजना	परियोजनाओं की संख्या	कुल लागत (करोड़ रु. में)
क	**केन्द्रीय परियोजनाएं**		
1	सड़क	33	33,587
2	पत्तन	6	2,972
3	खाद्य भण्डारण	1	65
4	विमान पत्तन	1	0
	उप जोड़ (क)	**41**	**36,624**
ख	**राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र परियोजनाएं**		
1	सड़क	8	2,305
2	सम्मेलन केन्द्र	1	1,035
3	सीवेज	1	44
	उप जोड़ (ख)	**10**	**3,384**
	सकल योग (क+ख)	**51**	**40,008**

तालिका 3 : 2016-17 (दिसम्बर 2016 तक) वीजीएफ प्रदान करने हेतु मूल्यांकित पीपीपी परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण

क्रम सं.	मूल्यांकित परियोजना	परियोजनाओं की संख्या	कुल लागत (करोड़ रु. में)
1.	राजस्थान	3	287
2.	कर्नाटक	2	1,416
3.	आंध्र प्रदेश	1	505
4.	हिमाचल प्रदेश	1	44
5.	मध्य प्रदेश	1	67

क्रम सं.	मूल्यांकित परियोजना	परियोजनाओं की संख्या	कुल लागत (करोड़ रु. में)
6.	उत्तर प्रदेश	1	753
7.	महाराष्ट्र	1	313
	कुल	**10**	**3,384**

निर्माण क्षेत्रक के पुनरूद्धार संबंधी पहलें

निर्माण क्षेत्रक को बाधित करने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए, नीति आयोग ने आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के विचारार्थ एक प्रस्ताव रखा था जिसमें विभिन्न अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय सुझाए गए थे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीईए ने उक्त सीसीईए नोट में शामिल प्रस्तावों को 31.8.2016 को अनुमोदित कर दिया। नीति आयोग ने सीसीईए के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, सभी संबंधित सरकारी विभागों/मंत्रालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए दिनांक 5 सितम्बर, 2016 के दो पृथक–पृथक कार्यालय ज्ञापनों के तहत इस विषय पर अनुदेश जारी किए। 'निर्माण क्षेत्रक के पुनरुद्धार के उपाय' शीर्षक के तहत अनुदेशों का पहला सेट तत्काल अनुपालन के लिए था और इसमें निम्नलिखित शामिल था : (क) पक्षों की सहमति के साथ पूर्व–संशोधित अधिनियम के तहत दाखिल लम्बित मध्यस्थता मामलों में संशोधित मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना; (ख) बैंक गारंटी के बदले में मध्यस्थता राशि का 75% जारी करना, और (ग) धन वापस लेने–पूंजीगत लागत के परिकलन की प्रक्रिया का निर्धारण (जहां कहीं भी न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश दिया गया है)। अनुदेशों का दूसरा समूह दीर्घ–कालिक प्रकृति के थे और निम्न से संबंधित थे : (क) मौजूदा मद–दर संविदायों का ईपीसी (टर्नकी) संविदाओं के द्वारा प्रतिस्थापन, (ख) आदर्श बोली दस्तावेजों और आदर्श ईपीसी संविदाओं को अपनाना, और (ग) लम्बित और विवाद के नए मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए सुलह समितियों/परिषदों की स्थापना।

मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी संशोधित दिशानिर्देश

बारहवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर योजना गैर–योजना अंतर को समाप्त करने के संबंध में केन्द्रीय बजट 2016-17 में की गई घोषणा की पृष्ठभूमि में, नीति आयोग के परामर्श से व्यय विभाग द्वारा सार्वजनिक वित्तपोषित स्कीमों और परियोजनाओं (ऐसे मामलों को छोड़कर जिन्हें सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है) को तैयार करने के लिए मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा शुरू की गई। ऐसी समीक्षा के आधार पर, ''सार्वजनिक वित्तपोषित स्कीमों और परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन'' के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश व्यय विभाग द्वारा इसके कार्यालय आदेश सं. 24(35)/पीएफ–II/2012 दिनांक अगस्त 5, 2016 द्वारा जारी किए गए। मुख्य संशोधनों में से कुछ का सारांश निम्नानुसार है :

- संशोधित दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि किसी दिए गए वर्ष के लिए बजट भाषण में की गई घोषणा के अलावा, व्यय विभाग के पूर्व ''सैद्धांतिक'' अनुमोदन (आईपीए) के बिना कोई नई स्कीम या उप–स्कीम शुरू नहीं की जाएगी। जहां तक नई परियोजना का संबंध है, आईपीए संबंधित वित्त सलाहकार द्वारा परियोजना व्यवहार्यता और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का परीक्षण करने के उपरांत दी जाएगी।

- संशोधित दिशानिर्देशों ने परियोजना/स्कीम में लागत और समय की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए स्थायी समिति संबंधी दिशानिर्देशों को नीति आयोग के कार्यालय आदेश सं. ओ–14015/02/2015–पीएएमडी दिनांक 29 मार्च, 2016 के द्वारा वित्त सलाहकार की अध्यक्षता और संयुक्त सचिव, प्रभारी कार्यक्रम प्रभाग और मुख्य सलाहकार, लागत के प्रतिनिधि की सदस्यता वाली संशोधित लागत समिति की प्रणाली से प्रतिस्थापित कर दिया है।
- सीईओ, नीति आयोग के स्थान पर सलाहकार (पीएएमडी), नीति आयोग को ईएफसी/पीआईबी को फॉरम में सदस्य बनाया गया है।
- पूर्व संघटन के अनुसार एक आमंत्रित के बजाय एसएफसी और डीआईबी में अब नीति आयोग के प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है।
- प्रतिलाभ की वित्तीय दर के लिए हर्डल दर को 12 प्रतिशत से संशोधित कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

2016–17 के दौरान पीएएमडी में मूल्यांकित ईएफसी/पीआईबी प्रस्तावों की क्षेत्रकवार संख्या और लागत (दिसम्बर, 2016 तक)

क्रम सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं	कुल लागत (करोड़ रु. में)
	कृषि		
1.	कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र	2	992.71
	ऊर्जा		
2.	विद्युत	3	9066.43
3.	कोयला	-	-
4.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	4	31563.31
5.	नई एवं अक्षय ऊर्जा	8	257178.50
	परिवहन		
6.	रेल	21	61353.42
7.	भूतल परिवहन	13	24028.40
8.	नागर विमानन	2	1620.00
9.	पोत परिवहन	6	10767.81
	उद्योग		
10.	उद्योग	2	4254.00
11.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	-
12.	इस्पात और खान	-	-
13.	पेट्रो रसायन एवं उर्वरक	-	-
14.	वस्त्र	-	-
15.	खाद्य प्रसंस्करण	-	-

क्रम सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं	कुल लागत (करोड़ रु. में)
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		
16.	जैव प्रौद्योगिकी	-	-
17.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	-	-
	सामाजिक सेवाएं		
18.	मानव संसाधन विकास	9	20502.61
19.	संस्कृति	2	3497.34
20.	युवा एवं खेल मामले	-	-
21.	स्वास्थ्य	11	170016.59
22.	महिला एवं बाल विकास	2	110261.00
23.	श्रम	1	7552.07
24.	सामाजिक न्याय	2	7219.55
25.	शहरी विकास	7	41010.51
26.	ग्रामीण विकास	1	10483.00
27.	अल्पसंख्यक मामले		
28.	पेयजल आपूर्ति	1	699.16
	संचार		
29.	सूचना एवं प्रसारण	-	-
30.	डाक	-	-
31.	सूचना प्रौद्योगिकी	1	2351.00
	अन्य		
32.	गृह मंत्रालय	2	35577.05
33.	पर्यावरण एवं वन	-	-
34.	जल संसाधन	1	6000.00
35.	वित्त/कॉरपोरेट मामले	1	839.00
36.	योजना आयोग/नीति आयोग	-	-
37.	विदेशी मामले	1	7290.00
	कुल	**103**	**824123.46**

नीतिगत परामर्श और संचार

नीति आयोग का संचार वर्टिकल भारत सरकार की मुख्य नीतियों के लिए पक्ष समर्थन संबंधी कार्यकलाप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिकतम आउटरीच तथा जागरूकता सुनिश्चित करने की रणनीतियों और योजनाओं को प्रेस, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक और सामाजिक मीडिया सहित मीडिया के सभी रूपों का उपयोग कर तैयार और निष्पादित किया जाता है। 2016–17 में नीति आयोग ने सरकार के प्रमुख नीति थिंक–टैंक के आगे के मुख्य अधिदेश के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण सम्मेलन/बैठकें/संगोष्ठियां/कार्यक्रम आयोजित किए।

I. अंतर्राष्ट्रीय विवाचन सम्मेलन :

भारत को विवाचन केन्द्र बनाने की दृष्टि से विवाचन के व्यापक विषय पर चर्चा, बहस और विचार–विमर्श करने के साथ–साथ सर्वश्रेष्ठ वैश्विक पद्धतियों के माध्यम से इसके सुदृढ़ीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय विधिक और नीति–निर्माता समुदाय की प्रतिष्ठित हस्तियों को तीन–दिवसीय वैश्विक सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया। भारत में विवाचन और प्रवर्तन के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय पहल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा 21–23 अक्तूबर, 2016 को किया गया।

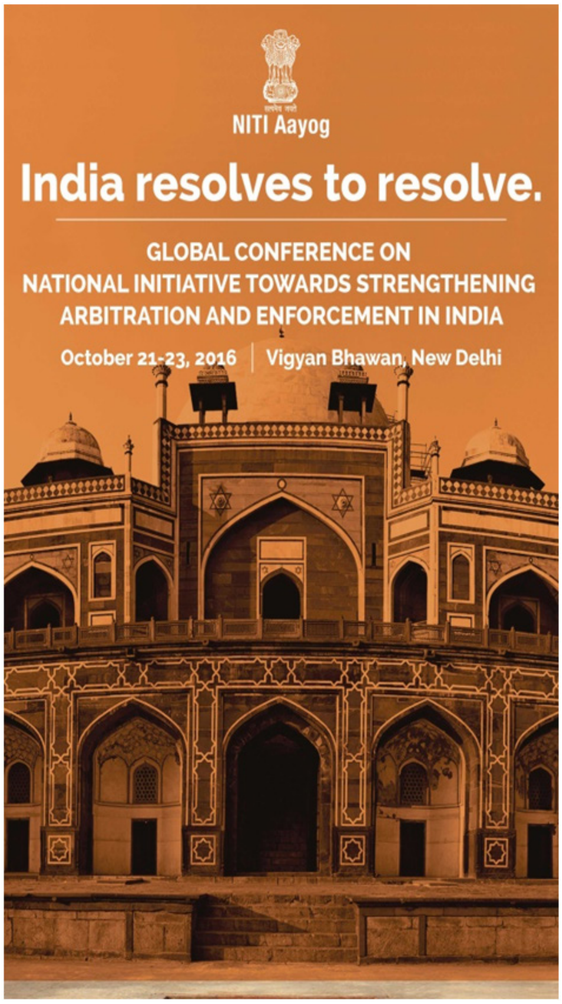

इस सम्मेलन के आयोजन के लिए इस वर्टिकल ने विश्व की विख्यात विवाचन संस्थाओं को एकजुट करने के लिए उनके साथ समन्वय किया। इसके अलावा, इस ऐतिहासिक सम्मेलन के लिए अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहभागिता से व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। विधिक समुदाय के सभी महत्वपूर्ण पणधारकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए जैसे कि सोशल मीडिया प्रचार–प्रसार, खबरें तथा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ परामर्श।

इस आयोजन के दौरान, अन्य के साथ–साथ, भारत के माननीय राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, छह देशों के मुख्य न्यायमूर्तियों सहित प्रमुख वक्ताओं के लाइव वीडियो वक्तव्यों को चलचित्रित किया गया और हैशटैग #NITI for Arbitration के साथ नीति आयोग के सोशल मीडिया हैण्डलों पर इनका प्रचार–प्रसार किया गया। नीति आयोग के ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब विवरणों के सोशल मीडिया विश्लेषण से पता चलता है कि इस सम्मेलन में सोशल मीडिया के माध्यम से विचार–विमर्श के द्वारा इन तीन दिनों की गतिविधियों के बारे में 185 मिलियन से अधिक लोगों को सूचित किया

जा सका। इस सम्मेलन के तीन में से दो दिनों तक हैशटैग #NITI for Arbitration पर सक्रिय विचार–विमर्श देखा गया।

II. अटल नवोन्मेष मिशनः

स्वरोजगार और प्रतिभा का उपयोग (सेतु) सहित नवोन्मेष और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) शुरू किया गया है जिसके तहत नवोन्मेषकों को सफल उद्यमी बनाने के लिए उनकी सहायता की जाती है और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। स्कूलों, संगठनों और व्यक्तियों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैः–

i. स्कूलों में टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापनाः अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं (एटीएल)

ii. नए प्रोत्साहन केन्द्रों की स्थापनाः अटल प्रोत्साहन केन्द्र (एआईसी)

iii. स्थापित प्रोत्साहन केन्द्रों के पैमाने को बढ़ाना।

एटीएल और एआईसी–दोनों के लिए आवेदकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने हेतु आउटरीच और जागरुकता अभियान शुरु किए गए जिसका पूरा जिम्मा संचार वर्टिकल ने सँभाला। इस वर्टिकल ने भारत में नवप्रवर्तन की संस्कृति के विकास के लिए स्कीमों के बारे में जागरूकता सृजन और टिंकरिंग लैब तथा उद्भवन केंद्रों के प्रभाव/लाभों के बारे में मुद्रित और ऑनलाइन प्रकाशनों का काम भी किया। एआईएम और नीति आयोग की भूमिका के बारे में विभिन्न योर स्टोरी, वीसी सर्किल और बिजनेस वर्ल्ड में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विशिष्ट साक्षात्कारों से भी काफी प्रसार हुआ।

नागरिकों के साथ प्रत्यक्ष संवाद औरर उनके प्रश्नों के उत्तर देने, जागरूकता सृजन तथा इनके द्वारा टिंकरिंग प्रयोगशालाओं और उद्भवन केंद्रों का अधिकतम अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग के साथ लाइव ट्विटर चैट दो दिन तक आयोजित किए गए। 17 और 18 जुलाई, 2016 को नीति आयोग की टीम अटल नवप्रवर्तन मिशन के अंतर्गत हुई पहलों के बारे में नागरिकों के सवालों का जवाब देने बैठी। इसे नीति आयोग के सोशल मीडिया हैंडल पर 200 मिलियन

से अधिक लोगों ने देखा और जिसके लिए अन्य देशों से 6000 तथा भारत से 3000 संदर्भ दिए गए। सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय संवाद अमरीका से हुआ। हमारे हैशटैग #AIMtoInnovate के साथ काफी अधिक संवाद हुआ और इससे भी यह दोनों दिन ट्विटर इंडिया पर प्रमुखता से बना रहा। लाइव सत्र के दौरान देश भर के सैकड़ों लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए गए जिनसे विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरूकता सृजन में सहायता मिली। नीति आयोग के संवाद के प्रयासों से हमारे अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं के लिए सरकार, स्थानीय निकायों और देश भर के निजी विद्यालयों से 13,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

III. महिला भारत परिवर्तन पुरस्कार, 2016 :

देश में समुदायों के सशक्तिकरण और अल्पज्ञात परिवर्तनकारी महिलाओं के कामकाज की जानकारी देने के लिए अथक परिश्रम करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए नीति आयोग के संचार वर्टिकल ने माइगॉव और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च, 2016 को पहला महिला परिवर्तन प्रतियोगिता शुरु किया। इसके लिए लगभग असाधारण महिलाओं से लगभग 1000 प्रविष्टियां प्राप्त हुई जो स्वयं के अतिरिक्त दूसरों को भी सशक्त करने के लिए नए मानदंड कायम कर रही हैं। प्राप्त हुई 1000 प्रविष्टियों में से 25 परिवर्तनकारी महिलाओं का चयन उच्चाधिकार प्राप्त निर्णायक मंडल ने किया जिसमें अन्य के अलावा चंदा कोछर और किरण मजूमदार–शॉ भी शामिल थीं। इन नामों को माइगॉव पर मतदान के लिए रखा गया ताकि शीर्ष 12 का चयन किया जा सके। विजेताओं को 09 सितम्बर, 2016 को आयोजित महिला परिवर्तन भारत पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया।

पुरस्कार के लिए मुख्य अतिथि ओलम्पिक पदक विजेता साक्षी मलिक को बनाया गया था। आयोजन के बाद, नीति आयोग ने फेसबुक इंडिया के साथ मिलकर साक्षी मलिक के साथ फेसबुक पर एक लाइव सेशन किया ताकि भारत में परिवर्तन ला रही महिलाओं के बारे में जानकारी दी जा सके और बेहतर भारत के निर्माण के लिए इन महिलाओं द्वारा विभिन्न समाजों में किए जा रहे कार्यों के प्रति सम्मान प्रकट किया जा सके। लाइव सेशन को 1,21,000 लोगों ने देखा। फेसबुक इंडिया ने भी महिला भारत परिवर्तन अभियान को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के सोशल मीडिया हैंडलों पर मौजूद वीडियो और पोस्ट साझा किए।

IV. नीति व्याख्यानमाला : भारत परिवर्तनः

राज्यों और केन्द्र के लिए ज्ञान प्रणालियों को विकसित करने हेतु, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 अगस्त, 2016 को विज्ञान भवन में नीति व्याख्यान माला का उद्घाटन किया जिसमें ''भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था'' पर मुख्य भाषण सिंगापुर के माननीय उप प्रधानमंत्री श्री थरमन शणमुगरत्नम द्वारा दिया गया।

नीति व्याख्यान माला में दूसरा व्याख्यान 'भारत परिवर्तन के लिए विचारों का अंतरण'विषय पर श्री बिल गेट्स द्वारा दिया गया। संचार वर्टिकल ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें भारत सरकार के अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों आदि ने भाग लिया। दोनों कार्यक्रमों को नीति आयोग की वेबसाइट पर लाइनस्ट्रीमिंग की गई और प्रेस कवरेज की सुविधा संचार वर्टिकल द्वारा उपलब्ध कराई गई। व्याख्यान अधिकतर लोगों तक पहुंचे इसके लिए वर्टिकल ने पुस्तिका का डिजाइन, मुद्रण और वितरण भी किया।

V. दृष्टि-पत्र

12वीं पंचवर्षीय योजना के मार्च, 2017 में समाप्त होने पर नीति आयोग को भारत के लिए 15 वर्षीय दृष्टि–पत्र तैयार करने का मुख्य उत्तरदायित्व सौंपा गया है। नीति आयोग भारत के लिए सामूहिक दृष्टिकोण की कल्पना करता है। अतः भारत की भावी योजना (विजन) 2032 के लिए नागरिकों को सूचित करने, शिक्षित करने और उनके सुझाव प्राप्त करने के प्रयास में संचार वर्टिकल की मुख्य भूमिका है।

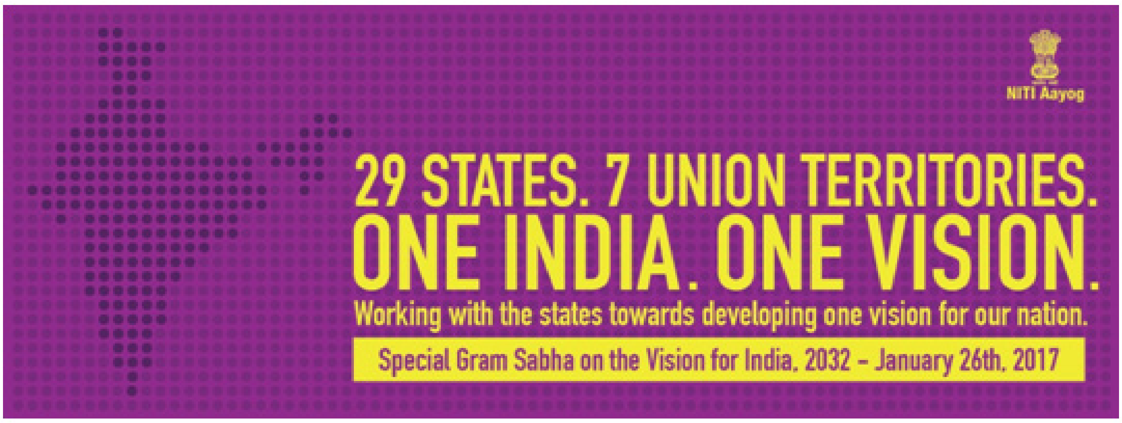

वर्टिकल द्वारा सरकार के विभिन्न स्तरों के माध्यम से नागरिकों के साथ विचार–विमर्श करने के लिए पहलों/कार्यकलापों की श्रृंखला की एक संचार कार्यनीति बनाई गई है। छोटी वीडियो बाइट्स के जरिए विजन पर मुख्यमंत्रियों के सुझाव प्राप्त करने में समन्वय कर और समग्र भारत के लाखों गांवों में ग्राम सभाएं आयोजित करके वर्टिकल का उद्देश्य सभी स्तरों पर नागरिकों के साथ विचार–विमर्श करना है ताकि भारत के लिए समावेशी विजन तैयार किया जा सके। इस संबंध में पहला प्रयास 26 जनवरी, 2016 को सफल हुआ जब नागरिकों की प्राथमिकताओं के आधार पर अपनी ग्राम सभा के लिए और अपने देश के लिए नागरिक विजन के संबंध में समग्र देश में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गई।

VI. डिजिटल भुगतान अभियान :

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 8 नवम्बर, 2016 को विमुद्रीकरण नीति की घोषणा के बाद नीति आयोग डिजिटल भुगतान को भारत में जन आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अमिताभ कांत ने 15 दिसम्बर, 2016 को दो मुख्य प्रोत्साहन स्कीमों लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना स्कीमों की घोषणा की। इसके पश्चात 25 दिसम्बर से कम नकद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रत्येक हिस्से में डिजिधन मेलों का आयोजन किया गया और विभिन्न उपभोक्ता अनुकूल डिजिटल भुगतान प्रणालियों का उपयोग शुरू किया गया। मेले 100 दिनों में अलग–अलग 100 शहरों में आयोजित किए जाएंगे।

संचार वर्टिकल कम नगद, डिजिटल भुगतान अर्थव्यवस्था की ओर देश के अंतरण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस बदलाव का अभियान दो चरणों में किया गया है। पहले संचार वर्टिकल ने भुगतान के उपयोग, सुरक्षा और आसानी पर करीब 20 प्रशिक्षण वीडियो की श्रृंखला बनाने सहित अनेक प्रयासों के माध्यम से पांच उपभोक्ता अनुकूल डिजिटल भुगतान प्रणालियों (यूएसएसडी, यूपीआई, आधार समर्थित भुगतान प्रणाली, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, ई–वालेट्स) को बढ़ावा दिया। यह बात सभी तक पहुंचे इसके लिए वर्टिकल ने साफ्टवेयर प्रमुखों जैसे गूगल, एनजीओ सहित विभिन्न पक्षों और सभी केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ सहयोग किया। ऑनलाइन प्रशिक्षण वीडियो के अलावा संचार वर्टिकल द्वारा टीवी विज्ञान और रेडियो स्पाट भी बनाए और उन्हें सारे देश में प्रसारित किया। कम नकद अर्थव्यवस्था के विभिन्न लक्ष्यों के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए नीति आयोग के सोशल मीडिया चैनलों का भी उपयोग किया गया। सभी राज्यों के साथ सहयोग करते हुए प्रत्येक दिन के डिजिधन मेले का लाइव अपडेट व्यापक प्रसार हेतु नीति के सोशल मीडिया पर डाला गया। प्रत्येक दिन के मेले की अपडेट सहित दैनिक रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेजी गई। 4.05 मिलियन से अधिक लोगों ने मेलों में नीति आयोग की सोशल मीडिया पर सम्पर्क किया है।

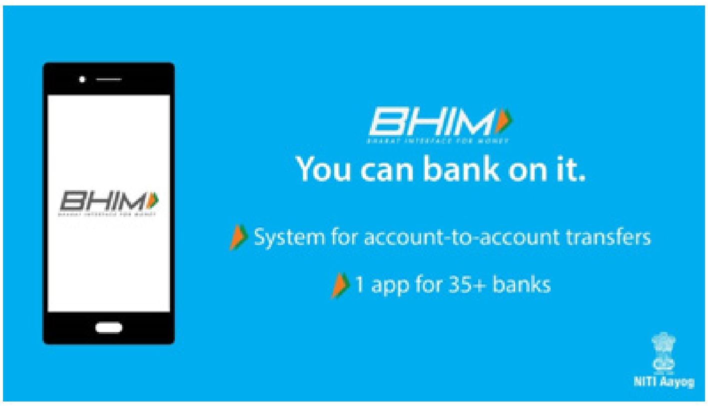

अभियान के दूसरे चरण की शुरूआत माननीय प्रधानमंत्री के 30 दिसम्बर, 2016 को दिल्ली में डिजिधन मेले में भीम ऐप लाने से हुई।

इस चरण में, वर्टिकल ने टेलीविजन विज्ञापनों, रेडियो जिंगल, डाउनलोड–आधारित ऑनलाइन मीडिया अभियान और सामाजिक मीडिया चैनलों के उपयोग सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से भीम ऐप को बढ़ावा दिया।

VII. बजट वार्ता

गत वर्ष नीति आयोग के साथ प्रथम बजट विचार–विनिमय के अनुक्रम में संचार वर्टिकल ने संघीय बजट, 2017 के निहितार्थ सारे भारत में नागरिकों के साथ सीधे जुड़ने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अरविन्द पानगढ़िया के साथ बजट वार्ता आयोजित की। वार्ता पर नीति के ट्वीटर और फेसबुक पृष्ठों पर सभी तरह के दर्शकगणों से सैकड़ों प्रश्न प्राप्त हुए। इनमें से अनेक प्रश्नों का उत्तर डॉ. पानगड़िया ने दिनांक 13 फरवरी, 2016 को ट्वीटर और फेसबुक के लाइव सत्रों में एक साथ दिया। इसका वीडियो तब से 2 लाख से अधिक लोगों द्वारा देखा जा चुका है।

VIII. चार्ट, नक्शा एवं उपस्कर एकक के कार्यकलाप

चार्ट, नक्शा और उपस्कर एकक नीति आयोग का एक केंद्रीकृत डिजाइनिंग और तकनीकी सहायता एकक है।

यह एकक कार्यालय संबंधी दैनिक कार्यों के लिए नीति आयोग के सभी वर्टिकलों/प्रभागों को तकनीकी और उपस्कर सहायता उपलब्ध कराता है। डिजाइन कार्यों के अलावा, बैठक संबंधी अन्य कार्य भी किए जाते हैं, जैसे पावरपॉइंट प्रस्तुति, नाम प्रदर्शन कार्ड, बैठकों की अनुसूचियां प्रदर्शित करना आदि। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के परिचय पत्र तैयार करने, कैलीग्राफिक तथा स्कैनिंग आदि कार्य भी संचार प्रकोष्ठ में किए जाते हैं। यह एकक संसद सत्र के दौरान तथा नीति आयोग द्वारा समय–समय पर आयोजित बैठकों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों में सहयोग देकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान चार्ट, नक्शा एवं उपस्कर एकक द्वारा निम्न कार्य किए गए:

- हिन्दी पखवाड़ा, हिन्दी कार्यशाला आदि के द्विभाषी प्रमाण–पत्रों का डिजाइन तैयार करना और उनका प्रकाशन
- नीति आयोग के विभिन्न वर्टिकलों/प्रभागों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले विभिन्न प्रकाशनों के मुख्य पृष्ठों के डिजाइन तैयार करना
- नीति आयोग के परिसर में वाहनों (कार/स्कूटर) को प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए पार्किंग लेबलों का डिजाइन करना।

- नीति आयोग और डीएमईओ (विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय) के संगठनात्मक चार्ट तैयार करना।
- नीति आयोग द्वारा नीति आयोग और नीति आयोग से बाहर आयोजित की जाने वाली विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों के लिए तकनीकी और उपस्कर सहायता का प्रावधान।
- उपाध्यक्ष कार्यालय और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय आदि के निमंत्रण पत्रों पर कैलीग्राफिक कार्य।
- अधिवर्षिता प्राप्त करने वाले अधिकारियों के लिए लैमिनेटेड पहचान–पत्र तैयार करना।
- दस्तावेजों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों का लैमिनेशन (पहचान–पत्र आकार से लेकर ए3 आकार तक) करना।
- दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी तैयार करने के लिए आधिकारिक दस्तावेजों, तस्वीरों आदि की स्कैनिंग। दस्तावेजों के डिजिटलीकृत संस्करण को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजा जाता है।
- डिस्प्ले स्क्रीन पर बैठक संबंधी सूचनाओं का डिस्प्ले करना।
- आधिकारिक दस्तावेजों जैसे वार्षिक योजना, विभिन्न रिपोर्टों, प्रस्तुतीकरण के हैंडआऊट आदि के प्रिंटआउट (रंगीन और श्याम एवं श्वेत) विभिन्न प्रभागों को उपलब्ध कराए गए।
- बड़े पैमाने पर फोटोकॉपी/अनुलिपिकरण संबंधी कार्यों का निष्पादन।
- नीति आयोग के विभिन्न वर्टिकलों/प्रभागों के लिए जिल्दसाजी संबंधी कार्य का निष्पादन
- नीति आयोग के समिति कक्षों में लगाए गए श्रव्य–दृश्य उपकरणों का प्रापण/रख–रखाव संबंधी कार्य।

स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ

एनजीओ–दर्पण (एनजीओ–पीएस) पोर्टल एक ई–शासन अनुप्रयोग है जो देश के गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ)/स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) से संबंधित आंकड़ों का रख–रखाव करने के लिए है। यह पोर्टल देश में पारदर्शिता के साथ एनजीओ/वीओ को काम करने का मौका देने का प्रयास भी है।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ संव्यवहार करने के लिए एनजीओ को सर्वप्रथम नीति आयोग के एनजीओ–दर्पण पोर्टल पर साइन–अप करना होता है। अपेक्षित ब्यौरा देने पर एनजीओ को विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। आवेदक एनजीओ के पास यह विकल्प होगा कि वे नीति आयोग के एनजीओ–दर्पण पोर्टल पर दिए गए लिंक के जरिए संबंधित मंत्रालय/विभाग के पोर्टल पर जाएं अथवा सीधे उसी पोर्टल पर जाएं । उस संस्था के पदाधिकारियों/न्यासियों के पैन और आधार ब्यौरे प्राप्त करने के लिए कार्यक्षमता विकसित की गई है और उसे कार्यान्वित किया गया है। यह एक गतिशील पोर्टल है जो किसी एनजीओ के साइन–अप करते ही अद्यतन होता रहता है।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय/कार्य किए गए हैं ताकि एनजीओ/वीओ अधिक पारदर्शिता के साथ इस प्रणाली को प्रचालित कर सकेः–

i मौजूदा और नए एनजीओ के लिए 21.04.2016 से संस्था/संगठन की पैन संख्या देना अनिवार्य कर दिया गया है।

ii. एनजीओ के न्यासियों/पदाधिकारियों का पैन और आधार ब्यौरा एकत्र करने के लिए इस पोर्टल

में नए फील्ड भी सृजित किए गए हैं। अपने पदाधिकारियों का पैन और आधार ब्यौरा प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई है।

iii. एनजीओ–दर्पण पर पहले से पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के लिए पैन संख्या जोड़ने/अद्यतन करने और संस्था के पैन कार्ड की प्रतिलिपि अपलोड करने के लिये एक नया फील्ड जोड़ा गया है।

iv. केंद्र/राज्य सरकार/जिला प्राधिकरण/राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय संगठनों से गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त किए धन के स्रोत और अच्छे कार्यों के लिए एक नया फील्ड जोड़ा गया है। क्रमिक रूप से प्राप्त की गई यह सूचना एनजीओ मुख्य प्रोफाइल पृष्ठ (एनजीओ बार प्रोफाइल) का भी हिस्सा होगी।

v. पोर्टल पर पहले से मौजूद लगभग 70,000 एनजीओ से अपने संगठनों का पैन ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए ई–मेल के जरिए सम्पर्क किया गया।

vi. साइन–अप करने वाले वीओ/एनजीओ की राज्यवार–सूची (पैन सहित) एनजीओ–दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है।

vii. 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार 22,646 एनजीओ ने अपने संगठन का पैन अपलोड किया और 6,008 एनजीओ ने अपने पदाधिकारियों (कम से कम तीन) के पैन और आधार अपलोड किए।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में 27 सितम्बर, 2016 को संबंधित मंत्रालयों/विभागों की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिए गए और मंत्रालयों/विभागों को तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई।

(i) एनजीओ–दर्पण पोर्टल से प्राप्त की गई विशिष्ट पहचान संख्या को अनिवार्य बनाया जाए जिसके बिना एनजीओ को आंशिक अनुदान के मामलों सहित कोई वित्तीय अनुदान जारी नहीं किया जाए।

(ii) जो मंत्रालय/विभाग राज्य सरकारों (एनजीओ को सीधे जारी करने के बजाय) को निधियाँ जारी करते हैं वे संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दें कि एनजीओ/वीओ को एनजीओ–दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत करना और अपनी विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करना आवश्यक है।

(iii) सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदान स्वीकृत/जारी करने के लिए एनजीओ से प्राप्त आवेदनों की आद्योपांत जाँच करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन विकसित करनी होगी। 01 अप्रैल, 2017 से आवेदनों की जाँच मेन्युल तरीके से नहीं की जाएगी।

मौजूदा पोर्टल जिसे पहले एनजीओ–पीएस (भागीदारी प्रणाली) के नाम से जाना जाता था, को 2008–09 में विकसित किया गया था। प्रौद्योगिकी में आए बदलाव को देखते हुए एनआईसी, नीति आयोग इकाई द्वारा एक नए एनजीओ–दर्पण पोर्टल का डिजाइन और विकास किया जा रहा है। इन नए पोर्टल में अतिरिक्त विशेषताएं/मानक होंगे जैसे कि श्रेणी आधारित कोडिंग, वेब सुरक्षा विशेषताओं का एकीकरण, फ्लूइड डिजाइन (छोटे मोबाइल/टैबलेट आदि के लिए स्क्रीन आकार के अनुरूप विन्यास), एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जा रही ऑनलाइन पीएएन सत्यापन सेवाओं का एकीकरण और पदाधिकारियों की आधार संख्याओं को यूआईडीएआई द्वारा प्रदान की जा रही ऑनलाइन आधार सत्यापन सेवा के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एनजीओ की पहचान और सत्यापन के लिए लॉग–इन आधारित ओटीपी, कुछ आयोजनों के लिए पोर्टल से एलर्ट/संदेश स्वतः भेजने जैसी विशेषताओं को भी शामिल किया गया है।

डेटा प्रबंधन और विश्लेषण

1. भारत में गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यदल

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 8 फरवरी, 2015 को हुई नीति आयोग की शासी परिषद की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पानगड़िया की अध्यक्षता में 16 मार्च, 2015 को भारत में गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यदल का गठन किया गया था। नीति आयोग के इस कार्यदल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है:–

क) केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के कार्यदलों के साथ समन्वय करना और तालमेल विकसित करना।

ख) गरीबी की कार्यकारी परिभाषा विकसित करना।

ग) गरीबी उन्मूलन के लिए रोडमैप तैयार करना।

घ) मौजूदा कार्य नीतियों और गरीबी–रोधी कार्यक्रमों के सुधार सहित कार्यनीतियों और गरीबी–रोधी कार्यक्रमों का सुझाव देना।

ङ) सफल गरीबी निरोधक कार्यक्रमों की पहचान करना जिनसे सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सीख ले सकें।

च) कोई अन्य संगत उपाय।

इस कार्यदल ने विभिन्न पणधारकों के साथ हुई चार बैठकों में विचार–विमर्श किया। प्राप्त हुए आदानों और कार्यदल की कार्यप्रणाली के आधार पर "गरीबी उन्मूलन–रोजगार अवसरों का सृजन और सामाजिक कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण" विषय पर एक प्रारंभिक लेख तैयार किया गया और नीति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया। इस लेख पर चर्चा करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ क्षेत्रीय परामर्श किया गया। बैठकें हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली और पटना में क्रमशः 13 अप्रैल, 2016, 22 अप्रैल, 2016, 02 मई, 2016 और 06 मई, 2016 को हुई। राज्यों के साथ हुए विचार–विमर्श के आधार पर कार्यदल की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया और 11 जुलाई, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया गया।

2. राज्य सांख्यिकी

यह प्रभाग नीति आयोग को विभिन्न संकेतकों संबंधी एकीकृत राज्य स्तरीय डाटाबेस तैयार करने में मदद करता है। आंकड़े 7 प्रमुख श्रेणियों अर्थात् जनसांख्यिकी, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू सम्पत्ति और सुख–सुविधाएं, राज्य वित्त और विविध में उपलब्ध कराए गए हैं। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई), विभिन्न मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सांख्यिकी के प्रमुख डाटा स्रोत हैं। इन आंकड़ों को मौजूदा आंकडे की पूर्व–श्रृंखलाओं के प्रावधान के साथ समय–समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

3. अन्य विविध कार्यकलाप

क) संसद के दोनों सदनों के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण, आर्थिक सर्वेक्षण आदि के लिए आदान उपलब्ध कराए और वर्टिकल से संबंधित मामलों में विभिन्न मंत्रालयों को आदान उपलब्ध कराना।

ख) संसद प्रश्नों के उत्तर तैयार करना और अन्य संसदीय मामलों संबंधी कार्य करना।

ग) वित्त संबंधी स्थायी समिति (2015–16) की सिफारिशों/टिप्पणियों से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराई और वित्त संबंधी स्थायी समिति के लिए पृष्ठभूमि नोट तैयार किया 2016–17 के दौरान जाँच के लिए विषयों का चुनाव।

घ) आर्थिक वृद्धि संस्थान (आईईजी) और योजना एवं नीति अनुसंधान एकक (पीपीआरयू) के विकास योजना केंद्र (डीपीसी) भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) दिल्ली की सलाहकार समिति से संबंधित सभी मामले। डीपीसी और आईईजी की वर्ष 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट बजट सत्र 2016 के दौरान संसद में प्रस्तुत की गई। पीपीआरयू की वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 और वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट प्रस्ताव और उनकी अनुसंधान गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉ. बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता में पीपीआरयू, आईएसआई दिल्ली की सलाहकार समिति की दो बैठकें क्रमशः 26.04.2016 और 22.12.2016 को आयोजित की गई थी।

वर्टिकल द्वारा निम्नलिखित में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व

I. एनएसएसओ की शासी परिषद
II. भारतीय सांख्यिकी संस्थान की शासी परिषद
III. सीएसओ के राष्ट्रीय खाते संबंधी सलाहकार समिति
IV. आर्थिक वृद्धि संस्थान (आईईजी), नई दिल्ली का शासी मंडल
V. योजना और नीति अनुसंधान एकक की सलाहकार समिति
VI. भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली केंद्र

वर्टिकल ने निम्नलिखित कार्य समूहों में नीति आयोग का प्रतिनिधित्व किया:-

I. एनएसएसओ के 74वें चक्र संबंधी कार्य समूह
II. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) संबंधी कार्य समूह

वर्टिकल के अधिकारी निम्नलिखित कार्यकलापों से संबद्ध रहे:

(i) भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी आंकडों का संकलनः यह वर्टिकल मुख्य रूप से महापंजीयक और जनसंख्या आयुक्त कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), राज्य शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) तथा सरकारी आंकडों का संग्रह करने वाली अन्य एजेंसियों से गौण आंकडे एकत्र करता है।

(ii) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा परिवार खपत व्यय पर किए गए बडे नमूना सर्वेक्षण से प्राप्त मासिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय (एमपीसीई) आंकडों के आधार पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अलग–अलग राज्यवार गरीबी अनुपात का अनुमान लगाता है और गरीबी संकेतकों में हुए परिवर्तन का विश्लेषण करता है।

(iii) विभिन्न समितियों, विशेषज्ञों दलों आदि के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा अभिकलित वैकल्पिक गरीबी अनुपातों और सूचकांकों की जाँच करता है।

(iv) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा भारत के महापंजीयक के लिए योजना प्रस्तावों हेतु नोडल वर्टिकल।

(v) सार्क विकास लक्ष्यों के लिए नोडल वर्टिकल

सूचना और प्रसारण एवं पर्यटन

सूचना और प्रसारण एवं पर्यटन (आईबी एंड टी) वर्टिकल सूचना और प्रसारण मंत्रालय (आईएंडबी) और पर्यटन मंत्रालय के साथ–साथ आईबीएंडटी से संबंधित राज्य मामलों की योजना स्कीमों/परिणाम और परिणाम बजट का परीक्षण और समीक्षा करता है। यह वर्टिकल सूचना और पत्रकारिता, और पर्यटन के क्षेत्र में मंत्रालयों के साथ विचार–विमर्श और समन्वय का कार्य करता है। यह वर्टिकल आईबीएंडटी क्षेत्रकों से संबंधित विभिन्न समितियों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों से भी जुड़ा हुआ है।

वर्टिकल आईबीएंडटी क्षेत्रकों से संबंधित विभिन्न नीति संबंधी मुद्दों की निगरानी से भी संबंधित है ताकि देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उनको अधिक कारगर बनाया जा सके। वर्टिकल राज्यों/केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा अग्रेषित किए गए आईबीएंडटी क्षेत्रकों से संबंधित अवसंरचना विकास मुद्दों का परीक्षण करता है।

2016-17 के दौरान शुरू किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों को नीचे दर्शाया गया है:

- भारतीय सिनेमा संबंधी राष्ट्रीय संग्रहालय, फिल्म क्षेत्रक संबंधी अवसंरचनात्मक विकास, भारतीय पत्रकारिता संस्थान (आईआईएमसी) का अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार उन्नयन और इसके नये क्षेत्रीय केन्द्र खोलने और प्रसारण कार्यकलापों का सुदृढ़ीकरण पर स्थायी वित्त समिति की टिप्पणियों का मूल्यांकन।
- नकदी रहित भुगतान के विभिन्न तरीकों के लिए डिजिटल भुगतान–प्लेटफॉर्म पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय के साथ कार्यशाला का आयोजन करना।
- 8 विषय क्षेत्रों पर सचिवों के समूहों की सिफारिशों के आधार पर विभागीय कार्य योजना (डीएपी) पर सूचना और प्रसारण तथा पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई प्रगति का संकलन करना।
- देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन से संबंधित अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय की योजना स्कीमों अर्थात् स्वदेश दर्शन और तीर्थ स्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) पर राष्ट्रीय मिशन का अनुवीक्षण और समीक्षा।
- विभिन्न राज्यों द्वारा उठाये गए पर्यटन से संबंधित मुद्दों का समाधान करना उदाहरण के लिए हिमाचल, बिहार, आंध्र प्रदेश आदि।
- पर्यटन क्षेत्रक में अवसंरचनात्मक कमियों के मूल्यांकन की पद्धति के निर्धारण संबंधी पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्थापित सलाहकारी समूह समिति के साथ सक्रिय विचार विमर्श करना।

राजभाषा (हिंदी) अनुभाग

वर्ष 2016-17 के दौरान हिंदी अनुभाग राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम और संघ की राजभाषा नीति को ध्यान में रखते हुए सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए लगातार प्रयास करता रहा।

विभिन्न दस्तावेजों/कागजातों का अनुवाद करने के अलावा यह अनुभाग नीति आयोग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी है। टिप्पण और पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भेजी गई। क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की नियमित रूप से समीक्षा की गई। हिंदी अनुभाग ने विभिन्न दस्तावेजों जैसे वार्षिक रिपोर्ट, परिणाम बजट, अनुदान मांगें, संसदीय स्थायी समितियों से संबंधित सामग्री, संसदीय प्रश्नोत्तर, नीति आयोग की वेबसाइट, अधिसूचनाओं, समझौता ज्ञापन, प्रपत्र/मसौदे और पत्र आदि का अनुवाद किया। नीति आयोग में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

1. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जारी किया जा रहा है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम और अन्य आदेशों/अनुदेशों को आयोग के सभी अनुभागों तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों को अनुपालन और सूचनार्थ अग्रेषित किया गया।

2. राजभाषा कार्यान्वयन समिति

नीति आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति सलाहकार (रा.भा.) की अध्यक्षता में कार्य करती है। यह समिति सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समय–समय पर समीक्षा करती है और राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उठाए जाने वाले उपायों की सिफारिश करती है। समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और नीति आयोग के नियंत्रण में आने वाले कार्यालयों को भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

3. हिंदी में मूल टिप्पण/आलेखन हेतु प्रोत्साहन योजना

हिंदी में टिप्पण/आलेखन हेतु राजभाषा विभाग द्वारा शुरू की गई प्रोत्साहन योजना को जारी रखा गया। इस स्कीम के तहत 2000 रुपए के दो प्रथम पुरस्कार, 1200 रुपए के तीन द्वितीय पुरस्कार तथा 600 रुपए के पाँच तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं।

4. हिंदी में डिक्टेशन हेतु नकद पुरस्कार योजना

अधिकारियों के लिए हिंदी में डिक्टेशन देने की एक प्रोत्साहन योजना लागू है। इस स्कीम के अंतर्गत 2000 रुपए के दो पुरस्कार (एक हिंदीभाषी के लिए और दूसरा हिंदीतरभाषी के लिए) दिए जाने का प्रावधान है।

5. हिंदी पखवाड़ा

नीति आयोग में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए माननीय गृहमंत्री से प्राप्त संदेश तथा माननीय योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अपील नीति आयोग के अनुभागों

तथा अधिकारियों और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को परिचालित की गई। 01 सितम्बर, 2015 से 15 सितम्बर, 2015 तक हिंदी पखवाड़े के दौरान कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जैसे–हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी टंकण, हिंदी अनुवाद, हिंदी टिप्पण/आलेखन, आशुभाषण तथा राजभाषा ज्ञान। आयोग के मल्टीटास्किंग कर्मचारियों के लिए हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए।

6. हिंदी कार्यशाला

वर्ष के दौरान नीति आयोग में अधिकारियों को अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने को प्रोत्साहित करने के लिए 9 और 14 सितम्बर, 2016 को दो हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में कुल 13 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

7. हिंदी सलाहकार समिति

सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सलाह देने के लिए माननीय योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में नीति आयोग की हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक 23 नवम्बर, 2016 को आयोजित की गई।

8. हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी निरीक्षण

वर्ष के दौरान नीति आयोग के राजभाषा प्रभाग के अधिकारियों द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दृष्टि से विभिन्न वर्टिकलों के 11 अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

सतर्कता अनुभाग

नीति आयोग का सतर्कता अनुभाग नीति आयोग में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में सभी सतर्कता अर्थात् भ्रष्टाचार, अनाचार और सत्यनिष्ठा की कमी से संबंधित सभी मामलों को देखता है। यह नीति आयोग के कर्मचारियों के संबंध में सतर्कता स्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए भी उत्तरदायी है। 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान नीति आयोग के कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में लगभग 400 सतर्कता निकासी जारी की गई। इस अवधि के दौरान अनुभाग में अनेक आरटीआई पर कार्य किया गया। नीति आयोग में कार्यरत कुछेक कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों का निपटान किया गया।

निवारक सतर्कता

नीति आयोग में 31 अक्तूबर से 5 नवम्बर, 2016 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इसका विषय था: ''सत्यनिष्ठा संवर्धन और भ्रष्टाचार उन्मूलन में लोक भागीदारी''। इस संबंध में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने एक शपथ भी दिलवाई। नीति आयोग में समुचित नारों के साथ अलग–अलग स्थानों पर बैनर भी लगाए गए। आचरण नियमावली के महत्वपूर्ण प्रावधानों तथा सतर्कता जागरूकता संबंधी अन्य मुद्दों को भी कर्मचारियों को ई–मेल से परिचालित किया गया ताकि नीति आयोग के कर्मचारियों/अधिकारियों को सीसीएस आचार नियमावली, 1964 और सीसीएस (सीसीए) नियमावली 1965 में निर्धारित नियमों और विनियमों की जानकारी हो सके।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुरूप, एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया।